

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13



सत्यमेव जयते

दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय-वस्तु

	पृष्ठ
I. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र : एक परिदृश्य	1-10
II. दूरसंचार आयोग	11
III. दूरसंचार विभाग	13-34
III 1 बेतार आयोजना एवं समन्वय	35-42
III 2 दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र	43-45
III 3 सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि	46-50
III 4 संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय	51-55
III 5 सतर्कता संबंधी कार्यकलाप	56-57
III 6 दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन एवं अनुवीक्षण (टीईआरएम)	58-61
III 7 महिला सशक्तिकरण	62-65
III 8 निः शक्त व्यक्ति	66-67
III 9 नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण यंत्र	68-70
IV. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	71-75
V. दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण	77-78
VI. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा संबंधी टिप्पणियां	79-81
VII. टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र	83-89
VIII. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	91
VIII 1 भारत संचार निगम लिमिटेड	93-99
VIII 2 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	101-111
VIII 3 आईटीआई लिमिटेड	113-119
VIII 4 टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड	121-124
IX. सांख्यिकी परिशिष्ट	125-130
X. परिवर्णी-शब्द	131-134
XI. संगठनात्मक चार्ट	135
अनुबंध – I	136-139



I. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र : एक परिदृश्य

दूरसंचार क्षेत्र विद्युत, सड़कें, जल आदि के समान एक बुनियादी अवसंरचना के रूप में उभरा है और यह देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भी उदयीमान हुआ है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र ने गत कुछ वर्षों में बहुत तरक्की की है और चीन के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेलीफोन नेटवर्क बन गया है। सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, वायरलैस प्रौद्योगिकी और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी ने देश में दूरसंचार क्षेत्र की शानदार वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समूचे देश भर में वहनीय, विश्वसनीय और सुरक्षित दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सेवाओं को उपलब्ध करके आम जनता के लाभ को अधिकतम करने के मूल उद्देश्य के साथ वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय दूरसंचार नीति –2012 (एनटीपी –2012) की घोषणा की गई है।

वर्तमान स्थिति

भारतीय दूरसंचार नेटवर्क 864.72 मिलियन वायरलैस टेलीफोन कनेक्शनों समेत, 895.51 मिलियन टेलीफोन कनेक्शनों के साथ, दिसंबर, 2012 की समाप्ति पर, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है। इसमें से 338.59 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और 556.92 मिलियन कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में हैं। सितंबर, 2012 की समाप्ति पर, 14.68 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं सहित 24.01 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता थे। दिसंबर, 2012 के अंत तक ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 14.98 मिलियन हो गई।

दिनांक 31 दिसंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

भारतीय दूरसंचार नेटवर्क चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है।
देश में 864.72 मिलियन वायरलैस टेलीफोन कनेक्शनों समेत, 895.51 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन हैं।
देश में समग्र टेलीघनत्व 73.34% हो गया है।
शहरी टेली-घनत्व 149.55% है जबकि ग्रामीण टेली-घनत्व 39.90% है।
कुल टेलीफोनों में वायरलैस टेलीफोनों का हिस्सा 96.56% है।
कुल टेलीफोनों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 85.51% है।
ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या 14.98% है।


वर्तमान वित्तीय वर्ष (2012—13) के दौरान नेटवर्क की स्थिति

टेलीफोनों की कुल संख्या जून, 2012 तक लगातार बढ़ती रही और अप्रैल से जून, 2012 की अवधि में यह 951.35 मिलियन से बढ़कर 965.52 मिलियन हो गई है। उसके बाद, दिसंबर, 2012 के अंत में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कम होकर 895.51 मिलियन रह गई। जून, 2012 के बाद टेलीफोन प्रयोक्ता आधार में गिरावट प्राथमिक रूप से सेवा प्रदाताओं द्वारा निष्क्रिय मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों को हटा लेने के कारण है। अप्रैल से जून, 2012




की अवधि के दौरान ग्रामीण टेलीफोन 330.83 मिलियन से बढ़कर 343.88 मिलियन हो गए और उसके बाद दिसंबर, 2012 तक यह संख्या कम होकर 338.59 मिलियन रह गई। अप्रैल से जून, 2012 की अवधि के दौरान शहरी टेलीफोनों की संख्या 620.52 मिलियन से बढ़कर 621.65 मिलियन हो गई है और उसके बाद, दिसंबर, 2012 के अंत में यह संख्या कम होकर 556.92 मिलियन रह गई है।

नीचे दिए गए चित्र में वर्ष 2012-13 (अप्रैल-दिसंबर 2012) के दौरान प्रत्येक माह की समाप्ति पर कनेक्शनों की संख्या को दर्शाया गया है।



टेली-घनत्व

टेली-घनत्व, जोकि प्रति 100 जनसंख्या में टेलीफोनों की संख्या को दर्शाता है, देश में टेलीफोनों की उपलब्धता का एक महत्वपूर्ण सूचक है। टेली-घनत्व, जोकि मार्च, 2012 की समाप्ति पर 78.66% था, जून, 2012 में बढ़कर 79.58% हो गया और फिर, दिसंबर, 2012 में कम होकर 73.34% रह गया। दूरसंचार सेवा क्षेत्रों में तमिलनाडु (109.64%) में सबसे अधिक टेली-घनत्व है उसके बाद हिमाचल प्रदेश (102.76%), पंजाब (101.92%), केरल (100.76%) और कर्नाटक (102.76%) हैं। तीन महानगरों में से 220.00% के साथ दिल्ली का टेली-घनत्व सबसे अधिक है, उसके बाद मुंबई (159.57%) और कोलकाता (155.10%) आते हैं। दूसरी ओर, बिहार (46.53%), असम (46.50%), मध्य प्रदेश (52.23%), उत्तर प्रदेश (56.20%), जम्मू एवं कश्मीर (58.41%) और पश्चिम बंगाल (56.85%) के साथ तुलनात्मक रूप से कम टेली-घनत्व वाले सेवा क्षेत्र हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान ग्रामीण टेली-घनत्व में मामूली सुधार हुआ है और मार्च, 2012 की समाप्ति पर यह 39.26% से बढ़कर दिसंबर, 2012 की समाप्ति पर 39.90% हो गया है। तथापि, इस अवधि के दौरान शहरी टेली-घनत्व 169.17% से कम होकर 149.55% रह गया है।



टेलीफोनों का संघटक

क. सार्वजनिक बनाम प्राइवेट

दिसंबर, 2012 की समाप्ति पर प्रचालकवार वर्गीकरण करने से पता चलता है कि वायरलाइन खंड में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की, अभी भी, बड़ी मात्रा में लगभग 79.57% हिस्सेदारी है। दूसरी ओर, वायरलैस खंड में निजी प्रचालकों की हिस्सेदारी लगभग 87.83% है। समग्र रूप से, लैंडलाइन और मोबाइल फोनों दोनों प्रकार के टेलीफोनों को मिलाकर 20.68% के साथ भारती समूह की देश में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। उसके बाद वोडाफोन समूह (16.47%), सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों उपक्रमों बीएसएनएल और एमटीएनएल की मिलीजुली हिस्सेदारी (14.49%), रिलायंस (13.38%) और आइडिया (12.72%) आते हैं।

उपभोक्ताओं की संख्या के मद्देनज़र, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी अप्रैल से जून, 2012 के दौरान 86.31% से बढ़कर 86.64% हो गई और उसके बाद, यह हिस्सेदारी दिसंबर, 2012 में कम होकर 85.51% रह गई। दूसरी ओर, अप्रैल से जून, 2012 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 13.69% से कम होकर 13.36% रह गई और उसके बाद, यह हिस्सेदारी दिसंबर, 2012 में बढ़कर 14.49% हो गई।


ख. वायरलाइन बनाम वायरलैस

जहां तक प्रौद्योगिकी का संबंध है वायरलैस टेलीफोनी के प्रयोग हेतु प्राथमिकता जारी है। वायरलैस टेलीफोन का हिस्सा दिनांक 31.03.2012 को 96.62% था, वह जून, 2012 के अंत में बढ़कर 96.74% हो गया और उसके बाद, दिसंबर, 2012 के अंत में यह कम होकर 96.56% हो गया। दूसरी ओर, लैंडलाइन टेलीफोन का अंश अप्रैल से दिसंबर, 2012 की अवधि के दौरान 3.38% से बढ़कर 3.44% हो गया।



ब्रॉडबैंड

ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को उत्तरोत्तर रूप से बेहतर सामाजिक-आर्थिक निष्पादन के एक अभिन्न प्रणेता के रूप में देखा जा रहा है। ब्रॉडबैंड सेवा से जनता को शक्ति मिलती है और यह व्यक्तियों को नवीन कैरियर और शैक्षिक अवसर प्रदान करती है, व्यवसाय को नए बाजारों में पहुंचने में मदद करती है तथा दक्षता बढ़ाती है और अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य, बैंकिंग और वाणिज्य जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के बारे में सरकार की क्षमता को बढ़ाती है। दिसंबर, 2012 के अंत में देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 14.98 मिलियन थी।



ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के प्रावधान से डिजीटल अंतराल को कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने से कालान्तर में इसका गुणात्मक प्रभाव होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी, अपर्याप्त यातायात अवसंरचना की कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन शैली में समग्र रूप से सुधार होगा। महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक लाभों को देखते हुए ब्रॉडबैंड की सुगम पहुंच का विस्तार करना सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता बन गई है। ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए यूएसओएफ द्वारा विभिन्न स्कीमें प्रारंभ की गई हैं।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति – 2012 (एनटीपी-2012)

सरकार ने दिनांक 31 मार्च, 2012 को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 (एनटीपी-2012) का अनुमोदन किया जिसमें दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित दृष्टिकोण, महत्वपूर्ण निर्देश तथा विभिन्न मध्यम और दीर्घकालीन मुद्दों का समाधान किया गया है। एनटीपी-2012 का मूल उद्देश्य संपूर्ण देश भर में वहनीय, विश्वसनीय और सुरक्षित दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध करवाकर लोक हित को अधिकतम करना है। इस नीति का मुख्य बल गुणात्मक प्रभाव और ऐसी सेवाओं के समग्र अर्थव्यवस्था पर अंतरणपरक प्रभाव पर है। इसमें इक्विटी एवं अनन्यता को बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने में ऐसी सेवाओं की भूमिका को स्वीकार किया गया है। नागरिकों के लिए वहनीय एवं प्रभावी दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता करा पाना एनटीपी-2012 के दृष्टिकोण एवं लक्ष्य के मूल में है। इस नीति में इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका और उसके परिणामस्वरूप, प्रतिस्पर्धी वातावरण में सेवा प्रदाताओं की सतत व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए नीतिगत संकल्पना को भी स्वीकार किया गया है। एनटीपी-2012 के अनुपालन



में ये सिद्धांत प्रयोक्ताओं/ग्राहकों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी राजस्व के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए अपेक्षित निर्णयों हेतु मार्गदर्शन करेंगे।

एनटीपी-2012 के उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- सभी नागरिकों को सुरक्षित, वहनीय एवं उच्च गुणवत्ता वाली दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराना।
- सभी सेवाओं और सेवा क्षेत्रों में एक राष्ट्र-एक लाइसेंस की अवधारणा को कार्यान्वित करने पर बल देना।
- एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी का लक्ष्य प्राप्त करना और एक राष्ट्र-फ्री रोमिंग के लिए कार्य करना।
- ग्रामीण टेली-घनत्व को मौजूदा स्तर 39 से बढ़ाकर वर्ष 2017 तक 70 और वर्ष 2020 तक 100 करना।
- शिक्षा और स्वास्थ्य के समान ही ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी समेत दूरसंचार सेवाओं को बुनियादी आवश्यकता के रूप में स्वीकार करना और ब्रॉडबैंड का अधिकार की दिशा में कार्य करना।
- वर्ष 2015 तक मांग पर वहनीय एवं विश्वसनीय ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना और कम से कम 2 एमबीपीएस डाउनलोड की गति के साथ वर्ष 2017 तक 175 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा वर्ष 2020 तक 600 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करना तथा मांग पर कम से कम 100 एमबीपीएस की उच्चतर गति उपलब्ध कराना।
- प्रौद्योगिकियों के मिले-जुले इस्तेमाल की मार्फत वर्ष 2014 तक सभी ग्राम पंचायतों में उच्च गति एवं उच्च गुणवत्ता वाला ब्रॉडबैंड अभिगम उपलब्ध कराना और वर्ष 2020 तक इसे प्रगामी रूप से सभी गांवों एवं कस्बों में उपलब्ध कराना।
- विकास हेतु आईसीटी की वास्तविक संभावित क्षमता को प्राप्त करने के लिए अवसंरचना क्षेत्र के रूप में दूरसंचार को स्वीकार करना।
- टेलीफोन अवसंरचनाओं की स्थापना करते हुए मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) संबंधी मुद्दों का समाधान करना।
- गैर-अनन्य एवं गैर-भेदभावपूर्ण अभिगम उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न नेटवर्कों के अंतरकनेक्शन हेतु एक मिलाजुला मंच स्थापित करना सुनिश्चित करने हेतु एक परिवेश-प्रणाली तैयार करना।
- दूरसंचार के क्षेत्र में हरित नीति को बढ़ाना और उसे सतत रूप से जारी रखना तथा व्यवहार्यता हेतु नवीकरणीय संसाधनों का प्रोत्साहनपरक इस्तेमाल करना।
- वर्ष 2020 तक देश में चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से नए इंटरनेट प्रोटोकाल (आईपीवी6) के व्यापक अंतरण को प्राप्त करना और आईपी मंच पर बड़े पैमाने पर सेवाओं के प्रावधान हेतु एक परिवेश-प्रणाली को प्रोत्साहन देना।

टेलीफोन उपस्करों का निर्माण

अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के आ जाने और प्रचालकों द्वारा 3जी और ब्रॉडबैंड वायरलैस अभिगम सेवाएं प्रारंभ करने के कारण दूरसंचार उपस्करों की मांग तेजी से बढ़ गई है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सरकार और नीतिनिर्धारक घरेलू निर्माण उद्योग को विकसित करने पर ध्यान दे रहे हैं। एनटीपी-2012 के उद्देश्यों में दूरसंचार उपस्कर निर्माण के संवर्धन को भी शामिल किया गया है।



घरेलू निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, जिनमें दूरसंचार उपस्कर भी शामिल हैं, की हिस्सेदारी को बढ़ाने को देखते हुए सरकार ने अधिप्राप्ति में (दूरसंचार उपस्करों सहित) घरेलू निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने की नीति निर्धारित की है। तदनुसार, दूरसंचार विभाग ने रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों या विभागों और उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एजेंसियों तथा सभी सरकारी वित्तपोषित दूरसंचार परियोजनाओं द्वारा अधिप्राप्त किए जाने वाले दूरसंचार उत्पादों को अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना में 25% से 65% न्यूनतम मूल्य वर्धन के साथ घरेलू निर्मित दूरसंचार उपस्करों हेतु 50% से 100% प्राथमिकता बाजार अभिगम का प्रस्ताव किया है।

मोबाइल फोन, उनके पुर्जों और टेलीफोन केबलों सहित दूरसंचार उपस्करों का आयात वर्ष 2011-12 के दौरान ₹543146 मिलियन और वर्ष 2012-13 के दौरान (सितंबर, 2012 तक) ₹272235 मिलियन था। मोबाइल फोन, उनके पुर्जों और टेलीफोन केबलों सहित दूरसंचार उपस्करों का निर्यात वर्ष 2011-12 के दौरान ₹201989 मिलियन और वर्ष 2012-13 के दौरान (सितंबर, 2012 तक) ₹109266 मिलियन था।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)

ग्रामीण टेलीफोनी पर अधिक ध्यान देने के लिए सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का गठन किया। देश के ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार करने को देखते हुए यूएसओएफ द्वारा विभिन्न स्कीमों की शुरुआत की गई है।

यूएसओएफ के तहत कुल ₹47273.77 करोड़ की राशि एकत्र की गई है जिसमें से दिनांक 30.11.2012 की स्थिति के अनुसार ₹22472.21 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है और ₹24801.56 करोड़ संभावित बकाया राशि उपलब्ध थी।

नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)

सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर की मार्फत देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) का सृजन करने के लिए ₹20,000 करोड़ की लागत से एक परियोजना का अनुमोदन किया है जिसका प्रयोग करके मोबाइल प्रचालक, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), केबल टीवी प्रचालक, सामग्री प्रदाता जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाता ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं की शुरुआत कर सकते हैं। इस नेटवर्क का प्रयोग करके ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-अभिशासन आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोग उपलब्ध कराए जाएंगे। इस परियोजना को यूएसओएफ द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) नामक एक विशेष उद्देश्य परियोजना (एसपीवी) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है जिसे भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 25.02.2012 को निगमित किया गया है।

एनओएफन परियोजना का केन्द्र-राज्य संयुक्त प्रयास के रूप में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जा रही है कि वे कोई मार्गाधिकार प्रभार न लगा कर अपने हिस्से का अंशदान करें। इसके लिए एक त्रिपक्षीय समझौता-ज्ञापन की आवश्यकता होगी जिस पर भारत सरकार, राज्य सरकार तथा बीबीएनएल द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। दिनांक 26.10.2012 को 13 राज्यों यानि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों अर्थात् दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के साथ त्रिपक्षीय समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन



राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में कुल लगभग 1,40,727 ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा कवर की जाएंगी।

अजमेर जिले (राजस्थान) के अराइन खंड, उत्तर त्रिपुरा जिले (त्रिपुरा) में पानीसागर खंड, विशाखापतनम जिले (आंध्र प्रदेश) में परवाड़ा खंड की सभी ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए तीन पायलेट परियोजनाओं को पूरा किया गया है। दिनांक 15.10.2012 की स्थिति के अनुसार इन तीन पायलेट परियोजना खंडों की 58 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक ग्राम पंचायत में 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ उपलब्ध कराई गई हैं।

नवीन इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपीवी6) में अंतरण

आईपीवी6 (इंटरनेट प्रोटोकॉल रूपांतर 6) एक अगली पीढ़ी का इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आईपीवी4 (इंटरनेट प्रोटोकॉल रूपांतर 4) द्वारा उपलब्ध कराए गए एड्रेस स्पेस के समाप्त एवं रिक्त हो जाने के साथ ही आईपीवी6 में अंतरण अनिवार्य हो गया जिसमें बड़ी मात्रा में एड्रेस स्पेस और भावी आवश्यकताओं के लिए अनेक विशेषताएं हैं। विश्व के अनेक देशों ने आईपीवी6 में अंतरण प्रारंभ कर दिया है। भारत विश्व का ऐसा पहला देश है जहां सरकार ने नीतिगत निर्णयों के साथ राष्ट्रीय आईपीवी6 तैनाती रोडमैप जारी किया है।

विनियामक फ्रेमवर्क

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बेहतर गुणवत्ता एवं वहनीय मूल्यों के साथ दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए सदा प्रयास किया है। ट्राई द्वारा विभिन्न दूरसंचार मुद्दों पर वर्ष 2012-13 के दौरान अनेक सिफारिशों की गई थीं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, एकीकृत लाइसेंस हेतु दिशानिर्देश, स्पैक्ट्रम की नीलामी और दिनांक 01.04.2002 से पहले स्थापित किए गए ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों हेतु राजसहायता के संबंध में सिफारिशें शामिल थीं। ट्राई ने मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (तृतीय संशोधन) विनियमन, 2012, दूरसंचार अंतरकनेक्शन (पोर्ट प्रभार) (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2012, दूरसंचार उपभोक्ता (पंचम संशोधन) विनियमन, 2012, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार केबल लेंडिंग स्टेशन अभिगम सुविधा प्रभार और को-लोकेशन प्रभार विनियमन, 2012, ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता (संशोधन) विनियमन, 2012 आदि विनियमन भी जारी किए।

ट्राई ने तिमाही आधार पर बुनियादी एवं सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के निष्पादन की निगरानी करके सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता और मासिक रिपोर्टों की मार्फत सघनता अंतरकनेक्शन के मुद्दे (पीओआई) सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय किए हैं। उपरोक्त विनियामक उपायों के द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा जिससे दूरसंचार क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि सुगम होने की आशा है। इससे उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के अलावा निवेश संबंधी दक्षता में भी बढ़ोत्तरी होगी।

अनुसंधान एवं विकास

सी-डॉट एक स्वायत्त निकाय है वह दूरसंचार विभाग का अनुसंधान एवं विकास संगठन है जिसकी स्थापना 26 वर्ष पहले हुई थी। यह निकाय विभिन्न प्रकार की लागत प्रभावी सेवाएं, स्वदेशी तौर पर विकसित और अद्यतन कुल दूरसंचार समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।



सी-डॉट ने डायल टोन उपलब्ध कराने के एकल अभियान से शुरू करके, पिछले 26 वर्षों में दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अनेक क्षेत्रों जैसे उपग्रह संचार, आईएन, एटीएम, डीडब्ल्यूडीएम, एनएमएस, वायरलैस ब्रॉडबैंड, जीपीओएन, एनजीएन और मोबाइल सेलुलर प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के राष्ट्रीय स्तर के केन्द्र के रूप में तरक्की की है। सी-डॉट की एटीएम प्रौद्योगिकी को भारतीय नौसेना के जहाजों में ऑनबोर्ड संचार के रूप में प्रयोग हेतु अधिदेश प्राप्त है। जीपीओएन से ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड पाइप लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए जाने की आशा है। सक्रिय जीएसएम अवसंरचना को साझा करने के आधार पर एसजी-आरएएन उत्पाद ग्रामीण बाजार में वहनीय मोबाइल टेलीफोनी को लाएगा। एमएएक्स-एनजी सी-डॉट के मैक्स/रैक्स उपभोक्ताओं के लिए वीओआईपी और ब्रॉडबैंड अभिगम के साथ प्लेन ओल्ड टेलीफोनी सेवा (पीओटीएस) में नई सेवा विशेषताएं लाकर देश की स्थिर लाइन अवसंरचना में नवजीवन का संचार करेगा। सी-डॉट दूरसंचार सॉफ्टवेयर समाधान उपलब्ध कराने के क्षेत्र में भी सक्रिय रहा है। सी-डॉट के अधीनस्थ एनएमएस (नेटवर्क प्रबंध प्रणाली) समाधान बहु विक्रेताओं से सामग्री प्राप्त कर नेटवर्क का प्रबंधन कर पाना संभव हो पाया है। सी-डॉट के डाटा क्लियरिंग हाउस (सीएलएच) समाधान को बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच रोमिंग रिकॉर्ड का समाशोधन करने के लिए वाणिज्यिक रूप से तैनात किया गया है।

सी-डॉट को कार्यनीतिक अनुप्रयोगों हेतु दूरसंचार सुरक्षा एवं सुरक्षित नेटवर्क हेतु केन्द्रीय निगरानी प्रणाली जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का कार्य भी सौंपा गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के चार उपक्रम हैं। ये उपक्रम हैं :

- (i) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)
- (ii) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)
- (iii) आईटीआई लिमिटेड
- (iv) दूरसंचार परामर्शदाता इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)

एमटीएनएल की 1986 में स्थापना की गई थी, यह एक नवरत्न पीएसयू है जोकि भारत के मुख्य महानगरों-दिल्ली एवं मुंबई में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराता है। एमटीएनएल इन दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में फिक्स्ड लाइन टेलीफोन सेवाओं का मुख्य प्रदाता है और दिल्ली शहर समेत समीपवर्ती शहरों नोएडा, गुडगांव, फरीदाबाद एवं गाजियाबाद तथा मुंबई शहर समेत मुंबई नगर निगम, नवी मुंबई निगम और थाणे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, जोकि इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं, में जीएसएम सेवाओं का मुख्य प्रदाता है। एमटीएनएल अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क में तीन प्रकार की सेवाएं यानी वॉयस, उच्च गति इंटरनेट और आईपीटीवी उपलब्ध करवा रहा है। फिलहाल, इसके 56.25% इक्विटी शेयर भारत सरकार के पास हैं और शेष 43.75% शेयर एफआईआई, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्युचुअल फंड और व्यक्तिगत निवेशकों सहित अन्य के पास हैं। गत वर्ष के ₹3674 करोड़ के कारोबार की तुलना में एमटीएनएल का वर्ष 2011-12 का कारोबार ₹3374 करोड़ का था। एमटीएनएल ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹4110 करोड़ की हानि वहन की है। वर्ष 2012-13 के प्रथम छ माह के दौरान इसने ₹2510 करोड़ का कारोबार किया है। एमटीएनएल ने इस अवधि के दौरान ₹3335 करोड़ की हानि वहन की है।



बीएसएनएल का गठन अक्टूबर, 2000 में किया गया। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। यह दिल्ली एवं मुम्बई को छोड़कर देशभर में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। बीएसएनएल सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं नामतः लैंडलाइन पर टेलीफोन सेवाएं, डब्ल्यूएलएल और जीएसएम सेवाएं, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, पट्टाकृत सर्किट और लंबी दूरी की दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ग्रामीण टेलीफोनी बीएसएनएल का एक विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिसंबर, 2012 के अंत तक इसने 581602 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराए हैं। बीएसएनएल पूर्वोत्तर तथा जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विकास पर भी विशेष बल देता है। बीएसएनएल ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹27933 करोड़ का कारोबार किया और ₹8851 करोड़ की हानि वहन की। अनन्तिम गैर-लेखापरीक्षित आंकड़ों के अनुसार इसकी आय ₹13465 करोड़ थी और वर्ष 2012-13 के प्रथम छ माह के दौरान इसने ₹3655 करोड़ की हानि वहन की।

आईटीआई लिमिटेड की तत्कालीन दूरसंचार सेवा प्रदाता दूरसंचार विभाग को दूरसंचार उपस्करों की आपूर्ति करने के लिए वर्ष 1948 में स्थापना की गई। आईटीआई ने अपने प्रचालन वर्ष 1948 में बंगलौर में प्रारंभ किए जिनका जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में नैनी, रायबरेली एवं मनकापुर और केरल में पलक्कड में निर्माण संयंत्र की स्थापना करके अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया गया। विभिन्न स्थानों पर इन संयंत्रों की स्थापना का उद्देश्य न केवल निर्माण क्षमता को बढ़ाना था बल्कि सामाजिक अवसंरचना का विकास करना भी था। वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी का सकल कारोबार ₹922 करोड़ था और इसने ₹370 करोड़ की हानि वहन की। वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में सकल कारोबार और कंपनी की हानियां क्रमशः ₹134 करोड़ और ₹105 करोड़ थीं।

भारत के पूर्ण स्वामित्व में टीसीआईएल की स्थापना वर्ष 1978 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना, समुचित विपणन कार्यनीतियां विकसित करके घरेलू बाजारों तथा विदेशों में इसके प्रचालनों में उत्कृष्टता प्राप्त करना और सतत् आधार पर अद्यतन प्रौद्योगिकी प्राप्त करना था। टीसीआईएल एक लाभ कमाने वाला पीएसयू है। कंपनी ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹680.79 करोड़ का कारोबार किया जिसमें ₹8.03 करोड़ का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2012-13 की पहली छमाही में कंपनी का सकल कारोबार और लाभ क्रमशः ₹278.47 करोड़ और ₹1.68 करोड़ था।

भावी नीति

दूरसंचार विभाग की भावी नीति कहीं भी, कभी भी, तीव्र समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय, वहनीय और उच्च गुणवत्ता वाली समेकित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराना है। दूरसंचार विभाग समूचे देश में सुरक्षित, विश्वसनीय, वहनीय दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराकर लोकहित को अधिकतम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है। इस देश के नागरिकों के लिए वहनीय और प्रभावी संचार सेवाओं की उपलब्धता भावी नीति के मूल में है।



भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने दिसम्बर, 2012 में नई दिल्ली में माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री मिलिन्द देवरा और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्रीमती क्रुपारानी किल्ली की उपस्थिति में भारतीय दूरसंचार, 2012 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया।



II. दूरसंचार आयोग

दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करने के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सहित दिनांक 11 अप्रैल, 1989 के संकल्प द्वारा दूरसंचार आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग में एक अध्यक्ष और चार पूर्णकालिक सदस्य हैं जोकि दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव हैं, इनके अलावा, चार अंशकालिक सदस्य भी हैं जोकि संबंधित विभागों में भारत सरकार के सचिव हैं। इस आयोग का मौजूदा संघटक निम्नवत है:-

अध्यक्ष	श्री आर. चन्द्रशेखर	24 सितंबर, 2010 से
सदस्य (वित्त)	सुश्री साधना दीक्षित, {सलाहकार (वित्त) जोकि सदस्य(वित्त) का कार्य भी देख रही हैं}	01 अप्रैल, 2011 से
सदस्य (उत्पादन)	रिक्त	01 जनवरी, 2006 से
सदस्य (सेवाएं)	श्री एस.सी.मिश्रा	17 मार्च, 2010 से
सदस्य (प्रौद्योगिकी)	श्री जे.के.रॉय	28 मार्च, 2012 से

सचिव (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग), सचिव (आर्थिक कार्य विभाग), सचिव (योजना आयोग) और सचिव (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) इसके अंशकालिक सदस्य हैं।

दूरसंचार आयोग के प्रकार्य निम्नलिखित हैं :-

- (क) सरकार के अनुमोदन हेतु दूरसंचार विभाग की नीति तैयार करना।
- (ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दूरसंचार विभाग का बजट तैयार करना और इसे सरकार से अनुमोदित करवाना।
- (ग) दूरसंचार विभाग से संबंधित सभी मामलों में सरकार की नीति को क्रियान्वित करना।



III. दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग, नीति बनाने, कार्यनिष्पादन समीक्षा, निगरानी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और विकास के लिए उत्तरदायी है और यह विभाग अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके फ्रीक्वेंसी आबंटन और रेडियो संचार के लिए प्रबंधन का कार्य भी करता है। यह विभाग बेतार विनियामक उपायों को लागू करने तथा देश में सभी प्रयोक्ताओं के बेतार पारेषण पर निगरानी रखने के लिए भी जिम्मेदार है। सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति के कार्यान्वयन के उद्देश्य से दिनांक 1 जून, 2002 से प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के कार्यालय की स्थापना की गई है। अक्टूबर, 2000 में भारत संचार निगम लि0 के गठन के बाद भारत सरकार (कार्य आबंटन), नियमावली, 1961 के अन्तर्गत दूरसंचार विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :-

1. टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलैस, डाटा, फैंसिमाइल तथा टेलीमेटिक्स सेवाओं एवं संचार के अन्य समान साधनों के संबंध में नीति निर्धारण, लाइसेंसिंग तथा समन्वय संबंधी मामले।
2. अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), इसके रेडियो विनियमन बोर्ड (आरआरबी), रेडियो संचार सेक्टर (आईटीयू-आर), दूरसंचार मानकीकरण सेक्टर (आईटीयू-टी), विकास सेक्टर (आईटीयू-डी), अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (इन्टेलसैट), अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन (इनमारसैट), एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी) जैसे दूरसंचार से संबंधित सभी अंतरराष्ट्रीय निकायों के मामलों सहित दूरसंचार से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
3. दूरसंचार में मानकीकरण, अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना।
4. दूरसंचार में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना।
5. निम्नलिखित कार्यों सहित संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा अध्ययन को बढ़ावा देने और दूरसंचार संबंधी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति के सृजन हेतु वित्तीय सहायता :-
 - (क) उच्च वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधान हेतु संस्थानों/वैज्ञानिक संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देना; तथा
 - (ख) शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना और दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन हेतु विदेश जाने वाले छात्रों सहित अन्य व्यक्तियों को अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता देना।
6. दूरसंचार विभाग द्वारा अपेक्षित भंडार-सामग्रियों एवं उपस्करों का प्रापण।
7. दूरसंचार आयोग।
8. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
9. दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण।
10. इस सूची में उल्लिखित किन्हीं मामलों के संबंध में कानूनों का प्रशासन, नामतः:-
 - (क) भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13)
 - (ख) भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17), और
 - (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24)



11. भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड।
12. विनिवेश के बाद मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटेर्स लिमिटेड से संबंधित मामले।
13. भारत संचार निगम लिमिटेड।
14. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड।
15. विदेश संचार निगम लिमिटेड एवं टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड।
16. टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र(सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले।
17. पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग से संबंधित शेष कार्य, जिनमें निम्नलिखित से संबंधित मामले भी शामिल हैं :-
 - (क) भारत संचार निगम लि. में आमेलन होने तक समूह क और अन्य वर्गों के कार्मिकों के संवर्ग नियंत्रण संबंधी कार्य;
 - (ख) सेवांत लाभों का प्रशासन तथा भुगतान।
18. निर्माण कार्यो का निष्पादन, भूमि की खरीद और अधिग्रहण जिसे दूरसंचार से संबंधित पूंजीगत बजट के नामे डाला जाना है।

लाइसेंस प्रदान करना

यह विभाग सरकार की अनुमोदित नीति के अनुसार विभिन्न शहरों एवं दूरसंचार सर्किलों में बुनियादी और मूल्यवर्द्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रचालकों को लाइसेंस प्रदान करता है।

एकीकृत अभिगम सेवाएं

एकीकृत अभिगम सेवाएं (यूएस) प्रदान करने के लिए देश को 22 सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिसमें 19 दूरसंचार सेवा क्षेत्र और 3 महानगर क्षेत्र शामिल हैं। यूएस लाइसेंसधारक किसी सेवा क्षेत्र में वायरलाइन तथा बेतार सेवाएं प्रदान कर सकता है। बेतार सेवाओं में पूर्ण मोबाइल, सीमित मोबाइल एवं फिक्स्ड बेतार सेवाएं शामिल हैं। लाइसेंसधारक अनेक मूल्यवर्द्धित सेवाएं भी प्रदान कर सकता है। दिनांक 26 दिसंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार 240 यूएस, 2 बुनियादी सेवा तथा 37 सेलुलर मोबाइल सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंस थे।

राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा

राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) की सेवा को प्राइवेट क्षेत्र के लिए दिनांक 13 अगस्त, 2000 से खोला गया था। जिन भारतीय पंजीकृत कंपनियों की नेटवर्थ ₹2.5 करोड़ है और प्रदत्त इक्विटी ₹2.5 करोड़ है वे इसके लिए आवेदन करने की पात्र हैं। इसके साथ-साथ आवेदन करने वाली कंपनी में, लाइसेंस की समूची अवधि के दौरान, किसी भी समय पर कुल विदेशी इक्विटी 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक कंपनी की इक्विटी में किसी एनआरआई/ओसीबी/अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसी द्वारा किए गए निवेश की गणना इसकी विदेशी इक्विटी के रूप में की जाती है। लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व ₹2.5 करोड़ का प्रवेश शुल्क जमा कराना होता है। प्रचालकों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। राष्ट्रीय लंबी दूरी का कोई प्रचालक देश



में अंतर-सर्किल परियात का प्रचालन कर सकता है। राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक का लाइसेंस गैर-अनन्य आधार पर 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है और इसकी अवधि को एकमुश्त रूप में 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अतिरिक्त दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 32 अन्य कंपनियों ने लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें मौजूद प्रतिस्पर्द्धा के परिणामस्वरूप प्रशुल्कों में कमी आई है।

अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा

अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा मूलतः नेटवर्क कैरिज सेवा है जो विदेशी कैरियरों द्वारा प्रचालित नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करती है। नई दूरसंचार नीति-1999 के अनुसरण में, सरकार ने अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा को दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से निजी प्रचालकों के लिए खोल दिया है। प्रचालकों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। जिन भारतीय पंजीकृत कंपनियों की नेटवर्थ ₹2.5 करोड़ है वे इसके लिए आवेदन करने की पात्र हैं। आवेदन करने वाली कंपनी में, लाइसेंस की समूची अवधि के दौरान, किसी भी समय पर कुल विदेशी इक्विटी 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक कंपनी की इक्विटी में किसी एनआरआई/ओसीबी/अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसी द्वारा किए गए निवेश की गणना इसकी विदेशी इक्विटी के रूप में की जाती है। लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व ₹2.5 करोड़ के प्रवेश शुल्क के साथ-साथ ₹2.5 करोड़ की निष्पादन बैंक गारंटी जमा करानी होती है। इसका लाइसेंस, लाइसेंस करार की तारीख से 20 वर्ष तक वैध होता है। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 27 कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-। (आईपी-।)

अवसंरचना प्रदाता-। के लिए आवेदन करने वाली कंपनी को केवल दूरसंचार विभाग में पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है। अवसंरचना प्रदाता-। के रूप में पंजीकृत कंपनियां डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डस्ट स्पेस और टावर जैसी संपत्तियों की सुविधा उपलब्ध करा सकती हैं। सभी भारतीय पंजीकृत कंपनियां इसके लिए आवेदन करने की पात्र हैं। इसमें विदेशी इक्विटी और प्रवेश करने वाले प्रचालकों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें कोई प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी नहीं है। आवेदक कंपनी को आवेदन के साथ प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में केवल ₹5000 की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 403 कंपनियों को अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-। के रूप में पंजीकृत किया गया है।

वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/एकीकृत संदेश सेवा

नई दूरसंचार नीति(एनटीपी)-1999 के अनुसार वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स सेवा के लिए नई नीति जुलाई, 2001 में घोषित की गई थी जिसमें यूनिफाइड मैसेजिंग सेवा(यूएमएस) नामक नई सेवा भी शामिल की गई थी। यूएमएस एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा टेलीफोन उपकरण, फैक्स मशीन, मोबाइल फोन. इंटरनेट ब्राउज़र इत्यादि का उपयोग करते हुए एक मेल बॉक्स से वॉयस मेल, फैक्स और ई-मेल(तीनों) प्राप्त किए जा सकते हैं।

वर्तमान में पास 8 शहरों में वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विस प्रदान करने के लिए 29 लाइसेंस हैं।

वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूएमएस के लिए न तो कोई प्रवेश शुल्क है और नही लाइसेंस शुल्क।



पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा

दूरसंचार नीति, 1999 के अनुसार पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विस(पीएमआरटीएस) की नीति दिनांक 1 नवंबर, 2001 को घोषित की गई थी। पीएमआरटीएस के नए लाइसेंस गैर-अनन्य और "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर प्रदान किए गए हैं।

वर्तमान में, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रदान करने के लिए 4 महानगरों और 9 सर्किलों में 22 लाइसेंसधारक हैं।

उपग्रह द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन

दूरसंचार नीति-1999 की शर्तों में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विस (जीएमपीसीएस) के लाइसेंस प्रदान करने की नीति को दिनांक 2 नवंबर, 2001 को अंतिम रूप दिया गया और इसकी घोषणा की गई थी। जीएमपीसीएस लाइसेंस के आवेदन जिनमें संपूर्ण प्रस्ताव निहित हो सुरक्षा जांच के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसी को भेजे जाते हैं। अंतरमंत्रालयी समिति जिसमें सचिव (टी), मंत्रिमंडल सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, सचिव (अंतरिक्ष विभाग) एवं सचिव (आसूचना ब्यूरो) शामिल होते हैं द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से प्रस्ताव पास किए जाने पर आशय पत्र जारी किया जाता है। प्रक्रिया में सुरक्षा निगरानी सहित जीएमपीसीएस गेटवे भूमि स्टेशन की जांच भी शामिल है। प्रवेश शुल्क ₹1 करोड़ है जो राजस्व साझे के रूप में है और यह दिनांक 01.04.2013 से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 8 प्रतिशत है। अभी तक कोई जीएमपीसीएस लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है।

वैरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वी सैट) सर्विस

जैसाकि एनटीपी-99 में उल्लेख है, भारत की क्षेत्रीय सीमा के अंदर इनसैट उपग्रह का उपयोग करते हुए वैरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वी सैट) के लिए गैर-अनन्य आधार पर लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। वी सैट लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंसधारक वी सैट एवं केंद्रीय हब का उपयोग करते हुए पूरे भारत में फैली विभिन्न साइटों के बीच संवृत उपभोक्ता समूह (सीयूजी) के अंदर डाटा कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। वी सैट लाइसेंसों की दो श्रेणी है :

- (i) कैप्टिव सीयूजी वी सैट लाइसेंस, जिसमें लाइसेंसधारक कंपनी केवल अपने आंतरिक प्रयोग के लिए वी सैट नेटवर्क स्थापित कर सकती है। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार, कुल 36 कैप्टिव सीयूजी वी सैट नेटवर्क थे और दिनांक 31.12.2012 तक इस सेवा के अंतर्गत वी सैट की संख्या लगभग 7500 थी।
- (ii) वाणिज्यिक सीयूजी वी सैट लाइसेंस, जिसमें लाइसेंसधारक कंपनी वाणिज्यिक आधार पर अनेक सीयूजी के लिए सीयूजी वी सैट सेवा प्रदान कर सकती है। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार, वाणिज्यिक सीयूजी वी सैट सेवाओं के लिए 13 लाइसेंस थे और दिनांक 31.12.2012 तक इस सेवा के अंतर्गत वी सैट की संख्या लगभग 1,65,000 थी।

इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं

31 दिसंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार, इंटरनेट सेवाओं के लिए 392 लाइसेंसधारक हैं जिनमें से 103 क श्रेणी के लाइसेंसधारक, 161 ख श्रेणी के लाइसेंसधारक और 128 ग श्रेणी के लाइसेंसधारक शामिल हैं। इसके अलावा दिनांक 30 सितंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार 24.01 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता और दिनांक 30 सितंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार लगभग 14.68 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ता हैं।



नेटवर्क एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ (एनटी प्रकोष्ठ)

दूरसंचार विभाग में एनटी प्रकोष्ठ का सृजन दिसंबर, 2010 में किया गया था जिसकी प्रमुख जिम्मेवारी, प्राइवेट और सरकारी क्षेत्रों सहित सभी पणधारियों में आईपीवी6 नीति को कार्यान्वित करना है। विश्व में और विशेष रूप से एपीएनआईसी क्षेत्र में आईपीवी4 पतों के समाप्त हो जाने के कारण देश के लिए आईपीवी6 को समय से कार्यान्वित करना कठिन है। एनटी प्रकोष्ठ, दूरसंचार विभाग सभी नई प्रौद्योगिकी नीति संबंधी मामलों के लिए भी जिम्मेवार है। विभिन्न बैठकों, जागरूकता कार्यशालाओं और आईपीवी6 विश्व शुभारंभ दिवस कार्यक्रमों/कार्यकलापों आदि के माध्यम से सभी पणधारियों में सुनियोजित तरीके से आईपीवी6 को कार्यान्वित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। दूरसंचार विभाग के एनटी प्रकोष्ठ के संयुक्त प्रयासों के कारण, अब प्रमुख सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं, विशेष रूप से उद्यम उपभोक्ताओं को आईपीवी6 सेवा प्रदान करना शुरू कर दी गई है और वे खुदरा उपभोक्ताओं के लिए इसे शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। सरकारी संगठनों को भी सुग्राहीकृत किया गया है और उन्होंने भी आईपीवी6 को अपनाना शुरू कर दिया है। एनटी प्रकोष्ठ द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों के बारे में अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :

आईपीवी6 संबंधी नीति :

जुलाई, 2010 में राष्ट्रीय आईपीवी6 तैनाती रोड मैप (वी-1) जारी करने के बाद, भारत विश्व में ऐसा पहला देश हो गया है, जहां किसी सरकार ने इस तरह का रोड मैप जारी किया है। इसमें निम्नलिखित मुद्दों का उल्लेख है :

- क. अपने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित केंद्र और राज्य सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग मार्च, 2012 तक आईपीवी6 सेवाओं का उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे।
- ख. भारतीय आईपीवी6 कार्यबल का गठन : तीन स्तरीय संरचना, जिसमें निरीक्षण समिति, संचालन समिति और 10 कार्यकारी समूह शामिल हैं तथा प्रत्येक स्तर में विभिन्न संगठनों के सदस्य/पीपीपी मोड में पणधारी शामिल होते हैं।

स्थिति और चुनौतियां

अखिल भारत आधार पर सभी भागों (फिक्स्ड, मोबाइल और उद्यम) में उपभोक्ताओं को आईपीवी6 सेवाएं क्रमशः उपलब्ध कराई जा रही हैं क्योंकि अधिकांश प्रमुख सेवा प्रदाता परियात का रख-रखाव करने तथा आईपीवी6 सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है।

आईएसपी की तैयारी के बावजूद कतिपय भागों में अवरोध के कारण अधिक प्रसार उत्साहवर्द्धक नहीं है, जैसे :

- ✓ विषय-वस्तु प्रदाताओं की तैयारी में विलंब : अब इस मुद्दे को देश में अनुप्रयोग एवं विषय-वस्तु प्रदाताओं के साथ विभिन्न बैठकों के माध्यम से उठाया जा रहा है।
- ✓ उपस्कर विक्रेताओं द्वारा विलंब अब उपस्कर विक्रेताओं के साथ थी बैठकें आयोजित की जा रही हैं और वे आईपीवी6 तैयार उपस्कर के साथ तैयार हो रहे हैं।
- ✓ मूल उपभोक्ता उपकरण दूरसंचार विभाग में अनेक बैठकें आयोजित की गई हैं और उनसे बातचीत करने के लिए और बैठकें आयोजित करने की योजना है।

पूरे देश में विभिन्न बैठकों (30) और कार्यशालाओं (26) के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों/विभागों/उनके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को आईपीवी6 में अंतरण के लिए सुग्राहीकृत किया जा रहा है और अनुकूल बनाया जा रहा है।



विश्व आईपीवी6 शुभारंभ दिवस समारोह

विश्व आईपीवी6 शुभारंभ दिवस के अवसर पर दूरसंचार विभाग द्वारा संचार भवन, नई दिल्ली में दिनांक 6 जून, 2012 को एक समारोह का आयोजन किया गया था। सचिव(टी), दूरसंचार विभाग ने इस समारोह की अध्यक्षता की। इसमें दूरसंचार विभाग, डीईआईटीवाई, दूरसंचार सेवाप्रदाता, विषय-वस्तु एवं अनुप्रयोग प्रदाता, आईसीटी विक्रेता, दूरसंचार उद्योग संघ, बीएसएनएल, एमटीएनएल, सी-डॉट आदि से लगभग 100 लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रेस और मीडिया के आमंत्रित व्यक्ति भी उपस्थित थे।



संचार भवन, नई दिल्ली में दिनांक 6 जून, 2012 को आयोजित विश्व आईपीवी6 शुभारंभ दिवस समारोह के अवसर पर श्री आर० चन्द्रशेखर, सचिव(टी) एवं श्री जे०के० राय, सदस्य(टी), दूरसंचार विभाग।

राष्ट्रीय आईपीवी6 तैनाती रोडमैप वर्जन-॥


इसके अतिरिक्त, सरकार ने एनटीपी-2012 के अंतर्गत चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से देश में आईपीवी6 में पर्याप्त पारगमन का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाई है। तदनुसार, राष्ट्रीय आईपीवी6 तैनाती रोड मैप वर्जन-॥ तैयार कर लिया गया है और देश में पूर्ण (को-प्रणाली तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे मार्च, 2013 तक जारी कर दिए जाने की योजना है।

नव-प्रवर्तन केंद्र (सीओआई)

एनटीपी-2012 में आईपीवी6 नव प्रवर्तन केंद्र की स्थापना को समाविष्ट किया गया है। इस केंद्र की योजना प्रशिक्षण, परामर्श, कार्यान्वयन, अनुसंधान, मानक एवं परीक्षण सहित एकल अम्ब्रेला के अंतर्गत ईण्ड टू ईण्ड आईपीवी6 सेवाओं का वातावरण प्रदान करने के दृष्टिकोण से बनाई गई है।

अन्य कार्यकलाप

दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 28.01.2013 को 11:30 बजे डॉ विन्टॉन जी० सर्फ, सदस्य, राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड, यूएसए के साथ एक घंटे का परस्पर संवाद सत्र आयोजित किया गया था। डॉ० सर्फ, जिन्हें इंटरनेट के जनक में से एक रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल एवं इंटरनेट की संरचना के सह-निर्माता हैं, ने कहा कि आज की मुख्य चुनौती इंटरनेट के लिए सुरक्षा एवं दूसरी आंशकाओं का प्रतिकार करना है और इसके



संचार भवन में एनटी प्रकोष्ठ, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली द्वारा 28 जनवरी, 2013 को आयोजित परस्पर संवाद सत्र के दौरान श्री एस०सी० मिश्र, सदस्य (एस), श्री जे०के० राय, सदस्य(टी), डॉ० विन्टॉन जी० सर्फ, श्री आर० चन्द्रशेखर, सचिव(टी), और सुश्री साधना दीक्षित, सदस्य (एफ)



साथ ही साथ इंटरनेट की मूल संरचना को बनाए रखना है जिसकी वजह से इसे खुला, पारदर्शी, सहभागिता नीति एवं प्रौद्योगिकी विकास आदि के लिए सफल बनाया जा सका है। उन्होंने कहा कि विषय-वस्तु एक महत्वपूर्ण तथ्य बनने वाला है और उन्होंने विषय-वस्तु को स्थानीय भाषाओं में विकसित करने पर जोर दिया। आगे उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) भारत जैसे देश को असीम अवसर प्रदान करता है जिससे कि आईपीवी6 पर आधारित उत्पादों एवं सेवाओं को यहां तैयार किया जा सके और सार्वभौमिक रूप से उनका निर्यात किया जा सके।

निवेश नीति

दूरसंचार सेक्टर के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित लाइसेंसिंग एवं सुरक्षा आवश्यकताओं के अध्यक्षीन होगी, जो इस प्रकार हैं :


क्र. सं.	सेक्टर/कार्यकलाप	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/ इक्विटी की अधिकतम सीमा (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष)	प्रवेश रूट
1.	बेसिक तथा सेलुलर, एकीकृत अभिगम सेवाएं, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी, वी-सैट, सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकड सेवाएं (पीएमआरटीएस), वैश्विक मोबाइल निजी संचार सेवाएं (जीएमपीसीएस) तथा अन्य मूल्यवर्द्धित दूरसंचार सेवाएं	74%	ऑटोमेटिक रूट के तहत 49% तक तथा 49% से अधिक एफआईपीबी के माध्यम से।
2.	गेटवेज सहित आईएसपी, *गेटवे रहित आईएसपी, रेडियो पेजिंग, एंडस-टु-एंड बैण्डविड्थ प्रदाता	74%	ऑटोमेटिक रूट के तहत 49% तक तथा 49% से अधिक एफआईपीबी के माध्यम से।
3.	क) ** डार्क फाईबर, मार्गाधिकार, डक्ट स्पेस, टॉवर (श्रेणी- I) प्रदान करने वाला अवसररचना प्रदाता; (ख) ** इलेक्ट्रॉनिक मेल और वॉयस मेल	100%	ऑटोमेटिक रूट के तहत 49% तक तथा 49% से अधिक एफआईपीबी के माध्यम से।
4.	दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण	100%	ऑटोमेटिक

* सरकार ने दिनांक 24.8.2007 को आईएसपी से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित कर दिया है और नए दिशा-निर्देशों के तहत केवल 74% संयुक्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ आईएसपी लाइसेंसों के लिए प्रावधान किया गया है।

** इस शर्त के अध्यक्षीन कि ऐसी कंपनियां अपनी इक्विटी के 26% भाग को 5 वर्षों में भारतीय जनता के पक्ष में अपवर्तित करेंगी, यदि ये कंपनियां विश्व के अन्य भागों में सूचीबद्ध हैं।



अप्रैल 2000 से नवंबर, 2012 तक दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई का वास्तविक अंतर्वाह 12,623 मिलियन अमरीकी डालर है। गत पांच वर्षों और चालू वर्ष का संचयी एफडीआई आंकड़ा निम्नानुसार है :



स्रोत : डीआईपीपी वेबसाइट

दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण

अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के आगमन और आपरेटरों द्वारा 3जी और ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम सेवाओं के विस्तार की ओर रुख करने से, दूरसंचार उपस्करों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। इस अवसर का लाभ उठाने के प्रयास में सरकार और नीति निर्माता घरेलू विनिर्माण उद्योग का विकास करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। स्वदेशी दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण उद्योग में वृद्धि करने तथा भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने के दृष्टिकोण से, अन्य बातों के साथ, दूरसंचार उपस्कर अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण और मानकीकरण को प्रोन्नत करने के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 (एनटीपी-2012) के लिए उद्देश्य निम्न प्रकार है :

- कौशल एवं क्षमता में वृद्धि करके घरेलू और वैश्विक बाजारों में सेवा प्रदान करने के लिए नव प्रवर्तन, देशी अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देशी अनुसंधान एवं विकास, आरपीआर सृजन, उद्यमिता, विनिर्माण, वाणिज्यिकरण तथा स्टेट-आफ-दि-आर्ट टेलीकॉम उत्पादों एवं सेवाओं के विस्तार के लिए कारपस का सृजन करना।
- डिजाइन के लिए ईको प्रणाली, अनुसंधान एवं विकास, आईपीआर सृजन, परीक्षण, मानकीकरण और विनिर्माण अर्थात् वर्ष 2017 और 2020 तक क्रमशः 45% और 65% के न्यूनतम मूल्य संयोजन के साथ भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र की मांग को 60% और 80% तक पूरा करने के लिए दूरसंचार उपस्कर के घरेलू उत्पादन हेतु पूर्ण मूल्य श्रृंखला को उन्नत करना।
- हमारे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की प्रतिबद्धताओं के समनुरूप, देश के लिए सुरक्षा निहितार्थ वाले और अपने स्वयं के उपयोग के लिए सरकारी प्रापण में, दूरसंचार उत्पादों के प्रापण में देश में निर्मित दूरसंचार उत्पादों को प्राथमिकता देना।



सरकार ने सरकारी प्रापण और सुरक्षा निहितार्थ वाले प्रापण में स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों (दूरसंचार उपस्करों सहित) को प्राथमिकता देने के लिए अधिसूचना सं 8(78)/2010-आईपीएचडब्ल्यू दिनांक 10 फरवरी, 2012 के तहत एक नीति निर्धारित की है।

उपरोक्त अधिसूचित नीति की आगे की कार्रवाई के रूप में, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 की यथासंशोधित अधिसूचना सं 18-07/2012-आईपी के तहत सरकार द्वारा प्रापण किए जाने वाले दूरसंचार उत्पादों को अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना में स्वदेशी निर्मित दूरसंचार उपस्करों के लिए 25% से 65% के न्यूनतम मूल्य संयोजन के साथ 50% से 100% अधिमान्य बाजार अभिगमन का प्रावधान है।

मोबाइल फोन, उनके पुर्जों एवं दूरसंचार केबलों सहित दूरसंचार उपस्करों का आयात और निर्यात

वर्ष 2011-12 के दौरान ₹543146 मिलियन मूल्य और वर्ष 2012-13 (सितंबर, 2012 तक) के दौरान ₹272235 मिलियन मूल्य के मोबाइल फोन, उनके पुर्जों एवं दूरसंचार केबलों सहित दूरसंचार उपस्करों का आयात किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान ₹201989 मिलियन मूल्य और वर्ष 2012-13 (सितंबर, 2012 तक) के दौरान ₹109266 मिलियन मूल्य के मोबाइल फोन, उनके पुर्जों एवं दूरसंचार केबलों सहित दूरसंचार उपस्करों का निर्यात किया गया। आयात और निर्यात का ब्यौरा इस प्रकार है :

मोबाइल फोन, उनके पुर्जों एवं दूरसंचार केबलों सहित दूरसंचार उपस्करों का आयात और निर्यात

एचएस कोड	विवरण	कीमत (मिलियन)			
		आयात		निर्यात	
		2011-12	2012-13 (सितंबर, 12 तक)	2011-12	2012-13 (सितंबर, 12 तक)
851711	कोडलेस हैंड सेटों वाले लाइन टेलीफोन सेट	2493	1373	8966	2478
851712	सेलुलर नेटवर्क या अन्य बेतार नेटवर्क के लिए टेलीफोन	277158	118964	131560	74817
851718	अन्य	2521	1632	655	564
851761	बेस स्टेशन	7723	887	78	39
851762	स्विचिंग सहित वायस, इमेज या अन्य आकड़ों के अभिग्रहण रूपांतरण एवं पारगमन अथवा पुनःउद्भवन के लिए मशीन	58238	28124	5298	2393
851769	अन्य	44011	26366	5460	3437
851770	पुर्जे	128694	83556	37928	19059
852560	अभिग्रहण उपकरण वाले पारगमन उपकरण	3574	1324	508	293
854420	को-एक्सएल केबल एवं अन्य को-एक्सएल इलेक्ट्रिक कन्डक्टर	4705	2821	2433	744
854449	80 वोल्ट या उससे कम वोल्टेज के लिए अन्य इलेक्ट्रिक कन्डक्टर	11854	5962	2359	1157
90011000	ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बंडल और केबल	2175	1226	6744	4285
	कुल	543146	272235	201989	109266

स्रोत : डीजीएफटी वेबसाइट



दिनांक 12 दिसंबर, 2012 को दूरसंचार उपस्कर एवं सेवा निर्यात उन्नयन परिषद की रिवर्स बायर सेलर बैठक के अवसर पर

इंडिया टेलीकॉम 2012

दूरसंचार विभाग ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ (फिक्की) के सहयोग से भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में क्षमताओं और अवसरों को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 13 से 15 दिसंबर, 2012 तक इंडिया टेलीकॉम प्रदर्शनी और सम्मेलन का सातवां संस्करण अर्थात् इंडिया टेलीकॉम 2012 आयोजित किया। इंडिया टेलीकॉम 2012 की थीम न्यू पॉलिसी फ्रेम वर्क : इनविजनिंग दि नेक्स्ट टेलीकॉम रिवोल्यूशन थी। इस सम्मेलन में इस बात पर चर्चा करने के लिए सरकार, नीति निर्माताओं, संभावित निवेशकों, प्रचालकों, निर्माताओं, अवसंरचना प्रदाताओं, विषय-वस्तु प्रदाताओं, शिक्षाविदों और गैर-सरकारी संगठनों को एक मंच पर एकत्र किया गया कि कैसे दूरसंचार अन्य बातों के अलावा, सकल घरेलू उत्पाद, संवृद्धि, रोजगार और राजस्व के अर्थों में भारतीय अर्थ व्यवस्था में सर्व समावेशी विकास ला सकता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 13 दिसंबर 2012 को उद्घाटन समारोह के दौरान कार्यक्रम के सहभागियों को संबोधित कर इस अवसर की शोभा बढ़ायी। प्रदर्शनी को भारी सफलता मिली जिसमें 21 देशों के 203 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी / दूरसंचार कंपनियों ने भाग लिया और कनाडा, स्वीडन, चीन, टीसीओआई द्वारा समूह देश पैविलियन/प्रौद्योगिकी पैविलियन बनाए गए थे तथा 38 देशों के 12,215 आगंतुकों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया।



प्रगति मैदान, नई दिल्ली में इंडिया टेलीकॉम-2012 के 7वें संस्करण में माननीय प्रधानमंत्री



अंतरराष्ट्रीय सहयोग

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में देश के भीतर और बाहर कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भ्रमणों के अलावा, भ्रमणकारी विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श किए गए। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं :

अप्रैल-दिसंबर, 2012 की अवधि दूरसंचार विभाग के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यकलापों और अंतरराष्ट्रीय संबंध क्षेत्र में अनेक दौरों के लिए उल्लेखनीय रहा। आईटीयू, एपीटी, आईटीएसओ, सीटीओ आदि जैसे अंतर सरकारी संगठनों के साथ बहुपक्षीय सहयोग में महत्वपूर्ण गतिविधियां हुईं। भारतीय उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने द्विपक्षीय संबंधों और प्रौद्योगिकीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए विदेशी दौरे किए और विदेशी उच्च प्राधिकारियों ने भी भारत का दौरा किया, जो भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाते हैं।

द्विपक्षीय सहयोग

भारतीय शिष्टमंडल के विदेशी दौरों का विवरण निम्नानुसार है :-

- i. इजराइल : महानिदेशक (सीईआरटी), डाईटी और उप महानिदेशक(सुरक्षा), दूरसंचार विभाग समेत माननीय सूचना एवं संचार मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने दिनांक 3 से 7 अप्रैल, 2012 के बीच तेल अवीव, इजराइल का दौरा किया। दौरे में आईसीटी और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- ii. यूएसए : उप महानिदेशक, सुरक्षा, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 4 से 8 जून को वाशिंगटन में आयोजित साइबर अपराध पर इंडोस्ट्रेटिजीक वार्ता और इण्डो-यूस आईसीटी कार्य समूह की बैठक में हिस्सा लिया।
- iii. पाकिस्तान : उप महानिदेशक (सीएस) दूरसंचार विभाग दिनांक 20 और 21 सितंबर के दौरान वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में द्विपक्षीय बैठक के लिए पाकिस्तान का दौरा करने वाले शिष्टमंडल का हिस्सा थे। वहां दोनों देशों के बीच मोबाइल रोमिंग कार्यान्वयन के बारे में चर्चा हुई।
- iv. कनाडा : उप महानिदेशक, आईपी, दूरसंचार विभाग ने भारतीय संयुक्त शिष्टमंडल के भाग के तौर पर दिनांक 15 से 17 नवंबर के दौरान ओटावा, कनाडा में आयोजित भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) में हिस्सा लिया। दोनों पक्षों ने सीईपीए में निगमित किए जाने हेतु दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में प्रारूप पाठ पर चर्चा की।

भारत का दौरा करने वाले महत्वपूर्ण विदेशी शिष्ट मंडल का विवरण नीचे दिया गया है :-

- i. जापान : महामहिम श्री किमियाकी मैट्सुजाकी, वरिष्ठ उपमंत्री आंतरिक कार्य एवं संचार, जापान ने माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से दिनांक 30 अप्रैल को शास्त्री भवन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आने वाले वर्षों में दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
- ii. फिनलैंड : राजदूत श्रीमती टेरीहाकला ने माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से दिनांक 29 जुलाई को संचार भवन, नई दिल्ली में मुलाकात की।



- iii. लाओ पीडीआर : लाओ पीडीआर के डाक-दूरसंचार और संचार मंत्री श्री हेम पोमाचान्ह ने विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इंडिया एशियान बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। भारत में अपने दौरे के दौरान दिनांक 21 दिसंबर को एमटीएनएल के उच्च प्रबंधन से मुलाकात की और एमटीएनएल नेटवर्क परिचालन केंद्र (एनओसी) और डाटा केंद्र का दौरा किया।

संयुक्त आयोग की महत्वपूर्ण बैठकें

दूरसंचार विभाग के इनपुट वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित संयुक्त आयोग बैठकों को दिए गए। कुछ महत्वपूर्ण इनपुट में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में भारत-जापान की पहली आर्थिक कार्यनीतिक वार्ता दिनांक 30 अप्रैल को आयोजित हुई। भारत-बांग्लादेश की संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में दिनांक 7 मई, 2012 को आयोजित हुई।
- एसपीएस/टीबीटी के संबंध में भारत-ईयू संयुक्त कार्य समूह की 7वीं बैठक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में दिनांक 19 जुलाई को आयोजित हुई।
- भारत-म्यांमार और भारत-स्वीडन की विदेशी कार्यालय परामर्श बैठक विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित हुई।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में भारत-बोस्निया, भारत-हर्जेगोबिना, भारत-बुल्गारिया, भारत-चेक, भारत-स्विटजरलैंड, भारत-साइप्रस के मध्य संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठकें आयोजित हुई।

बहुपक्षीय सहयोग

- महासचिव (एसजी) आईटीयू दौरा : आईटीयू के महासचिव डॉ० हमडौन टोरे दिनांक 7-9 मई के दौरान भारत के प्रथम आधिकारिक दौरे पर रहे। उन्होंने माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और दूरसंचार विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठकें की। वे उद्योग जगत के नेताओं, उद्योग संघों से भी मिले। क्षेत्र में आईटीयू विकास परियोजनाओं, डब्ल्यूसीआईटी आदि में



डॉ० हमडौन टोरे, महासचिव, आईटीयू के साथ श्री कपिल सिब्बल, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री



डॉ० हमडौन टोरे, महासचिव, आईटीयू के साथ श्री मिलिन्द देवरा, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री



भारतीय भागीदारी आमंत्रित करने के संदर्भ में आईटीयू और भारत के बीच सहयोग के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार-विमर्श हुआ।

- ii. एसएसईसी सूचना हाइवे : उप महानिदेशक(सीएस) ने मनीला, फिलीपिन्स में दिनांक 25 से 27 अप्रैल, 2012 के दौरान दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएसईसी) सूचना हाइवे द्विपक्षीय अंतर संयोजन समझौता बैठक में हिस्सा लिया। इस परियोजना के तकनीकी एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हुई।
- iii. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (आईटीएसओ) : दूरसंचार आयोग के सदस्य (सेवाए) ने निदेशक, उपसचिव-1, दूरसंचार विभाग के साथ दिनांक 3 से 6 जुलाई के दौरान कम्पाला में आयोजित 35वीं आईटीएसओ एसेंबली पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया। आईटीएसओ एसेम्बली ने आईटीएसओ संरचना और समझौते को जारी रखने के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। भारत ने भी आईटीएसओ समझौते को 2013 के बाद भी जारी रखने के पक्ष में वोट दिया।
- iv. सूचना आधारित समाज संबंधी विश्व सम्मेलन (डब्ल्यूएसआईएस) : उप महानिदेशक (आईआर) दूरसंचार विभाग ने दिनांक 15 से 18 मई, 2012 के दौरान जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित डब्ल्यूएसआईएस की बैठक में हिस्सा लिया। डब्ल्यूएसआईएस के साथ-साथ इंटरनेट अभिशासन से संबंधित मुद्दे पर सीएसटीडी (विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग-यूएन) द्वारा एक बैठक का अयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान यूएन में भारत के स्थाई प्रतिनिधि (पीआर) ने डब्ल्यूएसआईएस निष्कर्ष में की गई परिकल्पना के अनुसार इंटरनेट के समग्र अभिशासन में समुन्नत सहयोग प्राप्त करने के लिए की गई अपेक्षित कार्रवाई को रेखांकित करते हुए एक विवरण प्रस्तुत किया।
- v. विश्व दूरसंचार/आईसीटी संकेतक बैठक (डब्ल्यूटीआईएम) : सलाहकार (इको.) दूरसंचार विभाग और निदेशक (आईआर-1), दूरसंचार विभाग ने सितंबर में बैंकाक में आयोजित डब्ल्यूटीआईएम में हिस्सा लिया। डब्ल्यूटीआईएम और दूरसंचार/आईसीटी संकेतक (ईजीटीआई) संबंधी विशेषज्ञ समूह बैठक में समुन्नत आईसीटी विस्तार और उपयोग की दिशा में नीति निर्धारकों और उद्यमों को इनपुट प्रदान करने के लिए दूरसंचार/आईसीटी संबंधी नए संकेतकों को शामिल करने तथा डाटा एकत्रीकरण और विश्लेषण को मजबूत बनाने के लिए एक तंत्र की व्यवस्था करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- vi. नंबर पोर्टेबिलिटी वैश्विक सम्मेलन : वरिष्ठ उप महानिदेशक (एसएस), दूरसंचार विभाग ने दिनांक 22-24 अक्टूबर के दौरान इस वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया जिसमें नंबर पोर्टेबिलिटी प्रणाली में प्रौद्योगिकी, विनियामक एवं नीति संबंधी रुझानों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।
- vii. आईटीयू के एशिया पैसिफिक उत्कृष्ट केंद्रों (एसपीसीओई) की प्रबंधन समिति (एमसी) की बैठक : उप महानिदेशक (बीबी), यूएसओएफ ने दिनांक 8-12 अक्टूबर के दौरान बुसान में एसपी सीओई की एमसी बैठक में भाग लिया। एमसी बैठक में चालू वर्ष के कार्यकलापों की समीक्षा की गई और सदस्य देशों के साथ आगामी वर्ष के लिए नई योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया। भारत एसपी सीओई की प्रबंधन समिति में है जो क्षेत्रीय सदस्य देशों में आईसीटी के संबंध में क्षमता निर्माण का कार्य करती है। दूरसंचार के क्षेत्र में भारत की सुविज्ञता एवं सफलता को शेयर करने के लिए दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल/एमटीएनएल प्रशिक्षण केंद्रों से इन तकनीकी प्रशिक्षणों को उन्नत करने और प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।



- viii. डब्ल्यूसीआईटी और विश्व टेलीकॉम नीति फोरम बैठकों से संबंधित सूचना सत्र : उप महानिदेशक (आईआर) ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विनियमों (आईटीआर) की समीक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संबंधी आगामी ऐतिहासिक विश्व सम्मेलन (डब्ल्यूसीआईटी) के अग्रदूत के रूप में दिनांक 8-12 अक्टूबर के दौरान जेनेवा में बैठकों में भाग लिया। यह कार्यक्रम आईटीआर मसौदा प्रावधानों पर अलग-अलग देश की स्थिति को समझने के लिए सार्थक साबित हुआ।
- ix. एशिया पैसिफिक टेली-कम्युनिटी (एपीटी) की प्रबंधन समिति की बैठक : सदस्य (वित्त) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, जिसके साथ सलाहकार (प्रौद्योगिकी), निदेशक (आईआर-1) भी थे, ने दिनांक 6-9 नवंबर के दौरान बैंकाक में बैठक में भाग लिया। वार्षिक रूप से होने वाली इस बैठक के दौरान एपीटी वार्षिक कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और टेलीकम्युनिटी एवं सरकारों के बीच आवश्यक समझौतों के बारे में चर्चा की गई। समिति ने वर्ष 2013 के लिए कार्य कार्यक्रम, वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बजट की समीक्षा की और उसका अनुमोदन किया।
- x. सीटीओ बैठक का 52वां सत्र एवं वार्षिक फोरम, अक्टूबर 22-26, 2012, मारीशस : सलाहकार (प्रौद्योगिकी) की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने सीटीओ बैठक एवं वार्षिक फोरम में एक प्रेक्षक के रूप में भाग लिया। कई वर्षों के अंतराल के बाद, भारत ने राष्ट्रमंडल टेलीकम्युनिटी के साथ संबंध की समीक्षा करने के लिए सीटीओ कार्यक्रम में भाग लिया।
इस फोरम की थीम विकास के लिए मोबाइल ब्रॉडबैंड थी और इसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया था।
- xi. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार पर विश्व सम्मेलन (डब्ल्यूसीआईटी) 2012 : यह ऐतिहासिक सम्मेलन दूरसंचार प्रौद्योगिकी, सेवाएं एवं बाजार संरचना में रूपांतरण के मद्देनजर मेलबोर्न में 1988 में मूलरूप से तैयार किए गए आईटीआर की समीक्षा हेतु दिनांक 3-14 दिसंबर के दौरान दुबई में आयोजित किया गया। आईटीआर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सुविधाओं एवं सेवाओं के सुव्यवस्थित वर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विनियमों में सामान्य सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। विभिन्न स्तरों पर जन-साधारण और निजी पणधारियों के साथ अनेक परामर्श के बाद, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नवंबर में पणधारियों की एक बैठक भी बुलाई जिसमें उद्योग संघ, सिविल सोसायटी के सदस्य शामिल थे और उन्होंने डब्ल्यूसीआईटी-12 में किए गए विचार-विमर्श का इनपुट लिया। सचिव (टी) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सलाहकार (प्रौद्योगिकी), उप महानिदेशक (आईआर), निदेशक (आईआर-1) शामिल थे, ने और उद्योग के सदस्यों के एक विशाल दल ने इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लिया जिसमें आईटीआर-12 निष्पादन दस्तावेज तैयार किया गया, जो भारत के विचाराधीन है।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रदर्शनी एवं बढ़ावा देने वाले कार्यकलाप

- i. दूरसंचार टेलीमेट्री और सूचना प्रौद्योगिकी पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तुर्कमेन टेल, 2012
माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने आईसीटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तुर्कमेन टैल, 2012 में भाग लेने के लिए सितंबर 17-18, 2012 के दौरान अशागाबट, तुर्कमेनिस्तान के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने तुर्कमेनिस्तान का



दौरा किया। इस दौरान तुर्कमेनिस्तान के शिक्षा/सूचना प्रौद्योगिकी एवं परिवहन/संचार के प्रभारी मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

चर्चा के दौरान, माननीय मंत्री ने तुर्कमेनिस्तान में दूरसंचार अवसंरचना, विशेषरूप से उपग्रह प्रणाली और ओएफसी नेटवर्क स्थापित करने में भारत की सहायता का प्रस्ताव किया। उन्होंने आईसीटी अनुप्रयोग तथा तुर्कमेनिस्तान की जरूरतों के आधार पर तुर्कमेनिस्तान के विद्यार्थियों को कम कीमत वाला टैबलेट "आकाश" प्रदान करने जैसी सेवाओं के माध्यम से नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए अवसंरचना निर्माण में भी भारत के सहयोग का प्रस्ताव किया।



तुर्कमेनिस्टान, 2012 के पूर्ण सत्र के दौरान संबोधित करते हुए माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल

- ii. दुबई में आईटीयू टेलीकॉम वर्ल्ड, 2012 : माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 14-15 अक्टूबर के दौरान दुबई में आईटीयू टेलीकॉम वर्ल्ड, 2012 में भाग लिया। इस प्रतिनिधि मंडल में सचिव (टी), वरिष्ठ उप महानिदेशक (टीईसी), माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के निजी सचिव और निदेशक (आईआर-।।) शामिल थे।

माननीय मंत्री ने उच्च स्तरीय पूर्ण अर्थात् अध्यक्षीय सत्र और साइबर वेलफेयर संबंधी सत्र में भाग लिया। माननीय मंत्री ने जीआईटीईएक्स, 2012 के लिए भारतीय पैविलियन का उद्घाटन किया। आईटीयू टेलीकॉम वर्ल्ड के साथ-साथ, माननीय मंत्री ने महासचिव आईटीयू, संचार मंत्री अजरबैजान और इंटरनेट सैट वरिष्ठ प्रबंधन के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की। इस कार्यक्रम के दौरान आईटीयू में माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ एक अनन्य वीडियो साक्षात्कार किया।

उच्चस्तरीय अध्यक्षीय सत्र

- iii. शंघाई प्रदर्शनी : निदेशक (टी) ने इंडिया टेलीकॉम, 2012 प्रदर्शनी और सम्मेलन की अंतर्राष्ट्रीय प्रोन्नति के लिए दिनांक 20-22 जून के दौरान शंघाई, चीन का दौरा किया।
- iv. फ्यूचर काम : उप महानिदेशक (आईपी) ने दिनांक 08-11 अक्टूबर के दौरान रियो डि जेनेरो, ब्राजील में फ्यूचरकाम, 2012 कार्यक्रम में भाग लिया।
- v. जीआईटीईएक्स-2012 : निदेशक (आईपी) ने दिनांक 14-18 अक्टूबर के दौरान दुबई में आयोजित जीआईटीईएक्स, 2012 मेले में भाग लिया।
- vi. इंडिया टेलीकॉम, 2012 को बढ़ावा : निदेशक (टी) ने इंडिया टेलीकॉम, 2012 को विदेश में बढ़ावा देने के लिए दिनांक 23-27 अक्टूबर, 2012 के दौरान कनाडा का दौरा किया।



आईटीयू/एपीटी के साथ क्षमता निर्माण कार्यक्रम और आईटीयू-टी अध्ययन समूह बैठक तथा अन्य सम्मेलन

आईटीयू एवं एपीटी सत्र के कथन

- i. 12वीं एपीटी नीति एवं विनियामक फोरम में हरित पहलें : वरिष्ठ उप महानिदेशक (बीडब्ल्यू), दूरसंचार विभाग ने बैंकाक, थाईलैंड में दिनांक 21-23 मई के दौरान 12वीं एपीटी नीति एवं विनियामक फोरम बैठक में हरित पहलों पर 6वें सत्र में वक्ता के रूप में भाग लिया।
- ii. राष्ट्रीय फ्रिक्वेंसी आवंटन तालिका तैयार करने संबंधी कार्यशाला : संयुक्त बेतार सलाहकार, डब्ल्यूपीसी, कोलकाता, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 20-23 मई के दौरान इस्फहान, ईरान इस्लामिक गणराज्य में आयोजित राष्ट्रीय फ्रिक्वेंसी आवंटन तालिका तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम विनियम से संबंधित आईटीयू एएसपी सीओई प्रशिक्षण कार्यशाला में वक्ता के रूप में भाग लिया।

आईटीयू अध्ययन समूह की बैठकें

- i. आईटीयू-टी अध्ययन समूह 12 : उप महानिदेशक (एन) टीईसी ने दिनांक 29 मई से 7 जून तक जेनेवा में आयोजित क्यूओएस और क्यूओई निष्पादन संबंधी आईटीयू-टी अध्ययन समूह की बैठक में भाग लिया।
- ii. आईटीयू-टी अध्ययन समूह की 11वीं बैठक : निदेशक (एसडब्ल्यू), दूरसंचार ने दिनांक 11-15 जून के दौरान जेनेवा में आयोजित सिगनलिंग आवश्यकता प्रोटोकाल और परिक्षण विशिष्टताओं से संबंधित आईटीयू-टी अध्ययन समूह की 11वीं बैठक में भाग लिया।
- iii. डब्ल्यूटीएसए, दुबई : निदेशक (एम-11) सहित उप महानिदेशक (एनजीएन), दूरसंचार के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने दिनांक 19 से 29 नवंबर, 2012 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में आयोजित विश्व दूरसंचार मानकीकरण एसेंबली डब्ल्यूटीएसए-12 में भाग लिया।
- iv. विशिष्ट आमेलन दर (एसएआर) प्रयोगशाला की स्थापना : टीईसी, दिल्ली और क्षेत्रीय टीईसी के छह सहायक महानिदेशक वाले एक टीईसी शिष्टमंडल ने टीईसी में एसएआर प्रयोगशाला स्थापित करने के एक भाग के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु दिनांक 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के दौरान बीइएम परिसर, ज्यूरिख का दौरा किया।
- v. प्रशिक्षण कार्यक्रम : आईटीयू/एपीटी/जेआईसीए फ़ैलोशिप के अंतर्गत विभिन्न दूरसंचार प्रौद्योगिकी और नीति कार्यक्रमों से संबंधित एएसपी, सीओई, जेआईसीए में 13 और अधिकारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

राजभाषा (हिंदी)

राजभाषा प्रभाग संयुक्त सचिव (प्रशासन) के पूर्ण प्रशासनिक प्रभार के अंतर्गत है। इसका नेतृत्व संयुक्त निदेशक द्वारा किया जाता है जिनकी सहायता दो उपनिदेशक, दो सहायक निदेशक, एक अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सहयोगी स्टाफ करते हैं।



कार्यकलाप

वर्ष 2012-13 की अवधि (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान, दूरसंचार विभाग के राजभाषा प्रभाग द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलापों से संबंधित कार्य किए गए :

भारत सरकार की राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी अनुभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राजभाषा अधिनियम, नियमों एवं उनके तहत जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करने की सलाह दी गई ताकि राजभाषा विभाग द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2012-13 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। विभाग, इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए गए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान राजभाषा अधिनियम-1963 की धारा 3(3) का पूर्णतः अनुपालन किया गया।

मानीटरिंग और निरीक्षण

दूरसंचार विभाग के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों/कारपोरेट्स में संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान राजभाषा प्रभाग ने एक समन्वयक के रूप में कार्य किया। संसदीय समिति की बैठकों में विभाग का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव (प्रशा0) द्वारा किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान पूरे भारत में ऐसे 14 निरीक्षण किए गए। राजभाषा प्रभाग ने इस संबंध में जारी किए गए राजभाषा अनुदेशों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र रूप से ऐसे आठ निरीक्षण भी किए।

कार्यशाला/सम्मेलन में भागीदारी

दूरसंचार विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशा0) और संयुक्त निदेशक (रा0भा0) और राज्य मंत्री (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी) के अतिरिक्त निजी सचिव ने दिनांक 22 से 24 सितंबर, 2012 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहांसबर्ग में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लिया।

हिंदी भाषा, हिंदी कंप्यूटर/टाइपराइटिंग में प्रशिक्षण

सात प्रवर श्रेणी लिपिक, एक उच्च श्रेणी लिपिक और दो सहायकों को अगस्त, 2012 से शुरू होने वाले हिंदी टाइपराइटिंग प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया। इसके अलावा, इस सत्र के दौरान 10 निजी सहायकों को भी हिंदी आशुलिपि की कक्षाओं के लिए नामित किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित अंतरालों पर आयोजित की गईं जिनमें विभाग में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई। इस वर्ष के दौरान ऐसी चार बैठकें आयोजित की गईं।



हिंदी कार्यशाला

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंप्यूटरों पर हिंदी के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग और यूनिकोड सुविधा के संबंध में तीन हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

विभाग में 1 सितम्बर, 2012 से 14 सितम्बर, 2012 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। विभाग में राजभाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस प्रतियोगिता में 115/अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया जिसमें से 87 अधिकारियों को सराहना प्रमाणपत्र सहित नगद पुरस्कार हेतु सफल घोषित किया गया। सफल प्रतिभागियों को संयुक्त सचिव (प्रशा0) द्वारा 09.10.2012 को आयोजित हिंदी पखवाड़ा के पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार वितरित किए गए।

हिंदी सलाहकार समिति

दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 11 दिसंबर, 2010 को किया गया। इसकी पहली बैठक माननीय, गृह, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 29.03.2011 को बेंगलुरु में आयोजित की गई। दूसरी बैठक माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में संचार भवन, नई दिल्ली में दिनांक 17.11.2011 को आयोजित की गई और तीसरी बैठक माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 24.07.2012 को मुंबई में आयोजित की गई।



श्री मिलिन्द देवरा, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री दिनांक 24.07.2012 को मुंबई में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में विचार व्यक्त करते हुए।



अनुवाद कार्य

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संयुक्त संसदीय समिति बैठक, स्थाई समिति/अनुदान मांग/संसदीय आश्वासन आदि से संबंधित अनेक दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया।

यह प्रभाग विभाग की वेबसाइट के हिंदी रूपांतरण में भी सक्रिय रूप से शामिल रहा। रूटीन अनुवाद कार्य के अलावा, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण दस्तावेजों (संसद के दोनों सदनों के पटल पर इस विभाग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों/प्रतिवेदनों सहित) का अनुवाद किया गया और इन्हें द्विभाषी रूप में तैयार किया गया।

कर्मचारी कल्याण तथा खेलकुद संबंधी कार्यकलाप

कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत, दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के स्कूल/कालेजों में पढ़ने वाले मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति, बुक अवार्ड और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को वाहन भत्ता/छात्रावास राज-सहायता भी प्रदान की जाती है। कार्यक्रम में विपत्तिग्रस्त कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और मनोरंजन भ्रमण यात्राओं आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना भी शामिल है। वर्ष (अप्रैल-दिसंबर, 2011) के दौरान कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए :

- मृतक कर्मचारियों के परिवारों को ₹1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपए मात्र) की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई।
- दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) के कर्मचारियों को उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र (एनटीआर)/भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विभिन्न खेलकुद-कार्यक्रमों में तथा अंतर्मंत्रालयीय खेलकुद कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया।
- दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के स्कूल में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को बुक अवार्ड (472 बच्चों के लिए ₹6,93,500), छात्रवृत्ति (87 बच्चों को ₹3,82,600) और प्रोत्साहन राशि (113 बच्चों को ₹75,000) वितरित की गई।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी स्कीमें और प्रावधान

कल्याणकारी स्कीमें व्यापक तौर पर महिला-पुरुष तटस्थ और समग्र स्वरूप की हैं। तथापि, कुछ स्कीमों जैसे बुक अवार्ड, स्कॉलरशिप अवार्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों को अंकों में छूट दी जाती है। इन श्रेणियों के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि बुक अवार्ड/स्कॉलरशिप योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र आवेदकों को प्रदान किए जाते हैं। महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में कर्मचारी कल्याण निधि से किया गया व्यय निम्नानुसार है :

- महिला कल्याण पर व्यय की गई धन राशि : ₹6,07,200/-
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास पर व्यय की गई धनराशि : ₹2,42,500/-



महिला दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए ₹17,400 की सहायता भी प्रदान की गई थी। इसके अलावा, दबी-कुचली श्रेणियों की महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संचार भवन में प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है।

जेंडर बजटिंग

दूरसंचार विभाग में नवंबर, 2006 में जेंडर बजट प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। उक्त प्रकोष्ठ को आगे अप्रैल, 2010 में पुनर्गठित किया गया था। विभाग का जेंडर बजट प्रकोष्ठ सरकार की जेंडर बजट संबंधी पहल के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा इस क्षेत्र में विभिन्न स्कीमों की आयोजना तथा प्रतिपादन के स्तर पर संबंधित जेंडर के सरोकार को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए दूरसंचार विभाग की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है।

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए महिलाओं के हितलाभ के लिए गैर-योजना शीर्ष के अंतर्गत निधियों का आवंटन निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)						
स्कीम का ब्यौरा	ब0अ0 2011-12		सं0अ0 2011-12		ब0अ0 2012-13	
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
कर्मचारियों की सुख-सुविधा	—	0.08	—	0.10	—	0.10
सार्वभौमिक सेवा दायित्व स्कीम	0.50	—	—	—	2.20	—

कंप्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी पहल

विभिन्न ई-अभिशासन और सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के संबंध में विभाग की कुछेक पहलें निम्नानुसार हैं :-

(i) वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा

वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा दूरसंचार विभाग में इस वर्ष शुरू की गई। ऐसी ही एक पहल के तहत हिंदी सलाहकार समिति की बैठक मुंबई में दिनांक 24.07.2012 को आयोजित की गई। वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का प्रयोग करके दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल/एमटीएनएल और नई दिल्ली स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों ने माननीय राज्य मंत्री (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी) की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित बैठक की कार्यवाही में भाग लिया।

(ii) ई-प्राप्ति प्रणाली

यह अनुप्रयोग लाइसेंस शुल्क/स्पैक्ट्रम प्रभार और अन्य प्रकार की राजस्व प्राप्ति को एनईएफटी/आरटीजीएस/क्रेडिट कार्ड, ऑन लाइन अथवा ऑफ लाइन के माध्यम से सीधे प्राप्त करने में समर्थ करेगा।

(iii) ई-आफिस

ई-आफिस अनुप्रयोग के माध्यम से दूरसंचार विभाग में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले लोगों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं :-

1. ई-फाइल/एफटीएस
2. डाक्यूमेंट या नालेज मैनेजमेंट सिस्टम (केएमएस)



3. ई-लीव
4. ई-नियुक्ति सेवाएं
5. पीआईएस वेब आधारित कार्मिक सूचना प्रणाली है।
6. पे-रोल

ई-आफिस अनुप्रयोग एनआईसी द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा जिसकी कुल अनुमानित लागत 5 वर्षों के लिए ₹20.48 लाख होगी। इसके तहत निर्दिष्ट लागत में वार्षिक रख-रखाव और अन्य प्रशासनिक प्रभार शामिल हैं। यह परियोजना दिनांक 01.10.2012 से फाइल ट्रेकिंग सिस्टम और ई-प्राप्ति की शुरुआत के साथ ही सफलता पूर्वक शुरू हो गई है। अनेक मानव संसाधन सेवाएं जैसे कि वेतन पर्ची, आयकर विवरण (फार्म-16) और नियुक्तियां अब ई-आफिस अनुप्रयोग पर सरलता से देखी जा सकती हैं। नालेज मैनेजमेंट प्रणाली का क्रियान्वयन दिनांक 01.12.2012 से सी एंड ए प्रभाग में पहले ही शुरू हो चुका है। यह माड्यूल दूरसंचार विभाग के मुख्यालय को अन्य प्रभागों में वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत तक शुरू किया जाएगा।

- (iv) सिंगल विंडो प्रणाली के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से दूरसंचार पेंशन का संवितरण : दूरसंचार विभाग तथा सरकारी क्षेत्र के 24 बैंकों के मध्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों को केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीपीसी) के माध्यम से दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 से सिंगल विंडो प्रणाली के अंतर्गत दूरसंचार पेंशन का संवितरण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर दिनांक 19 सितंबर, 2012 को हस्ताक्षर किए गए। इससे पीपीओ को भुगतान करने वाली शाखा में भेजने तथा पेंशन के समयबद्ध संवितरण में होने वाले विलंब पर रोक लगेगी। इससे सरकारी क्षेत्र के बैंक आरबीआई (सीएस) द्वारा दूरसंचार पेंशनभोगियों को संवितरित राशि की आसान प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में सहायता। पेंशन संवितरण का यह तंत्र निःसंदेह पेंशन संबंधित शिकायतों को कम करेगा।
- (v) ई-भुगतान : वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ₹25000/- से अधिक के सभी भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से किए जाएंगे। यह दूरसंचार विभाग में कार्यान्वित किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग द्वारा जीईपीजी वेबसाइट का प्रयोग करके ई-भुगतान कार्यान्वित करने के लिए जरूरी अवसंरचना और तैयारी शुरू कर दी गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

इस विभाग में सूचना का अधिकार की एक पृथक इकाई की स्थापना की गई और यह दूरसंचार विभाग द्वारा 1 जनवरी, 2007 से कार्य कर रही है।

दूरसंचार विभाग की सूचना का अधिकार इकाई जनता की संतुष्टि के अनुरूप आरटीआई आवेदनों के निपटान की प्रणाली को निरंतर सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रही है। आरटीआई इकाई जिसमें केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में उप सचिव, सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में अवर सचिव तथा अनुभाग अधिकारी की अध्यक्षता में आरटीआई अनुभाग हैं, जो समूचे विभाग, इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों तथा अन्य विभागों/मंत्रालयों के लिए नोडल इकाई के रूप में कार्य रही है। इसके अलावा आरटीआई आवेदनों/अपीलों का शीघ्र निपटान सुकर बनाने के लिए दूरसंचार विभाग के 69 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

वर्ष 2012 अप्रैल-दिसंबर के दौरान, 2442 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 650 आवेदनों को अन्य विभागीय लोक प्राधिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पास भेजा गया। सूचना के साथ आवेदनों का निपटान लगभग 99%



रहा। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो अपवाद हैं, उनको छोड़कर सूचना प्रदान करने से मनाही नहीं की गई।

लोक शिकायत और उनका निवारण

दूरसंचार विभाग अपने लोक शिकायत प्रकोष्ठ में माननीय प्रधानमंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के कार्यालय, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, अति विशिष्ट व्यक्तियों, अध्यक्ष के कार्यालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा जनता से सीधे शिकायतें प्राप्त करता है। दूरसंचार विभाग का लोक शिकायत प्रकोष्ठ शिकायतों के शीघ्र और समय पर निपटान के लिए उनकी निगरानी करता है। वर्ष 2012-13 (31 दिसंबर, तक) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

दिनांक 30 अप्रैल, 2012 की स्थिति के अनुसार आरंभिक शेष	उक्त अवधि के दौरान दर्ज की गई शिकायतें (अप्रैल-दिसंबर, 2012)	कुल	उक्त अवधि के दौरान निपटाई गई शिकायतें (अप्रैल-दिसंबर, 2012)	दिनांक 1 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार शेष
4055	61070	65125	60293	4832

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का कार्यान्वयन

भारत सरकार की नीति के अनुसार, निदेशक (कर्मचारी सम्बन्ध) के पर्यवेक्षण के तहत दूरसंचार विभाग में एक एससी/एसटी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है जिन्हें दूरसंचार विभाग के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। संपर्क अधिकारी न केवल विभाग के अधिकारियों को अपितु दूरसंचार विभाग के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी दिशा-निर्देश देता है।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन

वर्ष 2012-13 (दिसंबर, 2012 तक) की अवधि के दौरान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 60 निर्णय/आदेशों का कार्यान्वयन किया गया।

परिणाम संरचना दस्तावेज (रिजल्ट फ्रेमवर्क डोक्युमेंट)

सरकारी कार्य निष्पादन संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने विभाग द्वारा प्रस्तुत आकड़ों के आधार पर दूरसंचार विभाग के निष्पादन की समीक्षा की और वर्ष 2011-12 के लिए 63.69 का संयुक्त स्कोर अनुमोदित किया। यह स्कोर विभाग द्वारा प्रस्तुत संयुक्त स्कोर से 1.48 कम था जो शिकायत निवारण तंत्र के क्रियान्वयन की स्वतंत्र जांच के संबंध में स्कोर में हुई कमी के कारण था। वर्ष 2011-12 के लिए मूल उद्देश्यों, सफलता सूचकों, लक्ष्यों और निष्पादन के मध्य परस्पर प्राथमिकता दर्शाने वाला परिणाम संरचना दस्तावेज अनुबंध-I में दिया गया है।



III. 1 बेतार आयोजना एवं समन्वय

दूरसंचार विभाग का बेतार आयोजना और समन्वय स्कन्ध स्पैक्ट्रम प्रबंधन, बेतार लाइसेंसिंग, फ्रीक्वेंसी आबंटन, स्पैक्ट्रम प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय समन्वय तथा रेडियो संचार प्रणालियों के लिए भारतीय तार अधिनियम 1885 (आईटीए, 1885) और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 (आईडब्ल्यूटीए, 1993) के प्रशासन का कार्य देखता है।

स्पैक्ट्रम प्रबंधन

स्पैक्ट्रम प्रबंधन प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं का संयोजन है, जो रेडियो संचार सेवाओं के कुशल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। स्पैक्ट्रम का प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना (एनएफएपी) की रेडियो विनियमावली की अंतरराष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन तालिका के अनुसार किया जाता है और इसमें विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप मुक्त प्रचालन (ईएमआई)/विद्युत चुंबकीय संगतता (ईएमसी) को भी सुनिश्चित किया जाता है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

- क. सीडीएमए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले प्रचालक सेलुलर मोबाइल सेवा 800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड (824–844 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित 869–889 मेगाहर्ट्ज) में फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं।
- ख. जीएसएम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले प्रचालक सेलुलर मोबाइल सेवा 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड (935–960 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित 890–915 मेगाहर्ट्ज) और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड (1805–1880 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित 1710–1785) में फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं।
- ग. डब्ल्यूसीडीएमए (3जी) प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले प्रचालक मोबाइल सेवाएं 2.1 गीगाहर्ट्ज (2110–2170 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित 1920–1980 मेगाहर्ट्ज) का उपयोग करते हैं।
- घ. बीडब्ल्यूए सेवा के प्रचालक 2.3–2.4 गीगाहर्ट्ज और 2.5–2.69 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं।
- ङ. इन नेटवर्कों के लिए प्रचालक बिंदु-दर-बिंदु नियत माइक्रोवेव एक्सेस 15/18/21/23 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करते हैं क्योंकि यह ऐसे सभी नेटवर्कों का अन्य उपलब्ध नेटवर्कों को इंटरफेस मुक्त परिचालन सुनिश्चित करने हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अनुकूलता के लिए उचित है।
- च. इन नेटवर्कों के लिए प्रचालक बैकबोन माइक्रोवेव एक्सेस 6/7 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करते हैं।
- छ. बीडब्ल्यूए सेवा प्रदाताओं में से एक ने कोलकाता और बंगलुरु सेवा क्षेत्र में अपनी बीडब्ल्यूए सेवाओं की शुरुआत की है।
- ज. इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) 2.7–2.9 गीगाहर्ट्ज और 3.3–3.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करते हैं।
- झ. विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंडों में केवल सरकार, पीएसयू और निजी कंपनियों के इस्तेमाल हेतु भी फ्रीक्वेंसी समनुदेशित की जाती हैं।
- ञ. 800 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज के 2जी बैंड में स्पैक्ट्रम की नीलामी की गई। की गई नीलामी में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम के लिए किसी बोली की अभिरुचि अभिव्यक्त नहीं की गई। 1800 मेगाहर्ट्ज में स्पैक्ट्रम की नीलामी जो दिनांक 12.11.2012 को शुरू हुई और प्रत्येक भागीदार जिसने स्पैक्ट्रम के लिए बोली लगाई थी, में उक्त को सुनिश्चित करते हुए दिनांक 14.11.2012 को पूरी हुई। चार सेवा क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली,



मुंबई, कर्नाटक और राजस्थान में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है। 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी में आवंटित ब्लॉकों का कुल मूल्य ₹9407.64 करोड़ था।

- ट. दिनांक 01.07.2008 से 6.2 मेगाहर्ट्ज से अधिक और दिनांक 01.01.2013 से 4.4 मेगाहर्ट्ज से अधिक के मौजूदा जीएसएम आपरेटरों द्वारा धारित स्पैक्ट्रम पर एकबारगी स्पैक्ट्रम प्रभार लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
- ठ. 4 सेवा क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक और राजस्थान जहां पिछली नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी, में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम की नीलामी नवंबर, 2012 में आयोजित की गई, तीन मेट्रो सेवा क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम की नीलामी और 21 सेवा क्षेत्रों में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम की नीलामी मार्च, 2013 में की जानी है।
- ड. उड़ान संबंधी सुरक्षा, इंटरफेस मुक्त प्रचालन और संबंधित स्थल पर अवरोध उत्पन्न न होने को सुनिश्चित करके फिक्स्ड वायरलेस स्टेशन के लिए एसएसीएफए क्लियरेंस प्रदान किया गया है।
- ढ. 433–434 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड का लाइसेंस समाप्त करना : विभिन्न आवेदकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर नान-इंटरफेस, असुरक्षित और साझा (गैर अनन्य) आधार पर 433 से 434 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में इंडोर अनुप्रयोगों के लिए लो-पावर उपकरण अथवा औजारों के प्रयोग हेतु 433–434 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड का लाइसेंस समाप्त करने के लिए दिनांक 12 सितंबर, 2012 को एक राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 680 (असाधारण) जारी की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय समन्वय

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) की अंतर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमावली (आरआर) के उपबंधों के अनुसार सेटलाइट प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय समन्वय किया जाना अपेक्षित है। अलग-अलग व्यक्तिगत सेटलाइट नेटवर्क के लिए फ्रीक्वेंसी समनुदेशन का समन्वय इन नेटवर्कों के पारस्परिक सह-आस्तित्व और इंटरफेस मुक्त परिचालन के लिए अन्य प्रशासन के सेटलाइट नेटवर्क के साथ आवश्यक है। तकनीकी मामलों का समाधान करने के लिए एशिया ब्रॉडकास्ट सेटलाइट (एबीएस) के साथ सितंबर, 2012 के दौरान आपरेटर स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई।

आईटीयू के साथ समन्वय

क. अधिसूचनाएं

पंजीकरण हेतु आवृत्ति नोटिस आईआरएस-पी5 (एनजीएसओ) तथा आईआरएस कार्टोसैट-2 (एनजीएसओ) उपग्रह नेटवर्कों के लिए अनुरोध रेडियो संचार ब्यूरो के बीआरआईएफआईसी में प्रकाशन हेतु बीआर को अग्रेषित कर दिए गए हैं और बीआर आईएफआईसी के संबंधित वर्ग में बीआर द्वारा इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है।

पंजीकरण हेतु आवृत्ति नोटिस उपग्रह नेटवर्कों इनसैट-2 (83) (83ई), इनसैट-केयू10 (111.5)ई इनसैट के यूआईओ (55)ई इनसैट-एनएवी-जीएस (एनजीएसओ) और इनसैट-एनएवी-ए-जीएस (एनजीएसओ) के लिए अनुरोध रेडियो संचार ब्यूरो के बीआर आईएफआईसी में प्रकाशन हेतु बीआर को अग्रेषित कर दिया गया है और बीआर आईएफआईसी के संबंधित वर्ग में बीआर द्वारा इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है।



ख. प्रशासनिक सम्यक तत्परता

इनसैट-केयूआईआई(55)ई (55)ई सेटेलाइट नेटवर्कों के संदर्भ में प्रशासनिक सम्यक तत्परता को रेडियो संचार ब्यूरो के बीआर आईएफआईसी में प्रकाशन हेतु आईटीयू को अग्रेषित कर दिया गया है और बीआर आईएफआईसी के संबंधित वर्ग में बीआर द्वारा इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है।

ग. समन्वय अनुरोध

भारत के मंगल अभियान, भारतीय प्रबंधन के आरआईएसएटी (एनजीएसओ) इनसेट-एनएवी-जीएस (एनजीएसओ) और इनसेट-एनएवी-ए-जीएस (एनजीएसओ) सेटेलाइट नेटवर्कों के संबंध में अतिरिक्त सूचना आईटीयू को अग्रेषित कर दी गई और बीआर आईएफआईसी के संबंधित वर्ग में बीआर द्वारा इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है।

इनसेट-एनएवी-एनजीएसए(एनजीएसओ) और इनसेट-एनएवीआर-जीएस (एनजीएसओ), इनसेट-एनएवीआर (32.5), इनसेट-एनएवीआर (83), इनसेट-एनएवीआर (120.5), इनसेट-एनएवीआर (121.5), इनसेट-एनएवीआर (123.5), इनसेट-एनएवीआर (126.5), इनसेट-एनएवीआर (127.5) और इनसेट-एनएवीआर (129.5) के संदर्भ में समन्वय अनुरोध रेडियो संचार ब्यूरो के बीआर आईएफआईसी में प्रकाशन हेतु आईटीयू को भेज दिया गया है और बीआर आईएफआईसी की संबंधित वर्ग में बीआर द्वारा इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है।

घ. उन्नत प्रकाशन सूचना

चन्द्र अभियान (एनजीएसओ), चंद्रयान-2, इनसेट-एनएवीआर-जीएस (एनजीएसओ) मंगल अभियान, आरआईएसएटी और मेघा ट्रापिक्स (एनजीएसओ) उपग्रह नेटवर्क की उन्नत प्रकाशन सूचना आईएफआईसी में प्रकाशन हेतु बीआर को भेज दी गई है और बीआर आईएफआईसी की संबंधित वर्ग में बीआर द्वारा इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है।

मंगल अभियान (एनजीएसओ) के संदर्भ में इनसेट-एनएवी (93.5) (93.5)ई और एस्ट्रोसेट (एनजीएसओ) और आशोधित एपीआई की उन्नत प्रकाशन सूचना उपग्रह नेटवर्क आईएफआईसी में प्रकाशन हेतु बीआर को भेजा गया है और बीआर आईएफआईसी के संबंधित वर्ग में बीआर द्वारा इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है।

ड परिशिष्ट-एपी30/30क के अनुसार बीएसएस प्लान : 58.5ई और 68ई पर इनसेट-केयूपी-बीएसएस (58.5ई), इनसेट-केयूपी-बीएसएस (68ई) के संदर्भ में बीएसएस आशोधित योजना और संबंधित फीडर लिंक बीआर को भेजा गया है।

इजराइल, यूके, मलेशिया, जापान, लक्जमबर्ग, चाइना, फ्रांस, नार्वे, रूस, अजरबैजान, जर्मनी, यूएसए, कजाकिस्तान, यूएई, पीएनजी, कतर इराक, कोरिया, आस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली और वियतनाम प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के संदर्भ में बीआर आईएफआईसी में प्रकाशित उन्नत प्रकाशन सूचना पर मौजूदा एवं सुनियोजित इनसैट उपग्रह नेटवर्कों के मद्देनजर आपत्ति व्यक्त की गई।

समन्वयन अनुरोध (सीआर/सी) : रूस, जापान, चीन, यूके, वियतनाम, कोरिया, इजराइल, लक्सगवर्ग, कजाकिस्तान, हालैंड, स्वीडन, सिंगापुर, यूएसए, यूएई, अजरबैजान, चीन, फ्रांस और पीएनजी प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के संदर्भ में बीआर आईएफआईसी में प्रकाशित आवृत्ति आवंटनों पर मौजूदा एवं सुनियोजित इनसैट उपग्रह नेटवर्कों के मद्देनजर आपत्ति व्यक्त की गई।

पंजीकरण हेतु आवृत्ति नोटिस (भाग I-एस) :- चीन, रूस, इटली, जापान, यूके, टर्की, जापान, नाइजीरिया, इटली, यूएई, आस्ट्रेलिया और कनाडा प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के संदर्भ में बीआर आईएफआईसी में प्रकाशित आवृत्ति आवंटनों पर मौजूदा एवं सुनियोजित इनसैट उपग्रह नेटवर्कों के मद्देनजर आपत्ति व्यक्त की गई।



परिशिष्ट-एपी 30ख के अनुसार एफएसएस प्लान :- बेलारूस, इजराइल, बंगला देश, चीन, इजराइल, हालैंड, रूस, फ्रांस, पीएनजी और रूस प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के संदर्भ में आवृत्ति आवंटनों पर मौजूदा एवं सुनियोजित इनसैट उपग्रह नेटवर्कों के मद्देनजर आपत्ति व्यक्त की गई।

परिशिष्ट 30/30क के अनुसार बीएसएस प्लान :- पीएनजी, इजराइल लकजमबर्ग, और चीन प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के संदर्भ में आवृत्ति आवंटनों पर मौजूदा एवं सुनियोजित इनसैट उपग्रह नेटवर्कों के मद्देनजर आपत्ति व्यक्त की गई।

सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) और एशिया प्रशान्त टेलीकम्युनिटी (एपीटी) के तत्वावधान में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सम्मेलनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी की, इनमें भाग लिया और अनुवर्ती कार्रवाई की ताकि विशेषकर स्पैक्ट्रम प्रबंधन तथा रेडियो संचार से संबंधित मामलों के संदर्भ में राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके।

विश्व रेडियो संचार सम्मेलन, 2015 (डब्ल्यूआरसी-15)

डब्ल्यूआरसी-15 के लिए राष्ट्रीय तैयारी का गठन किया गया है। डब्ल्यूआरसी-15 की विभिन्न कार्यवृत्त मदों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने के लिए एनपीसी स्टेकधारकों के विचारों का समन्वय व उसका सुमेलन करेगी।

एपीटी तैयारी समूह-2015

डब्ल्यूआरसी-12 के कार्यवृत्त की मदों के संदर्भ में क्षेत्रीय समन्वयन भी एपीजी-2015 द्वारा किया गया है। इस संबंध में डब्ल्यूपीसी विंग अधिकारियों ने वियतनाम में आयोजित एपीजी-2015 की पहली बैठक में भाग लिया।

राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना (एनएफएपी)

राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना एक नीतिगत दस्तावेज है जो सरकारी व गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए देश में विकास, उत्पादन और स्पैक्ट्रम उपयोग कार्यकलापों के आधार प्रदान करता है। एनएफएपी सामान्यतया प्रत्येक दो वर्ष में संशोधित किया जाता है। इस समय एनएफएपी-2011 लागू है।

एनएफएपी-2011 की समीक्षा करने के लिए एनएफएपी समीक्षा/संशोधन समिति का गठन किया गया है।

परियोजना कार्यान्वयन :

अप्रैल से दिसंबर, 2012 तक की वास्तविक उपलब्धियां :

- क. मैसर्स एचएफसीएल, इंडिया और डब्ल्यूपीसी स्कंध, दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मध्य एनआरएसएमएस परियोजनाओं से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए माध्यस्थ अधिकरण स्थापित किया गया है। अधिकरण ने दिसंबर, 2012 तक मामले की चार बार सुनवाई की थी और यह मामला अब भी अधिकरण के विचाराधीन है।



ख. एसएमएस सर्वर के लिए संस्थापित यूपीएस ईकाइयों की मरम्मत और वी/यूएचएफ एमएमएस वेहिकल के रखरखाव का मामला संसाधित किया गया है और मरम्मत कार्य भी पूरा हो चुका है।

जनवरी से मार्च, 2013 तक प्रत्याशित उपलब्धियां

- क. माध्यस्थ के संबध में अनुवर्ती कार्रवाई
- ख. एनआरएसएमएमएस परियोजना के अंतर्गत संस्थापित सुविधाओं के अनुरक्षण की निगरानी
- ग. माध्यस्थ द्वारा यथा निर्धारित संविदाकारों को स्पिल ओवर भुगतान करना

डब्ल्यूपीसी स्कंध की उपलब्धियां

उपलब्धियां	अप्रैल-दिसंबर 2012	जनवरी-मार्च, 2013 के दौरान अनुमानित उपलब्धि
1.1 रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रबंधन		
● विभिन्न प्रयोक्ताओं को प्राधिकृत नई रेडियो फ्रीक्वेंसी	9691	3033
● पंजीकरण हेतु आईटीयू के रेडियो संचार ब्यूरो को सूचित फ्रीक्वेंसी आबंटन	150	50
● अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे के लिए आबंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी	45	08
● एसएसीएफए (फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) की आयोजित बैठकें	01	01
● आयोजित अंतर-विभागीय बैठक	10	06
● नए बेतार केंद्रों हेतु स्वीकृत स्थल	1,60,608	54,000
1.2 जारी किए गए बेतार लाइसेंस		
● जारी किए गए आयात लाइसेंसों की सं०	2190	605
● नए बेतार केंद्रों को जारी किए गए लाइसेंसों की सं०	83,142	5366
● नवीकृत लाइसेंसों (बेतार केंद्रों हेतु) की सं०	60491	19318
1.3 प्रवीणता प्रमाण-पत्र (सीओपी) परीक्षा / लाइसेंस		
● आयोजित प्रवीणता प्रमाण-पत्र परीक्षाओं की सं०	41	13
● दाखिल किए गए उम्मीदवारों की सं०	13025	4780
● जारी किये गए लाइसेंसों की सं०	2703	1043
● नवीकृत लाइसेंसों की सं०	417	200
● नए रेडियो एमेझयोर केंद्रों को जारी लाइसेंसों की सं०	240	40
● पुराने रेडियो एमेझयोर केंद्रों हेतु नवीकृत लाइसेंसों की सं०	230	60



बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यूएमओ)

बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यूएमओ) 3जी, बीडब्ल्यूए इत्यादि जैसी नई सेवाएं प्रारंभ करने के लिए तेजी से संकुलित होते रेडियो वातावरण में डब्ल्यूपीसी स्कंध को आवश्यक तकनीकी डाटा प्रदान करने के साथ-साथ बाधा रहित बेतार सेवाएं सतत रूप से प्रदान कर रहा है। विद्यमान वर्ष अर्थात् 01.04.2012 से 31.12.2012 के पहले नौ महीनों और 01.01.2012 से 31.03.2013 के दौरान अनुमानित निष्पादन से संबंधित सांख्यिकीय निष्पादन आकड़ें नीचे दिए गए हैं :-

क्र० सं०	मदें	1.4.2012 से 31.12.2012 के दौरान वास्तविक उपलब्धियां	1.1.2013 से 31.3.2013 के दौरान अनुमानित उपलब्धियां
1.	निपटाए गए मानीटरिंग कार्य	8303	2760
2.	मानीटर किए गए बेतार पारेषणों की सं०	88166	29300
3.	विनिर्दिष्ट मानकों के भीतर अपना प्रचालन बनाए रखने के लिए दी गई तकनीकी सहायता	395	130
4.	सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु विभिन्न बेतार प्रयोक्ता को सूचित अतिलंघनों की संख्या	1786	590
5.	रेडियो मानीटरिंग हेतु प्रयुक्त चैनल दिवस	4492	1500
6.	निरीक्षण किए गए बेतार केन्द्रों की संख्या	1646	550
7.	रेडियो नॉयज मापकों की संख्या	308322	50000
8.	निपटाई गई अति प्राथमिकता व्यतिकरण संबंधी शिकायतों की संख्या	95	50
9.	निपटाई गई मानक व्यतिकरण संबंधी शिकायतों की संख्या	3	5
10.	उच्च स्तरीय तकनीकी कार्य हेतु श्रम दिवसों की संख्या	356	120
11.	आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या	06	02
12.	प्रशिक्षण हेतु श्रम दिवसों की संख्या	521	200

क. रेडियो मॉनीटरिंग एक विनियामक और संधिपरक अपेक्षा

रेडियो मॉनीटरिंग सेवा, एक विनियामक और संधिपरक अपेक्षा का क्रियान्वयन बेतार अनुश्रवण संगठन, बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध (डब्ल्यूपीसी विंग), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। यह अनिवार्यतः तकनीकी प्रकृति का मामला है और इसके प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संधिपरक दस्तावेज़ अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के रेडियो विनियमन से लिए गए हैं।



ख. बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यूएमओ) के प्रमुख कार्य

डब्ल्यूएमओ के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :-

- (i) खतरनाक व्यतिकरण का समाधान;
- (ii) नई सेवाएं प्रारंभ करने और/या मौजूदा सेवाओं हेतु अतिरिक्त आवंटन के लिए फ्रीक्वेंसी सब-बैंड की पहचान की मॉनीटरिंग;
- (iii) प्राधिकृत एजेंसियों से अप्रयुक्त/कम-प्रयुक्त फ्रीक्वेंसी के संबंध में स्पेक्ट्रम की वापसी के लिए मॉनीटरिंग;
- (iv) लाइसेंसिंग शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरिंग;
- (v) साझा अध्ययनों के लिए मानीटरिंग मापन;
- (vi) घरेलू बेतार प्रयोक्ताओं को सहायता;
- (vii) विदेशी प्रशासन को सहायता;
- (viii) अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विशेष मॉनीटरिंग अभियानों में भागीदारी;
- (ix) नए रेडियो संचार मानकों के लागू किए जाने की संभावना और साथ ही प्रस्तावित नए अधिष्ठापनों की ईएमसी अनुरूपता का अध्ययन करने के लिए रेडियो उत्सर्जनों (इरादतन और गैर-इरादतन) मापन;
- (x) लाइसेंसीकृत अधिष्ठापनों का निरीक्षण; और
- (xi) प्राधिकृत उपग्रह पारेषणों की रक्षा के लिए आकाशीय उत्सर्जनों की मॉनीटरिंग।

ग. डब्ल्यूएमओ के समक्ष चुनौतियां

- i. समाज (सरकार और सार्वजनिक समान रूप से) की बेतार संचार पर बढ़ती निर्भरता के कारण डब्ल्यूएमओ से अपेक्षा की जाती है कि वह रेडियो संचार का निर्बाध वातावरण सुनिश्चित करे। अतः फिलहाल डब्ल्यूएमओ का ध्यान प्राथमिक रूप से सार्वजनिक मोबाइल रेडियो संचार सेवाओं, सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं और जीवन-सुरक्षा सेवाओं पर है। डब्ल्यूएमओ बाधा रहित वातावरण में इन सेवाओं का सतत प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों जन-शक्ति और मशीनी-शक्ति पर गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहा है। इन सेवाओं के बाधा रहित प्रचालन का प्राथमिक कारण समग्र समाज को अत्यधिक महत्व देने में निहित है। सार्वजनिक मोबाइल सेल्युलर सेवा के संबंध में, डब्ल्यूएमओ के दो उद्देश्य हैं थ (i) विभिन्न कारणों की वजह से होने वाली बाधा के स्रोतों को पहचानना और उन्हें दूर करना और (ii) मौजूदा 2जी सेवाओं के विस्तार और 3जी सेवाओं की शुरुआत के लिए अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को प्राप्त करना। जहां तक सार्वजनिक प्रसारण का संबंध है, इसके पारेषण से एयरोनोटिकल मोबाइल संचार (नागर विमानन) पर प्रभाव पड़ता देखा गया है और इससे लाइसेंसीकरण के मानदंडों का उल्लंघन भी होता है। इन अतिमहत्वपूर्ण सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएमओ ग्राहकों के अनुकूल रेडियो अनुश्रवण उत्पादों के अधिप्रापण पर कार्य कर रहा है। रेडियो मानीटरिंग के सेवा संबंधी पहलू के अलावा, डब्ल्यूएमओ को स्पेक्ट्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी है।
- ii. सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए, 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के तहत चालू वित्तीय वर्ष में भुवनेश्वर, देहरादून, लखनऊ, पटना, रायपुर और विजयवाड़ा में छह नए बेतार अनुश्रवण स्टेशन स्थापित किए गए हैं। कार्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु इन



छह नए मॉनीटरिंग स्टेशनों में प्रत्येक में एक तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति की गई है। इन छह अतिरिक्त बेतार अनुश्रवण स्टेशनों के लिए तकनीकी अवसंरचना अन्य बेतार अनुश्रवण स्टेशनों के पास मौजूदा उपलब्ध अवसंरचना की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से सार्वजनिक मोबाइल तथा प्रसारण सेवाओं की अनुश्रवण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इस प्रयोजनार्थ डब्ल्यूएमओ ने पोर्टेबल मानीटरिंग उपस्कर युक्त छह वाहन आरोपित मानीटरिंग टर्मिनल तथा नेटवर्क विश्लेषण एवं कवरेज मापक उपस्करों के प्रापण हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन सुविधाओं की अनुमानित लागत ₹28.0 करोड़ है और प्रापण वर्ष 2013-14 में प्रभावी हो सकेगा।

- iii. नए बेतार अनुश्रवण केंद्रों के लिए भूमि के प्रापण के मामले को वर्ष 2007 में संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष उठाया गया था। डब्ल्यूएमओ निरन्तर प्रयास से बेतार अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से भुवनेश्वर, देहरादून और नया रायपुर में पहले ही भूमि का अधिग्रहण कर चुका है। डब्ल्यूएमडी, डब्ल्यूएमएस बेंगलुरु, हैदराबाद, रांची, पटना स्थित बीएसएनएल की अतिरिक्त भूमि/परिसंपत्ति के अंतरण मामले की भी देख-रेख कर रहा है।
- iv. डब्ल्यूएमओ अत्यधिक संकुलित रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम से उत्पन्न नई अनुश्रवण चुनौतियों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक ढंग से निपटाता है। डब्ल्यूएमओ ने नई प्रौद्योगिकियों को लाने और क्षमता निर्माण के लिए कदम उठाए हैं। जहां तक नई प्रौद्योगिकियों का संबंध है साफ्टवेयर और हार्डवेयर का अधिप्रापण पहले ही प्रारंभ कर दिया गया है। अनुश्रवण और सूचना प्रौद्योगिकी पर गहन प्रशिक्षण का लक्ष्य क्षमता-निर्माण है। इन दोनों पहलुओं को संयुक्त रूप से अनुश्रवण मुख्यालय और प्रशिक्षण व विकास केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- v. जालना (महाराष्ट्र) में स्थित उपग्रह अनुश्रवण भू-केन्द्र भारत से संबंधित ज्यो-आर्क में स्थित सभी उपग्रहों से प्राप्त सिगनलों का अनुश्रवण सतत रूप से कर रहा है। निकट भविष्य में इसके मापन प्रकार्यात्मकता को बढ़ाने की योजना है।
- vi. विशाखापट्टनम और भोपाल में निर्मित दो नए भवनों से बेतार अनुश्रवण केंद्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है। जालंधर, मंगलोर और सिलिगुडी स्थित बेतार अनुश्रवण केंद्रों के कार्यालय भवनों के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया है। बेतार अनुश्रवण केंद्र, मैंगलोर के कार्यालय भवन का निर्माण पूरा होने के चरण में है। डब्ल्यूएमएस गोवा के संबंध में भूमि विवाद को माननीय मुख्यमंत्री, गोवा की मध्यस्थता से निपटा लिया गया है। डब्ल्यूएमओ डब्ल्यूएमएस गोवा के लिए नए कार्यालय का निर्माण करने की कार्रवाई शुरू कर रहा है।



III. 2 दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र

दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र, दूरसंचार विभाग का तकनीकी स्कंध है। अन्य बातों के साथ-साथ इसके निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं :-

- I. भारतीय दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए सार्वजनिक तथा प्राइवेट क्षेत्र के प्रचालकों हेतु मानक और विनिर्देश तैयार करना।
- II. उपस्कर और सेवाओं का मूल्यांकन करना।
- III. उपस्कर, प्रौद्योगिकी और सेवाओं हेतु अनुमोदन देना।
- IV. नई प्रौद्योगिकी और सेवाओं का अध्ययन करना तथा भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में इन्हें लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग को तकनीकी सलाह प्रदान करना।
- V. दूरसंचार विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- VI. दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर ट्राई, टीडीएसएटी, यूएसओएफ, बीएसएनएल और एमटीएनएल को तकनीकी सलाह देना।
- VII. दूरसंचार विभाग की मूलभूत तकनीकी योजनाएं तैयार करना।
- VIII. दूरसंचार विभाग के माध्यम से एपीटी, ईटीएसआई और आईटीयू आदि जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से तालमेल करना।
- IX. एमआरए के लक्ष्यों का विस्तार करने के लिए सुविधाओं का सृजन करना।
- X. अनुसंधान और विकास के परिणामों तथा अद्यतन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आवश्यक दक्षता विकसित करना।
- XI. दूरसंचार विभाग स्तर पर नीति नियोजन हेतु, दूरसंचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकासों से संबंधित ब्यौरे प्रदान करने के लिए सी-डॉट के साथ समन्वय करना।

गुणवत्ता नीति

दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र, भारत के दूरसंचार क्षेत्र के लिए मानकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि विश्व-स्तरीय दूरसंचार नेटवर्क की व्यवस्था और अलग-अलग नेटवर्कों के बेहतर अंतर-संयोजन को सुनिश्चित किया जा सके। यह जांच और प्रमाणन निकाय के रूप में अपने कार्यों को निष्पादित करता है। दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी उपाय को कार्यान्वित करके अपनी प्रक्रिया में सतत सुधार का प्रयास करेगा और ई-टीईसी प्रणाली हासिल करने का भी प्रयास करेगा। उपर्युक्त उल्लिखित मुख्य मुद्दों के अतिरिक्त यह दूरसंचार विभाग को तकनीकी और लाइसेंस संबंधी मुद्दों के बारे में यथासमय सहायता और सलाह प्रदान करेगा।

इसे सार्थक, स्टेकहोल्डर संवेदनशील तथा प्रत्युत्तर दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी और अवसंरचना स्तरोन्नयन, ज्ञान को साझा करके, क्षमता में वृद्धि करके और सतत अनुकरणीय कार्य-संस्कृति से हासिल किया जाएगा।

गुणवत्ता उद्देश्य

दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र ने अपने गुणवत्ता उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किए हैं :

- i. वार्षिक कार्य-योजना के अनुसार नई और मौजूदा जीआर/आईआर/जांच अनुसूची को यथासमय तैयार करना और स्तरोन्नत करना सुनिश्चित करना।



- ii. क्षेत्रीय प्रयोग/जांच/वैधता/प्रमाणन को यथासमय किया जाना सुनिश्चित करना।
- iii. इंटरफेस/किस्म अनुमोदन और प्रमाणन को यथासमय जारी किया जाना सुनिश्चित करना।
- iv. दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र में अगली पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन) प्रयोगशाला स्थापित करना ताकि देश में इस प्रकार के नेटवर्क को तैनात किया जा सके। विद्युत चुंबकीय विकिरण की जांच करने के लिए भी प्रयोगशाला स्थापित करना।
- v. कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके उनके सतत् क्षमता विकास को सुनिश्चित करना।
- vi. ई-टीईसी प्रणाली को हासिल करने के लिए दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र की अवसंरचना को विकसित करना। पेपरलैस कार्यालय की व्यवस्था की ओर यह एक प्रयास होगा।
- vii. स्टैकहोल्डर की संतुष्टि के स्तर में सतत् सुधार करना।

उपलब्धियां :

अप्रैल-दिसम्बर, 2012 के दौरान दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र की उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

1. 11 नए जीआर/आईआर जारी किए गए और 18 जीआईआर/आईआर संशोधित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 5 जीआर/आईआर संशोधित किए गए हैं।
2. निम्नलिखित राष्ट्रीय योजनाएं बनाई गईं :
 - (i) प्राकृतिक आपदाओं की आपातकालीन स्थिति के दौरान दूरसंचार सहायता के समन्वय और मानवीय सेवाओं के प्रावधान के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि।
 - (ii) हमारे दैनिक जीवन में रेडियो तरंगों और इनसे सुरक्षा-क्या करें और क्या न करें।
3. विभिन्न विषयों के बारे में अध्ययन/पेपर अध्ययन किए गए और मल्टिपल-इनपुट- मल्टिपल-आउटपुट (एमआईएमओ) का उपयोग करके सेलफोन बेतार संचार, आस-पास के क्षेत्र में संचार, सेवा प्रदाताओं द्वारा आईपीवी6 अपनाने के लिए कैरियर ग्रेड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ग्रीन स्विच, 10जी ईपीओएएन, दूरसंचार नेटवर्क में सुरक्षा जांच, पीएमआरटीएस (पब्लिक मोबाइल ट्रंकिंग सिस्टम), डायमीटर प्रोटोकॉल जैसी सुविधाओं के बारे में श्वेत-पत्र जारी किए गए।
4. अगली पीढ़ी नेटवर्क प्रयोगशाला (एनजीएन लैब) की स्थापना :
टीईसी ने दूरसंचार और आईसीटी उपकरण की आईपीवी6 जांच के लिए अगली पीढ़ी नेटवर्क प्रयोगशाला (एनजीएन लैब) की स्थापना और उसकी वैधता का कार्य पूरा कर लिया है।
5. टीईसी भारत में निर्मित किए जाने वाले दूरसंचार उपकरणों की व्यावसायिक बाजार पहुँच (पीएमए) से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करने में सक्रिय रूप से योगदान कर रहा है।
6. टीईसी ने मोबाइल फोनों के लिए सही स्थान की स्थिति-स्थान आधारित सेवाओं (एलबीएस) के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।
7. जांच और प्रमाणन।
उपर्युक्त के साथ-साथ 21 अनुमोदन प्रमाण पत्र, 62 इंटरफेस अनुमोदन और 3 टाईप अनुमोदन प्रदान किए गए। जांच और प्रमाणन के कार्य से ₹1.09/- करोड़ का राजस्व आर्जित किया गया।
8. एनटीआईपीआरआईटी ने 23 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए।



9. दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र द्वारा किए गए अन्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं :-
- i. अनिवार्य प्रमाणन के लिए विनिर्माताओं के साथ बैठकों का आयोजन।
 - ii. हरित दूरसंचार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ बैठकों का आयोजन।
 - iii. अफगानिस्तान दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ बैठकों का आयोजन।
 - iv. जयपुर और मुंबई में ईएमआर से संबंधित आम बैठकों में भाग लिया।
 - v. स्पेक्ट्रम के बारे में सेमिनार आयोजित किया।
 - vi. स्टेकहोल्डर और एलबीएस समाधान प्रदाताओं के साथ बैठकें आयोजित की गईं।
 - vii. आईएसओ 9001: 2008 के लिए एसटीक्यूसी द्वारा टीईसी की सर्विलांस जांच की गई।
 - viii. आईएसओ 9001: 2008 के लिए आंतरिक जांच और प्रबंधन समीक्षा की गई।
 - ix. टीईसी एलएन की बीएसएनएल एनआईबी से 100 एमबीपीएस एसटीएम-1 कनेक्टिविटी को स्तरोन्नत किया गया।
 - x. बीआईटीसीओई द्वारा तैयार किए गए आईपीवी6 परियात जनरेटर और एनालाइज़र का प्रमाणीकरण किया गया।
 - xi. मैसर्स इनेटिव नेटवर्कस् प्राइवेट लि0 के पीएमआरटीएस के दो स्थलों का प्रमाणीकरण किया गया।
 - xii. राजभाषा पखवाड़ा के तहत विविध कार्यकलाप आयोजित किए गए।
 - xiii. दो राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
 - xiv. निम्नलिखित के संबंध में न्यूज़लैटर जारी किए गए :
 - एनजीएन ट्रांसपोर्ट प्रयोगशाला।
 - एम2एम संचार।
 - xv. टीईसी दस्तावेजों की ऑनलाइन बिक्री :
 - एनआईसी और एसबीआई के बीच पेमेंट गेटवे कनेक्टिविटी की जांच की गई और उसे कार्यशील पाया गया।
 - ऑनलाइन बिक्री परियोजना के लिए डाटा प्रविष्टि का कार्य चल रहा है।
 - प्रॉडक्शन सर्वर पर दस्तावेजों को अपलोड करना।
 - प्रॉडक्शन सर्वर पर सॉफ्टवेयर का परीक्षण।
 - xvi. परीक्षण शुल्क की ऑनलाइन वसूली :
 - एनआईसी से प्रस्ताव का प्रारूप प्राप्त किया गया और उसे सत्यापन के बाद एनआईसी को अंतिम प्रस्ताव देने के लिए भेज दिया गया। एनआईसी से अंतिम प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और वह परियोजना अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है।
 - परीक्षण शुल्क की ऑनलाइन वसूली की परियोजना को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।



III. 3 सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के अध्यक्ष, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के प्रशासक हैं, जिन्हें निधि की देखरेख के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रशासक, यूएसओएफ को यूएसओ निधि स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं को निर्धारित करने तथा यूएसओएफ से निधियों का संवितरण करने का अधिकार प्राप्त है। इनका कार्यालय दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

जारी कार्यकलापों की वर्तमान स्थिति :

सामान्य ओएफसी अवसंरचना का सृजन

क) राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) : वर्तमान में, राज्यों की राजधानियों, जिलों और ब्लॉकों तक ऑप्टिकल फाइबर की व्यवस्था कर दी गई है। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् बीएसएनएल, रेलटेल और पॉवर-ग्रिड के मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके और जहां आवश्यक है, वहां ग्राम पंचायतों के मध्य कनेक्टिविटी अंतराल को पाटने के लिए उत्तरोत्तर रूप से फाइबर केबल बिछाकर देश की सभी दो लाख पचास हजार ग्राम पंचायतों को जोड़ने की योजना बनाई गई है।

इस प्रकार बिछाए जाने वाले केबल नेटवर्क की लंबाई 5 लाख कि.मी. अनुमानित है। इस प्रकार तैयार किए गए डार्क फाइबर नेटवर्क का उपयोग उपयुक्त प्रौद्योगिकी के आधार पर किया जाएगा ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कम से कम 100 एमबीपीएस की बैंडविड्थ सुनिश्चित की जा सके।

सेवा प्रदाताओं की सभी श्रेणियों को एक समान रूप से नेटवर्क सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, मोबाइल प्रचालक, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), केबल टी.वी. प्रचालक, विषय-वस्तु प्रदाता जैसे अभिगम प्रदाता/सेवा प्रदाता ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं शुरू कर सकते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-अभिशासन इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों की व्यवस्था की जाएगी। इस परियोजना का वित्तपोषण यूएसओएफ से किया जा रहा है और 2 वर्षों में इसकी प्रारंभिक अनुमानित लागत ₹20,000/- हजार करोड़ होगी।

इस परियोजना को विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) अर्थात् भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि0 (बीबीएनएल) के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 25.2.2012 को निगमित किया गया है।

वर्तमान स्थिति

एनओएफएन परियोजना की केंद्र-राज्य संयुक्त प्रयास के रूप में परिकल्पना की गई है। इसमें राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे मार्गाधिकार प्रभार वसूल न करके इसमें योगदान करें। इस परियोजना में भारत सरकार, राज्य सरकार और बीबीएनएल के बीच एक त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन संपन्न करने के आवश्यकता होगी।

इस परियोजना के लिए 13 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा 3 संघ-शासित क्षेत्रों यथा-दादर और नागर



हवेली, दमन और दीव तथा पुडुचेरी के साथ दिनांक 26.10.2012 को त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया है। इन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से लगभग 1,40,727 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा।

इस परियोजना के तहत अजमेर ज़िले (राजस्थान) के अरेन ब्लॉक, उत्तरी त्रिपुरा जिले (त्रिपुरा) के पाणिसागर ब्लॉक, विशाखापट्टनम जिले (आंध्र प्रदेश) के प्रवदा ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए 3 प्रायोगिक परियोजनाएं पूरी की गई हैं। दिनांक 15.10.2012 की स्थिति के अनुसार, इन तीन प्रायोगिक परियोजना ब्लॉकों में से प्रत्येक में 58 ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ की सुविधा प्रदान की गई है।

ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अंतरा-जिला उपमंडल मुख्यालय जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सृजन और प्रबंधन।

- यह स्कीम, असम में इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी कि वॉयस और डाटा परियात को अभिगम नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्रदान नेटवर्क पर जोड़ने के लिए पर्याप्त बैक-हॉल क्षमता प्रदान करने के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में ओएफसी नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ओएफसी स्कीम में बीओओ मॉडल अर्थात् निर्माण, संचालन और स्वामित्व के आधार पर प्रारंभ की गई हैं।
- इस स्कीम में ब्लॉकों के मुख्यालय और जिला मुख्यालय के बीच ओएफसी नेटवर्क संवर्धन का ध्यान रखा गया है। यूएसओएफ राज-सहायता इस शर्त पर प्रदान करेगा कि करार में निर्धारित दरों पर इस नेटवर्क को अन्य प्रचालकों के साथ साझा किया जाएगा।

(i) असम के लिए स्कीम

- यह ओएफसी स्कीम, करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 18 महीनों के भीतर 27 जिलों के 354 स्थानों को कनेक्ट करेगी। इस संबंध में दिनांक 12.02.2010 को बीएसएनएल के साथ करार हस्ताक्षरित किया गया था। यह करार, इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यूएसओएफ ₹98.89/- करोड़ की राज-सहायता प्रदान करेगा। दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार, लक्षित 354 स्थानों में से 280 स्थानों को ओएफसी नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया गया है।
- इस स्कीम के तहत सृजित रियायती बैंडविड्थ क्षमता का कम से कम 70 प्रतिशत असम क्षेत्र में ट्राई के चालू उच्चतम प्रशुल्कों के 26.22 प्रतिशत से कम की दरों पर, लाइसेंसधारक सेवा प्रदाता के साथ साझा किया जाएगा।

(ii) पूर्वोत्तर-। सर्किल (मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा) के लिए स्कीम

- यह ओएफसी स्कीम, करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 24 महीनों के भीतर 19 जिलों में 188 स्थानों को कनेक्ट करेगी। इस संबंध में दिनांक 16.01.2012 को रेलटेल के साथ करार हस्ताक्षरित किया गया था। यह करार, इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 8 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यूएसओएफ ₹89.50/- करोड़ की राज-सहायता प्रदान करेगा। इस स्कीम के अंतर्गत, ओएफसी बिछाने का कार्य अभी शुरू किया जाना है।
- इस स्कीम के तहत सृजित रियायती बैंडविड्थ क्षमता का कम से कम 70 प्रतिशत ट्राई के चालू उच्चतम प्रशुल्कों के 12 प्रतिशत से कम की दरों पर, लाइसेंसधारक सेवा प्रदाता के साथ साझा किया जाएगा।



(iii) पूर्वोत्तर—।। सर्किल (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड) के लिए स्कीम

- यह ओएफसी स्कीम, करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 30 महीनों के भीतर 30 जिलों के 407 स्थानों को कनेक्ट करेगी। इस संबंध में दिनांक 16.01.2012 को रेलटेल के साथ करार हस्ताक्षरित किया गया था। यह करार, इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 8 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यूएसओएफ ₹298.50/- करोड़ की राज-सहायता प्रदान करेगा। इस स्कीम के अंतर्गत, ओएफसी बिछाने का कार्य अभी शुरू किया जाना है।
- इस स्कीम के तहत सृजित रियायती बैंडविड्थ क्षमता का कम से कम 70 प्रतिशत ट्राई के चालू उच्चतम प्रशुल्कों के 27 प्रतिशत से कम की दरों पर, लाइसेंसधारक सेवा प्रदाता के साथ साझा किया जाएगा।

गांव स्तर तक वायर लाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता के प्रावधान के विस्तार के लिए ग्रामीण ब्रॉडबैंड स्कीम

मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना और कॉपर वायरलाइन नेटवर्क को स्तरोन्नत करके ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वायर लाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए यूएसओएफ ने ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम के अंतर्गत 20 जनवरी, 2009 को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति कम से कम 512 केबीपीएस रहेगी।

इस स्कीम के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि के अंदर अर्थात् 2014 तक बीएसएनएल द्वारा एकल प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थानों को 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा 28,672 कियोस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यह राज-सहायता संवितरण (i) ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई), कम्प्यूटर/ कम्प्यूटिंग उपकरण और (ii) ब्रॉडबैंड सेवा की सार्वजनिक अभिगम्यता के लिए कियोस्कों की स्थापना करने के लिए है। 5 वर्ष की अवधि में अनुमानित राज-सहायता ₹1,500/- करोड़ की है जिसमें 9 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शनों, ग्राहक परिसर उपस्करों, कंप्यूटर/कंप्यूटिंग उपकरणों और कियोस्कों के लिए राज-सहायता भी शामिल है।

दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कुल 4,33,018 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं तथा 10,713 कियोस्क स्थापित किए गए हैं।

मोबाइल सेवाओं के लिए अवसंरचना सहायता

ऐसे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र जहां मौजूदा फिक्सड वायरलैस और मोबाइल कवरेज नहीं हैं, में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से, 27 राज्यों के 500 जिलों में 7,353 अवसंरचना स्थलों/टॉवरों (7871 से संशोधित) को संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यूएसओ निधि से एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे गांव अथवा गांवों के समूह जिनकी जनसंख्या 2000 या उससे अधिक है तथा जहां मोबाइल कवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, में टॉवर संस्थापित करने के लिए विचार किया गया है। करार की शर्तों के अनुसार वास्तविक फील्ड सर्वेक्षण और प्राप्त सुविधा के आधार पर टॉवरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। दिनांक 01.06.2007 से प्रभावी इस करार को मई, 2007 में सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित किया गया है जो कि नवम्बर, 2013 तक वैध है।

दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत 7310 टॉवर यानि लगभग 99.42 प्रतिशत स्थापित किए गए हैं। मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए सृजित अवसंरचना को तीन सेवा (वीपीटी) प्रदाताओं द्वारा साझा किया जाएगा। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार, मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु सेवा प्रदाताओं द्वारा 16,023 बेस ट्रांसीवर स्टेशनों को इन टॉवरों पर शुरू किया गया है।



सार्वजनिक अभिगम: सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन (वीपीटी)

दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 5,81,602 आवासित राजस्व ग्रामों अर्थात् 97.97 प्रतिशत ग्रामों को सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन सेवा प्रदान कर दी गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अभी तक कवर न किए गए और नए अभिनिर्धारित ग्रामों में यूएसओएफ की जारी वीपीटी स्कीम के माध्यम से मार्च, 2013 तक शेष आवासित राजस्व ग्रामों में वीपीटी सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, शामिल न किए गए और नए अभिनिर्धारित ग्रामों में वीपीटी का प्रावधान करने की यूएसओएफ स्कीम

मौजूदा वीपीटी और भारत निर्माण योजना के तहत प्रदान किए गए वीपीटी को ध्यान में रखकर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आवासित ग्रामों में कार्य कर रहे वीपीटी का मिलान किया गया था। इस स्कीम के तहत यूएसओएफ से राज-सहायता प्राप्त करके वीपीटी का प्रावधान करने के लिए दिनांक 01.10.2007 की स्थिति के अनुसार और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सभी शेष 62,443 ग्रामों को इनकी जनसंख्या, दूरी, सुलभता और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान दिए बिना शामिल कर लिया गया है। इस संबंध में बीएसएनएल के साथ दिनांक 27.02.2009 को करार संपन्न किया गया है। इस करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार दिनांक 01.10.2007 से 26.02.2009 तक की अवधि के दौरान संस्थापित किए गए वीपीटी भी राज सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार, कुल 62,443 लक्षित वीपीटी में से 55160 वीपीटी अर्थात् 88.33 प्रतिशत वीपीटी इस स्कीम के तहत प्रदान कर दिए गए हैं।

ख) भारत निर्माण-। के तहत वीपीटी का प्रावधान करना

100 व्यक्तियों की जनसंख्या से कम वाले, घने वनों में बसे और अशांत क्षेत्रों के ग्रामों को छोड़कर देश के शामिल न किए गए 62,302 ग्रामों में वीपीटी का प्रावधान करने के लिए राज-सहायता प्रदान करने के बारे में नवंबर, 2004 में बीएसएनएल के साथ करार संपन्न किए गए हैं।

इन ग्रामों में वीपीटी का प्रावधान करने के कार्य को भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत एक कार्यकलाप के रूप में शामिल किया गया है। दिनांक 31.08.2012 को रोलआउट अवधि पूरी होने तक इसी स्कीम के तहत 62,101 वीपीटी प्रदान कर दिए गए हैं।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, शामिल न किए गए और नए अभिनिर्धारित शेष ग्रामों में वीपीटी की सुविधा यूएसओएफ की वीपीटी स्कीम के तहत प्रदान की जाएगी।

ग) एमएआरआर आधारित वीपीटी को बदलना (एमएआरआर-ए और एमएआरआर-बी)

1,85,121 वीपीटी जो दिनांक 01.4.2002 से पहले संस्थापित किए गए थे और जो पहले मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी के आधार पर कार्य कर रहे थे और विश्वसनीय प्रौद्योगिकी से प्रत्यावर्तित करने के लिए वर्ष 2003 में बीएसएनएल के साथ करार संपन्न किए गए थे। इन वीपीटी में दिनांक 30.06.2003 (एमएआरआर-बी) से पहले बदले गए 47,075 एमएआरआर वीपीटी और दिनांक 01.07.2003 से बदले जाने वाले 1,38,046 एमएआरआर वीपीटी (एमएआरआर-ए) शामिल हैं।

दिनांक 30.06.2012 को इस स्कीम को बंद किए जाने तक कुल 1,84,794 एमएआरआर वीपीटी (99.83%) को बदल दिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार और नए अभिनिर्धारित शेष ग्रामों में यूएसओएफ वीपीटी स्कीम के तहत वीपीटी सुविधा प्रदान की जाएगी।



निधि संग्रह और राज सहायता वितरण की स्थिति

निधि के संग्रह और राज सहायता वितरण की वित्त वर्षवार स्थिति तालिका में दी गई है। दिनांक 31.12.2012 तक यूएसओएफ के तहत कुल ₹47,273.77/- करोड़ की राशि एकत्र की गई है। इसमें से दिनांक 31.12.2012 तक यूएसओएफ के माध्यम से ₹15,523.57/- करोड़ की राज-सहायता वितरित की गई है और ₹6,948.64/- करोड़ का भुगतान बीएसएनएल को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार के लिए किया गया है। वर्ष 2012-2013 के अनुसार, दिनांक 31.12.2012 तक यूएसओएफ के माध्यम से ₹364.17/- करोड़ की राज-सहायता वितरित की गई है। इस प्रकार दिनांक 31.12.2012 तक यूएसओएफ के ₹22,472.21/- करोड़ का उपयोग किया गया है। इसमें लगभग ₹24,801.56/- करोड़ की राशि शेष है। यूएसओएफ से देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को दो वर्षों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) की ₹20,000/- करोड़ की अनुमानित राशि का वित्त-पोषण किया जाएगा। शेष राशि का उपयोग यूएसओएफ की अन्य जारी और भावी स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए किया जाएगा।

दिनांक 31.12.2012 के अनुसार निधियों के संवितरण और उपलब्धता की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	यूएसएल के रूप में संग्रहित निधियां (डीओटी के लेखा अनुसार)	आबंटित निधियां	संवितरित निधियां	एलएफ और स्पेक्ट्रम प्रभारों की प्रतिपूर्ति	बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2002-03	1653.61	300.00	300.00	2300.00	-943.39
2003-04	2143.22	200.00	200.00	2300.00	-356.78
2004-05	3457.73	1314.59	1314.59	1765.68	377.46
2005-06	3215.13	1766.85	1766.85	582.96	865.32
2006-07	3940.73	1500.00	1500.00	0	2440.73
2007-08	5405.80	1290.00	1290.00	0	4115.80
2008-09	5515.14	1600.00	1600.00	0	3915.14
2009-10	5778.00	2400.00	2400.00	0	3378.00
2010-11	6114.56	3100.00	3100.00	0	3014.56
2011-12	6723.57	1687.96	1687.96	0	5035.61
2012-13*	3326.28	625.00	364.17	0	2962.11
Total	47273.77	15784.40	15523.57	6948.64	24801.56

* 2012-13-दिनांक 31.12.2012 तक की गई वसूलियों और संवितरण पर आधारित है।

नोट:-

- वर्ष 2002-03 यूएसएल संग्रहण से आरंभ किया गया।
- कॉलम (2) में यूएसएल संग्रहण आंकड़े दूरसंचार विभाग के लेखाओं में दर्ज आंकड़ों के अनुसार लिए गए हैं।
- कॉलम (5) के अन्तर्गत भुगतान दिनांक 04.06.2008 के पत्र सं.एफ.1(20) -बी(एसी) /2007 के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के निर्णय के अनुसार शामिल किया गया है।



III. 4 संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय

पूरे देश में संचार लेखा नियंत्रक के 26 कार्यालय हैं जिनका नेतृत्व प्रधान सीसीए/सीसीए द्वारा किया जाता है। इनकी स्थापना का आरंभिक उद्देश्य दूरसंचार एवं बीएसएनएल कर्मचारियों के पेंशन एवं सेवांत हित लाभों का भुगतान करना था, परंतु अब सीसीए कार्यालय विभाग और इसके विभिन्न पणधारकों के बीच एक महत्वपूर्ण इन्टरफेस के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों, यूएसओ निधि प्रबंधन, यूएसओ कार्यकलाप प्रगति समीक्षा, परिसम्पत्ति प्रबंधन (विशेष रूप से भूमि व भवन), भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 (ख) के तहत मध्यस्थता और विभिन्न न्यायिक मंचों पर विभाग का प्रतिनिधित्व आदि जैसे मुद्दों पर सरकार के नीतिगत निर्णयों/पहलों का क्रियान्वयन व प्रशासन करते हैं।

संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्य

संचार लेखा नियंत्रक द्वारा निष्पादित किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं –

सेवा के अंत में मिलने वाले लाभों का संवितरण

सेवा के अंत में मिलने वाले विविध लाभ जो सीसीए द्वारा संवितरित किए गए हैं, इस प्रकार हैं :-

- पेंशन केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली के नियम 37 (क) के प्रव्यापन हो जाने से भारत संचार निगम लि0 में आमेहित पूर्ववर्ती सरकारी सेवकों के पेंशन के भुगतान में सरकार की अहम भूमिका है। सीसीए यूनिट पेंशन संबंधी व्यय का बजट बनाने और सीडीए और आईडीए वेतनमान के आधार पर सेवानिवृत्ति हितलाभों को प्राधिकृत करने के लिए जिम्मेदार है। इस समय, सीसीए कार्यालय दो लाख से अधिक पेंशनभोगियों को पेंशन का संवितरण कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष	पेंशन भोगियों की संख्या (लाख में)	संवितरित पेंशन (₹ करोड़ में)
2011-12	2.37	4822.97
अप्रैल, 2012 सितम्बर, 2012	2.42 (सितम्बर, 2012 तक)	3416.39 (नवम्बर, 2012 तक)
अनुमानित (जनवरी-मार्च, 2013)	लागू नहीं	1602.00

- पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन नकदीकरण सीसीए कार्यालय सरकार द्वारा किए गए पेंशन अंशदान और अवकाश नकदीकरण के भुगतान के रूप में प्राप्त की जाने वाली राशियों का संग्रहण उनकी जांच और मॉनीटरिंग के कार्य करते हैं।
- सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और दीर्घावधिक ऋणों का लेखाकरण सीसीए कार्यालय सामान्य भविष्य निधि, दीर्घावधिक ऋणों और अग्रिम राशियों के अनुरक्षण और उनकी वसूली/ उनके लेखाकरण के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- लेखा परीक्षा संबंधी कार्य सीसीए कार्यालय पेंशनभोगियों को पेंशन और संबद्ध हितलाभों का भुगतान करने के लिए नामोद्दिष्ट बैंकों और डाकघरों द्वारा किए गए संवितरण की उत्तर-लेखापरीक्षा करते रहे हैं। सीसीए



कार्यालय, वायरलैस मॉनीटरिंग सेवाओं, दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन तथा मॉनीटरिंग प्रकोष्ठों, क्षेत्रीय दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्रों और क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालयों सहित फील्ड कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करते हैं।

- (v) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय जनसूचना अधिकारी के रूप में कार्य करना:— सीसीए कार्यालयों द्वारा देखे जा रहे सभी मामलों के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का सरल प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सीसीए कार्यालयों के अधिकारियों को केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों (डीएए) के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

लेखा संबंधी कार्य

सीसीए कार्यालय विभागीय लेखा संगठन की बुनियादी इकाई है और टर्म, डब्ल्यूएमओ और आरएलओ जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पीएओ और डीडीओ का कार्य करता है। सीसीए कार्यालयों में सूचना प्रद्वति को प्रभावी रूप से लागू करते हुए लेखाओं की तैयारी और प्रस्तुतिकरण को अत्यधिक रूप से सरल और कारगर बना दिया गया है। दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2011 में ई-लेखा के साथ सीओएमपीएसीटी (कॉम्पैक्ट) सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेखाओं के प्रस्तुतिकरण को समग्र रूप से एकीकृत करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ई-लेखा महालेखा नियंत्रक (सीजीए) कार्यालय द्वारा अभिशासन संबंधी की गई एक पहल है जिसमें सभी मंत्रालयों द्वारा लेखाओं को ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। इस एकीकरण के परिणामस्वरूप, लेखा-संबंधी ऑनलाइन सूचना (ई-लेखा की साइट पर वस्तु शीर्ष स्तर से प्रबंधन स्तर तक उपलब्ध है। प्रधान लेखा कार्यालय (दूरसंचार विभाग मुख्यालय) में आंकड़ों की हस्तलिखित सामग्री रखने का कार्य पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, जेईपीजी वेबसाइट प्रयोग करके ई-पेमेंट प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रायोगिक परियोजना के रूप में सीसीए दिल्ली और पीएओ (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग को प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु चुना गया है। शेष संचार लेखा कार्यालयों को चरणबद्ध रूप में कवर किया जाएगा।

मूल्यांकन और राजस्व संबंधी कार्य

इसका विवरण निम्नलिखित है:—

- i) लाइसेंस शुल्क का संग्रहण सीसीए, सभी सेल्युलर, बुनियादी और एकीकृत अभिगम वा लाइसेंसधारकों से होने वाले राजस्व की हिस्सेदारी की प्रतिशतता के रूप में लाइसेंस शुल्क का मूल्यांकन और संग्रहण करता है साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों नामतः एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) विवरणों और शपथपत्रों तथा मुख्यालय को बिल एवं वसूली देना और आवधिक विवरणियों की जांच के प्रबंधन का कार्य भी करता है। वीएसएटी/यूएसएल/बुनियादी/सीएमटीएस/एनएलडी/अन्य सेवाओं के तहत सीसीए कार्यालय लाइसेंसधारकों के लाइसेंस शुल्क संबंधी कार्य भी देखते हैं।
- ii) कटौतियों का सत्यापन लाइसेंस करार के अनुसार, लाइसेंसधारकों ने लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए समायोजित सकल राजस्व का आकलन करते समय कटौतियों का दावा किया था। इन कटौतियों (पार गमन प्रभारों, रोमिंग सेवा प्रभारों, बिक्री कर, सेवा कर के लिए) को सीसीए द्वारा तिमाही आधार पर सत्यापित किया जाता है। लाइसेंसधारकों द्वारा मांगी गई कटौतियां लाइसेंसों की विभिन्न श्रेणियों के तहत सकल राजस्व का 25% से 90% तक भिन्न-भिन्न होती हैं।



- iii) स्पैक्ट्रम प्रभारों का संग्रहण राजस्व हिस्सेदारी आधार पर सेल्युलर प्रचालकों के संबंध में स्पैक्ट्रम प्रभारों के संग्रहण से संबंधित कार्य 1 अप्रैल, 2004 से सीसीए कार्यालयों को प्रदान किया गया है। स्पैक्ट्रम शुल्क प्रत्येक तिमाही में राजस्व की निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर अग्रिम रूप से संग्रहित कर लिया जाता है।
- iv) वित्तीय बैंक गारंटियों का अनुरक्षण सीसीए को लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बैंक गारंटियों के अनुरक्षण, नवीकरण, संशोधन और भुनाने संबंधी कार्य सौंपे गए हैं।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से संग्रहीत लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम प्रभार भारत सरकार के गैर-कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। इस स्रोत से पिछले तीन वर्षों के दौरान संग्रहीत राशि नीचे सारणी में दी गई है:-

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13, (तीसरी तिमाही तक)	अनुमानित (जनवरी से मार्च, 2013 तक)
लाइसेंस शुल्क	9778.52	10286.44	11790.93	5749.42	5582.85
स्पैक्ट्रम प्रभार	3809.54	3433.23	5192.30	5912.04	1397
नीलामी राजस्व		106264.73		1722.24	

यूएसओ से संबंधित कार्य

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का संवितरण और उसकी निगरानी राज्य स्तर पर संचार लेखा नियंत्रक, के कार्यालयों द्वारा की जाती है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते समय संचार लेखा नियंत्रक द्वारा निधियों के संवितरण के पूर्व दावों का सत्यापन किया जाता है। दावों की सत्यता सिद्ध करने के लिए वे उनका वास्तविक निरीक्षण और निगरानी भी करते हैं। इसके अतिरिक्त सीसीए, सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक संपर्क स्थापित करने वाले कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं। वे राज्य सरकारों से आपसी सम्पर्क भी करते हैं।

विवाचन से संबंधित कार्य

तार प्राधिकरण और इस सुविधा के प्रयोक्ता के बीच किसी विवाद की स्थिति में निर्णय करने के लिए विभाग द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7-ख के प्रावधानों के अनुसार विवाचक नियुक्त किए जाते हैं। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 300 के करीब विवाचक नियुक्त किए जाते हैं। हाल ही में विभाग ने भारत संचार निगम लि0 और महानगर टेलीफोन निगम के बिलों संबंधी विवादों के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7-ख के तहत विवाचक नियुक्त करने की अपनी शक्तियां प्रधान नियंत्रक/संचार लेखा नियंत्रकों को प्रदान कर दी हैं। ऐसा उपभोक्ताओं की अभिगम्यता बढ़ाने के लिए तथा शिकायत निपटान की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए किया गया है।



परिसंपत्ति प्रबंधन

दूरसंचार विभाग ने, भूमि तथा भवन के रूप में बड़ी परिसंपत्तियों का मालिक होने के नाते भूमि तथा भवन संबंधी एक परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सीसीए कार्यालय, बीएसएनएल/एमटीएनएल अधिकारियों के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग/भारत संचार निगम लि०/महानगर टेलीफोन निगम की भूमि का सत्यापन करते हैं। परिसंपत्ति रजिस्टर का रख-रखाव/ भारत संचार निगम लि० को भूमि स्थान अंतरित किए जाने का कार्य सीसीए, कार्यालयों द्वारा किया जाता है। दूरसंचार विभाग का भूमि एवं भवन परिसंपत्ति संबंधी रजिस्टर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित दूरसंचार विभाग की परिसंपत्ति वेबसाइट पर तैयार किया गया है। भूमि एवं भवन परिसंपत्ति की जीआईएस मैपिंग का कार्य एनआईसी द्वारा पूरा कर लिया गया है।

राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एनआईसीएफ)

राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से मान्यता प्राप्त एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है। यह संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का शीर्ष स्तर का प्रशिक्षण संस्थान है जो दूरसंचार विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह दूरसंचार विभाग और डाक विभाग में तैनात भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा तथा वित्त सेवा अधिकारियों एवं कर्मियों (आईपीएंडटीएफएस) की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। तथापि, सीटीआई होने के नाते इसका लक्ष्य संचार क्षेत्र एवं अन्य संगठित सिविल सेवाओं की क्षेत्रवार प्रशिक्षण, विकास और शोध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

कार्यशाला/सेमिनार

एनआईसीएफ दूरसंचार नीतियों, योजना तथा लाइसेंसिंग, यूएसओ विनियम, डाक लेखा, डाक वित्त के लिए एक नोडल प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र का कार्य करता है। इसने सार्वभौमिक सेवा योजना का प्रभाव मूल्यांकन, वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, अवसंरचना का धारणीय विकास, टीईआरएम प्रकोष्ठ की आंतरिक लेखा परीक्षा, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, राजस्व प्रबंधन और कॉम्पैक्ट का क्रियान्वयन आदि जैसे मुद्दों पर अनेक कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए हैं। एनआईसीएफ ने वित्तीय सलाह और दूरसंचार क्षेत्र के लाइसेंस की विशेष लेखा परीक्षा, अभिप्रेरणा आदि जैसे विषयों पर उत्कृष्ट पेशेवरों द्वारा व्यावयान आयोजित किए।

दिनांक 07.06.2012 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में टीईआरआई की सहायता से अवसंरचना के धारणीय विकास के संबंध में सेमिनार आयोजित किया गया।

प्रवेश एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण

एनआईसीएफ आईपीएंडटीएफएस समूह क परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रवेश प्रशिक्षण आयोजित करता है। एनआईसीएफ में उन्हें प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, सरकारी नियमों और विनियमों के विभिन्न पहलुओं के साथ ही दूरसंचार एवं डाक लेखा और वित्तीय प्रकार्यों में प्रशिक्षित किया जाता है।

प्रवेश प्रशिक्षण और सेवाकालीन पाठ्यक्रम समूह ख और समूह ग अधिकारियों के लिए भी आयोजित किए जाते हैं। समूह ख के तीन बैच और समूह ग के दो बैचों का प्रवेश प्रशिक्षण अब तक आयोजित किया जा चुका है।



श्री आर. चन्द्रशेखर, सचिव (टी), संचार भवन, नई दिल्ली में दिनांक 28.8.2012 को विदाई सत्र के दौरान आईपीएंडटीएफएस, 2010 के परीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए।

सेवा के मध्य प्रशिक्षण :-

डीओपीटी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एनआईसीएफ, समूह क आईपीएंडटीएफएस अधिकारियों के लिए अनिवार्य सेवा मध्य प्रशिक्षण (एमसीटी) भी आयोजित करता है। एनआईसीएफ द्वारा आईपीएंडटीएफएस समूह क अधिकारियों के लिए सेवा मध्य प्रशिक्षण चरण-IV सितम्बर-नवम्बर, 2012 के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सार्वजनिक नीति, सु-अभिशासन, स्पेक्ट्रम नीलामी, स्पेक्ट्रम आबंटन और कीमत निर्धारण दूरसंचार में विनियमन, मानव संसाधन प्रबंधन, सार्वभौमिक सेवा दायित्व, वित्तीय प्रबंधन, लेखा पद्धति, साइबर सुरक्षा और साइबर कानून, कॉरपोरेट अभिशासन आदि के क्षेत्र में प्रभाव से अवगत कराने के लिए, प्रतिभागी अधिकारियों को क्लासरूम प्रशिक्षण, क्षेत्रीय दौरों के रूप में जानकारी प्रदान की गई और इस विषय पर सर्वोत्तम पद्धतियों की अंतर्राष्ट्रीय जानकारी प्रदान की गई।



III. 5 सतर्कता संबंधी कार्यकलाप

दूरसंचार विभाग के सतर्कता स्कंध को जनता, मंत्रालयों, संसद सदस्यों, विधायकों, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसे विभिन्न स्रोतों और एमटीएनएल/बीएसएनएल की फील्ड यूनिटों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसके बाद दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए इन शिकायतों की जांच की जाती है। अप्रैल, 2012 दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान, कुल 264 शिकायतें (सीवीसी से अलग) प्राप्त हुईं जिनमें से 45 शिकायतों की जांच की गई। इसी अवधि के दौरान 51 अधिकारियों/कर्मियों के विद्ध आरोप पत्र जारी किये गए, अनुशासनिक कार्यवाही पूरी होने पर 52 अधिकारियों/कर्मियों को दीर्घ/लघु शास्ति द्वारा दंडित किया गया, 4 अभियोजन मंजूरियां जारी की गईं तथा 10 अपील मामलों का निपटारा किया गया।

अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण

सतर्कता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है। पांच दिवसीय सतर्कता और अनुशासनिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक वर्ष विभिन्न दूरसंचार सर्किलों को कवर किया जाता है। यह कार्यक्रम बीएसएनएल/एमटीएनएल के विभिन्न दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्रों में तैयार की गई सूची के अनुसार आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किए जा रहे विभिन्न स्तरों के अधिकारी सतर्कता और अनुशासनिक कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं से परिचित हुए हैं और बाद में इन अधिकारियों का जांच/प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों तथा सतर्कता अधिकारियों के रूप में एक पूल बनाया जाएगा। इस अवधि में 345 अधिकारी प्रशिक्षित किए गए।

सतर्कता निकासी

यह सतर्कता स्कंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इसकी आवश्यकता पदोन्नति, विदेश में प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति, अन्य संगठनों/विभागों में प्रतिनियुक्ति और पासपोर्ट आदि प्राप्त करते समय पड़ती है। अप्रैल-दिसम्बर, 2012 की अवधि में विभिन्न उद्देश्यों के लिए 2,971 कर्मियों को सतर्कता निकासी प्रदान की गई और मार्च, 2013 की अवधि तक के लिए इसका अनुमानित आंकड़ा 1,200 है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जिसका सतर्कता संबंधी मामलों के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि पर क्षेत्राधिकार है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ समुचित परामर्श प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विद्ध कार्रवाई की जाती है। दूरसंचार विभाग का सतर्कता स्कंध दूरसंचार विभाग के सतर्कता संबंधी मामलों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ समन्वय करता है। दिनांक 01.4.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान, जांच के बाद 40 मामलों को सीवीसी के पास सलाह प्राप्त करने के लिए भेजा गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

दिनांक 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए निबंध, पहेली और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।



सांख्यिकीय सार

i. विभिन्न कार्यकलापों का सांख्यिकीय सार नीचे दिया गया है :-

कार्यकलाप	दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2012 तक
दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	264
छानबीन की गई शिकायतों की कुल संख्या	45
की गई अनुशासनिक/अन्य कार्यवाही की कुल संख्या	228
अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें आरोप-पत्र दिए गए, की कुल संख्या	51
संस्तुत दीर्घ शास्तियों की कुल संख्या	32
संस्तुत लघु शास्तियों की कुल संख्या	19
जारी की गई सतर्कता निकासी की कुल संख्या	2971

ii. अप्रैल, 2012-दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान, प्राप्त की गई और निपटाई गई सीवीसी शिकायतों की संख्या

दिनांक 1 अप्रैल, 2012 की स्थिति के अनुसार, पिछली बकाया	31 दिसम्बर, 2012 तक प्राप्त	31 दिसम्बर, 2012 तक निपटाई गई	31 दिसम्बर, 2012 तक कुल बकाया
44	50	80	14



दिनांक 29.10.2012 को सचिव (टी) ने शपथ दिलाई।



III. 6 दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन एवं अनुवीक्षण (टीईआरएम)

टीईआरएम प्रकोष्ठों का उदभव – देश में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की बढ़ती संख्या के कारण सरकार ने देश के सभी लाइसेंसित सेवा क्षेत्रों और बड़े दूरसंचार जिलों में दूरसंचार प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता महसूस की। अभिगम सेवा प्रदाताओं और आईएसपी की संख्या बढ़ने से दूरसंचार प्रचालन के क्षेत्र में अवैध/गुप्त प्रचालन की भी वृद्धि हुई है। इस समस्या से निबटने के लिए सरकार ने सतर्कता दूरसंचार अनुवीक्षण प्रकोष्ठों (वीटीएम) का गठन किया है जिसका नाम बदलकर दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन और अनुवीक्षण (टीईआरएम) प्रकोष्ठ रखा गया है ताकि इनके समग्र कार्यों को प्रदर्शित किया जा सके। आज की स्थिति के अनुसार, पूरे देश में 34 टीईआरएम प्रकोष्ठ हैं, प्रत्येक प्रकोष्ठ का प्रमुख वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर का अधिकारी होता है, जिसे उप महानिदेशक, टीईआरएम कहा जाता है।

टीईआरएम प्रकोष्ठ को सौंपे गए कार्य

उपभोक्ताओं के प्रापण संबंधी विहित मानकों के अनुपालन का अनुवीक्षण :

वर्ष 2007 में यह निर्णय लिया गया कि सुरक्षा संबंधी सरोकारों के लिए उपभोक्ताओं के प्रापण के बारे में विहित मानकों के अनुपालन का अनुवीक्षण सतत रूप से किया जाए। इस उद्देश्यार्थ यह निर्णय लिया गया कि प्रति माह प्रतिदर्शी आधार पर सभी सक्रिय उपभोक्ताओं के ग्राहक प्रापण प्रपत्रों (सीएएफ) का सत्यापन किया जाए। वर्ष 2008 में, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की सिफारिश के आधार पर प्रतिदर्शी आकार को संशोधित करके 0.1% तक कर दिया गया। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने पर इन पर दंड भी लगाया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, (सीएएफ) के अनुपालन संबंधी प्रतिशतता, जो लगभग 80% थी, को बढ़ाकर लगभग 95% कर दिया गया है। 31 दिसंबर, 2012 तक ₹2.9 करोड़ से अधिक राशि के ग्राहक प्रापण प्रपत्रों सीएएफ की जांच की गई है और ₹407 करोड़ से अधिक की राशि दंड के रूप में अनुपालन न करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एकत्र की गई है।

अपनी उपर्युक्त गतिविधियों के अलावा, टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों का भी संचालन किया जा रहा है तथा मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने पर दंड लगाया जा रहा है :

- (i) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता डाटाबेसों का विश्लेषण करते हैं।
- (ii) स्टोरेज से सीधे प्रतिदर्शों की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मालगोदामों का निरीक्षण करते हैं।
- (iii) एलईए सहित विभिन्न स्रोतों द्वारा रिपोर्ट किए गए उपभोक्ता सत्यापन संबंधी मामलों का निरीक्षण करते हैं।

मासिक सीएएफ लेखा परीक्षा संबंधी मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में शास्ति के रूप में 20 करोड़ से अधिक राशि का एकत्र की गई है। सीएएफ/दस्तावेजों से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में, दूरसंचार विभाग के निर्देश के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध दिनांक 31.12.2012 तक स्थानीय पुलिस के पास 78,000 से अधिक कनेक्शनों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।



सेवा परीक्षण : लाइसेंस करार के अनुसार, सभी अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित समयवधि के भीतर अपनी सेवाएं प्रदान करें। इसके लिए उन्हें दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित पैरामीटर तथा गुणवत्ता/कवरेज की फिर से जांच करने के लिए स्वयं द्वारा चयनित जिलों में अपनी सेवाएं प्रदान करनी हैं। वर्ष 2007 में यह निर्णय लिया गया कि टीईआरएम प्रकोष्ठों को उस समय तक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए मामलों की सेवा की जांच करने और अपने पास नए मामलों को पंजीकृत कराने की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। ये काफी सघन जांच होती है और दूरसंचार विभाग द्वारा इन जांचों के लिए आरोपों का निर्धारण किया गया है। टीईआरएम प्रकोष्ठ स्वयं द्वारा जांच किए गए मामलों के संदर्भ में सेवा जांच परिणाम प्रमाण-पत्र (एसटीआरसी) भी जारी कर रहे हैं। दिनांक 31 दिसंबर, 2012 तक, टीईआरएम प्रकोष्ठों ने 14000 से अधिक बीटीएस की जांच की है जिससे जांच शुल्क के रूप में ₹55 करोड़ से अधिक की राजस्व राशि प्राप्त हुई है।

इसके अलावा, टीईआरएम प्रकोष्ठ उन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर परिनिर्धारित नुकसानी प्रभार लगाने के लिए दायित्व का रॉल आउट करने संबंधी संग्रहित आंकड़े भी प्रेषित कर रहे हैं, जो रॉल-आउट शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

ईएमएफ विकिरण मानकों के अनुपालन की जांच : मानव स्वास्थ्य पर वैद्युत चुम्बकीय विकिरण के हानिकारक प्रभावों के संबंध में बढ़ती चिंता के मद्देनजर, वर्ष 2010 में यह निर्णय लिया गया कि टीईआरएम प्रकोष्ठों को सरकार द्वारा विहित ईएमएफ विकिरण मानकों के अनुपालन की दुबारा जांच करने का कार्य सौंपा जा सकता है। इस संबंध में, जांच शुल्क सहित अन्य विशिष्ट प्रक्रियाओं को भी निर्धारित किया गया है।

31 दिसंबर, 2012 तक, विकिरण मानकों के अनुपालन हेतु 47000 से अधिक बीटीएस की जांच की गई है जिससे जांच शुल्क के रूप में 47 करोड़ से अधिक राशि का राजस्व प्राप्त हुआ है।

जन शिकायत संबंधी मामलों का निपटान : टीईआरएम प्रकोष्ठ अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित लाइसेंसप्रदाता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तथा इनके द्वारा पीजी पोर्टल या अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण और समाधान किया जाता है। दिनांक 31 दिसंबर, 2012 तक, 4500 से अधिक मोबाइल कनेक्शनों (एमएनपी से भिन्न) के विरुद्ध शिकायतों पर टीईआरएम द्वारा कार्रवाई की गई है।

राजकोष को वित्तीय हानि पहुंचाने वाले अवैध ढांचों को प्रतिबंधित करना : टीईआरएम प्रकोष्ठों के सृजन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अवैध प्रचालनों (जो भारतीय दूरसंचार अधिनियम के तहत अनुमत नहीं हैं) को प्रतिबंधित करना तथा अपराधियों की गिरफ्तारी करनी थी। अभी तक, ऐसे 500 से अधिक अवैध ढांचों का पता लगाया गया है और संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात् स्थानीय पुलिस, सीबीआई, डीआरआई इत्यादि की मदद से उन पर छापे मारे गए हैं ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी की जा सके। इन मामलों को विधि प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया है ताकि अपराधियों के विरुद्ध भावी कार्रवाई की जा सके।

अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) का पंजीकरण : देश में बीपीओ उद्योग का विकास होने पर, यह निर्णय लिया गया कि दूरसंचार विभाग, मुख्यालय द्वारा किए जा रहे अन्य सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण को विकेंद्रित किया जाए। टीईआरएम प्रकोष्ठों को ओएसपी पंजीकरण सहित टेली-मार्केटर्स के पंजीकरण का कार्य भी सौंपा गया था। टेलीमार्केटर्स के पंजीकरण संबंधी कार्य अभी ट्राई द्वारा किया जा रहा है। ओएसपी के पंजीकरण हेतु प्राप्त



होने वाले आवेदनों में वृद्धि के मद्देनजर, एनआईसी की सहायता से एक साफ्टवेयर तैयार किया गया है ताकि ओएसपी पंजीकरण के आवेदनों के निपटान हेतु अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और तीव्र प्रक्रिया तंत्र की व्यवस्था की जा सके। सरकार ने टेलीमार्केटर के पंजीकरण के लिए ₹1,000/- तथा ओएसपी पंजीकरण के लिए ₹1,500/- का नाममात्र का प्रक्रिया शुल्क भी निर्धारित किया है। दिनांक 31 दिसंबर, 2012 तक टीईआरएम प्रकोष्ठ द्वारा 20,000 से अधिक टेलीमार्केटरों/ ओएसपी को पंजीकृत किया गया है जिससे ₹2.09 करोड़ से अधिक राशि का राजस्व अर्जन हुआ है।

उपभोक्ताओं/दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का निरीक्षण : की जांच: टीईआरएम प्रकोष्ठ दूरसंचार विभाग द्वारा जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन की जांच के लिए समय-समय पर निम्नलिखित प्रकार का निरीक्षण करता है:

- i) यूएसएल/सीएमटीएस/बुनियादी लाइसेंसधारकों का निरीक्षण
- ii) राष्ट्रीय लंबी दूरी/ अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी लाइसेंसधारकों का निरीक्षण
- iii) अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदाताओं का निरीक्षण
- iv) अन्य सेवा प्रदाताओं/टेली मार्केटरों का निरीक्षण
- v) अवसंरचना प्रदाताओं-1 (आईपी-1) का निरीक्षण
- vi) अधिक संख्या वाले ग्राहकों, बहुत अधिक उपयोग करने वाले, इंटरनेट पट्टेशुदा लाइनों, वी-सैट ग्राहकों सहित अन्य ग्राहकों का निरीक्षण
- vii) खुदरा विक्रेताओं / वितरकों का निरीक्षण।

दिनांक 31 दिसंबर, 2012 तक टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा ऐसे 5400 से अधिक निरीक्षण किए गए तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करके इनसे संबंधित विसंगतियों को ठीक किया गया है।

केंद्रीकृत अनुवीक्षण प्रणाली : सरकार ने वैध अंतरावरोधन तथा अनुवीक्षण के लिए केंद्रीकृत अनुवीक्षण प्रणाली की स्थापना करने का निर्णय लिया है जिससे लक्ष्यों का विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा यथा अपेक्षित इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से रख-रखाव संभव होगा ताकि विभिन्न चरणों पर मैनुअल हस्तक्षेप कम हो सके तथा समय की बचत भी हो सके। यह प्रणाली सी-डॉट द्वारा स्थापित की जानी है। केंद्रीकृत अनुवीक्षण प्रणाली शुरू किए जाने के बाद टीईआरएम प्रकोष्ठ इनके प्रचालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

अन्य प्रमुख कार्य

- क. संवेदनशील क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के फ्रेन्चाइजी नियुक्त करना: दिनांक 31 दिसंबर, 2012 तक 28,000 से अधिक अनापत्तियां जारी की गई हैं।
- ख. फील्ड के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा विभिन्न नेटवर्क प्रचालकों के बीच समन्वय करना और नेटवर्क पैरामीटरों की निगरानी करना।
- ग. लाइसेंसप्रदाता द्वारा जनहित में जारी निर्देशों का लाइसेंसधारक द्वारा अनुपालन किए जाने की जांच करना।
- घ. संबंधित लाइसेंसिकृत सेवा क्षेत्र में उपभोक्ता डाटाबेस का अनुरक्षण करना और इसे अद्यतन बनाना।



- ड. संबंधित लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र के सेल स्थलों/बीटीएस रजिस्ट्रों का अनुरक्षण और इन्हें अद्यतन करना।
- च. देश तथा उपभोक्ताओं के समग्र हित में दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर इसे सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों को निष्पादित करना।
- छ. ग्लोबल कॉलिंग कार्ड, अंतरराष्ट्रीय सिम कार्डों इत्यादि की बिक्री के क्षेत्र में दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संदर्भ में कंपनियों द्वारा शर्तों का अनुपालन किए जाने की जांच करना।
- ज. ओएसपी, आईपी-1, आईपी-11 इत्यादि श्रेणी के अंतर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा पंजीकृत कंपनियों द्वारा शर्तों के अनुपालन की जांच करना।
- झ. अंतः प्रचालक कॉलों के लिए कॉल पूरा होने का इष्टतम अनुपात सुनिश्चित करने के लिए अंतः प्रचालक संपर्कता की निगरानी करना।
- ञ. ग्राहकों, सीडीआर, एक्सचेंज रिकॉर्डों इत्यादि के संबंध में सूचना प्रदान करने में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों/एलईए को सहायता प्रदान करना और एलईए के साथ समन्वय/राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करना।
- ट. लाइसेंसधारक के नेटवर्क से होकर गुजरने वाले सभी संचार संप्रेषणों के संबंध में लाइसेंसधारक की ओर से प्रस्ताव किए जाने पर वैध अंतरावरोधन/ निगरानी की तकनीकी व्यवस्था करना।
- ठ. आपदा प्रबंधन: प्राकृतिक आपदा या अन्य आपात स्थितियों में नेटवर्क को अपने अधिकार में लेना।
- ड. विभिन्न लाइसेंसधारकों के कॉल डाटा रिकॉर्डों/एक्सचेंज रिकॉर्डों/ अंशदान/परियात डाटा का विश्लेषण करना।



III. 7 महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण संबंधी राष्ट्रीय नीति में वर्णित महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और महिला प्रतिरक्षीकरण (जेंडर मेनस्ट्रीमिंग) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के नीतिपरक दृष्टिकोण के अनुसरण में दूरसंचार विभाग और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कुछ कदम उठाए हैं।

दूरसंचार विभाग अपनी सभी यूनिटों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों/अनुदेशों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुसरण करते हुए विभाग ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए महिला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

विभाग के विभिन्न कार्यशील स्कंधों के द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयास नीचे दिए गए हैं: -

दूरसंचार विभाग-सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की संचार शक्ति स्कीम

दूरसंचार विभाग-सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का जेंडर बजट कार्यक्रम: ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की अतिमहत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, महिलाओं के स्वयं सेवी समूहों(एसएचजी) की आईसीटी समर्थ सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्यार्थ प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए एक स्कीम प्रारंभ की गई है। संचार शक्ति स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों की परियोजनाएं शामिल हैं।

- क. एसएचजी को कम से कम एक वर्ष की सेवा वैद्यता/वारंटी के साथ मोबाइल मूल्यवर्द्धित सेवा के सब्सक्रिप्शन का प्रावधान।
- ख. ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी द्वारा चलाए जाने वाले मोबाइल मरम्मत केन्द्रों की स्थापना करना।
- ग. ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी द्वारा चलाए जाने वाले मोडम मरम्मत केन्द्रों की स्थापना करना।
- घ. ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी द्वारा चलाए जाने वाले सौरऊर्जा आधारित मोबाइल/सीडीएमए एफडब्ल्यूटी प्रभारण केन्द्रों की स्थापना करना।

आर्थिक राज सहायता संबंधी करार के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्वयं सेवी समूहों (एसएचजी) हेतु वीएस अशंदान के रूप में यूएसओएफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। वर्तमान में, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में 9 मोबाइल मूल्यवर्द्धित सेवा संबंधी परियोजनाओं के लिए एकाग्रता सकेंद्रण प्रमाण (पीओसी) के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

संचार शक्ति स्कीम के अंतर्गत 3 सेवा प्रदाताओं के साथ 4 पायलट परियोजनाओं के लिए करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। दूरसंचार विभाग के विधायी एवं वित्तीय सलाहकार द्वारा मसौदा करारों की पहले ही संवीक्षा कर ली गई है। माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने सेवा प्रदाताओं के साथ करार किए जाने का अनुमोदन कर दिया है। इस समय तीन सेवा प्रदाता करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए लक्षित व्यक्तिगत लाभग्राहियों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।



टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)

महिला संबंधी मुद्दों के प्रति गंभीरता

सी-डॉट प्रबंधन लिंग भेद संबंधी मामलों के प्रति हमेशा ही गंभीर रहा है तथा एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति को सृजित करने में सतत् रूप से कार्य करता रहा है जिसमें पुरुषों और महिलाओं में समानता की झलक दिखती हो। सी-डॉट के कर्मचारियों में इस समय लगभग 33% महिलाएं हैं।

मौजूदा नीतियां

- क) सभी महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का प्रसूति अवकाश लेने की अनुमति है जिसे बाद में 270 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है (180 दिनों के प्रसूति अवकाश सहित)। गर्भस्त्राव/गर्भपात के लिए पूरी सेवा अवधि में कुल 45 दिन की छुट्टी देय है।
- ख) सी-डॉट अपनी सभी महिला कर्मचारियों को उनकी अपनी पात्रता के अनुसार विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराते हुए आवासीय और परिवहन सुविधा देता है। इससे इस कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित हो जाती है।
- ग) महिला कर्मचारियों में से लगभग 61% महिला कर्मचारियों के लिए आवासीय टेलीफोन खर्चों की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य है। 43% महिला कर्मचारियों के लिए बहु-प्रकार्य भत्ता स्वीकार्य है।
- घ) सी-डॉट में महिला कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं। पिछले वित्त वर्ष में, उच्च ग्रेडों में पदोन्नत किए गए कुल कर्मचारियों में से 37% महिलाएं थीं। प्रबंधन संवर्गों (टीम लीडर, ग्रुप लीडर, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ) में महिलाएं लगभग 24% हैं।
- ङ) कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन शोषण से संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिए सी-डॉट बोर्ड द्वारा एक समिति गठित की गई है ताकि इन मामलों पर निष्पक्ष और न्यायोचित ढंग से गौर किया जा सके और इन पर उपयुक्त कार्रवाई सुझाई जा सके।

भारत संचार निगम लिमिटेड(बीएसएनएल)

भारत संचार निगम लि0 में महिला कर्मचारियों के हित के लिए निम्नलिखित स्कीमें मौजूद हैं :-

- क. सभी महिला कर्मचारियों को 180 दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाता है।
- ख. निःशक्त महिला कर्मचारियों को अधिकतम दो बच्चों की देखभाल हेतु बर्ष की आयु दो वर्ष होने तक ₹1000 प्रतिमाह की दर से विशेष भत्ता दिया जाता है।

महानगर टेलीफोन निगम लि0 (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लि0 ने सदैव अपने क्षेत्र के अंतर्गत नवीन कार्य योजनाओं को निष्पादित करते हुए महिलाओं की सामाजिक स्थिति को उन्नत करने के प्रयास किए हैं। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार कुल जनशक्ति में 21.87% महिलाएं हैं।



इसके अतिरिक्त महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण को और सुदृढ़ बनाने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि० ने अनेक कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

- क. समान पद पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को समान पारिश्रमिक दिया जाता है और जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर प्रतिपूर्ति के भुगतान में किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। रात्रि पाली में कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों के मामले में विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्हें विश्राम कक्ष/ शयनागार उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्हें रात्रि ड्यूटी भत्ता भी दिया जाता है। उनकी रात्रि ड्यूटी पाली की व्यवस्था इस तरह की जाती है कि वे दिन में ही ड्यूटी पर रिपोर्ट करें और दिन में ड्यूटी समाप्त कर घर जा सकें। इस प्रकार की ड्यूटी केवल सप्ताह में एक बार ही होती है और रात्रि ड्यूटी करने के बाद कर्मचारियों को केवल तीसरे दिन की ड्यूटी पर कार्य करना होता है बीच का दूसरा दिन अवकाश होता है। प्रभावी होने पर ऐसी ड्यूटी में लगातार दो दिन का अंतराल होता है।
- ख. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने तथा इससे संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए इकाई स्तर और निगमित कार्यालय में यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- क. सेवा संबंधी शर्तें समान हैं तथा इस संबंध में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच कोई भेद नहीं है।
- ख. महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश भी प्रदान किया जाता है।
- ग. महिला कर्मचारियों के शिशुओं के लिए शिशुसदन की सुविधा भी प्रदान की गई है।
- घ. महानगर टेलीफोन निगम लि० महिला कल्याण संगठन के लिए वार्षिक आधार पर विशेष अनुदान की मंजूरी दी जाती है जिनके द्वारा परिणामस्वरूप कार्यरत और सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों के सगे संबंधियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

आईटीआई लिमिटेड

आईटीआई लिमिटेड, सामाजिक सचेतना वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो अपने प्रारंभ से ही कर्मचारियों के कल्याण की संकल्पना के प्रति प्रतिबद्ध है। महिला कर्मचारियों और निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण को यथोचित महत्व दिया जाता है। 01 सितंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार आईटीआई में 716 महिला कर्मचारी हैं।

महिला कर्मचारियों को प्रदान की जा रही प्रमुख सुविधाएं निम्नानुसार हैं : -

- क. उनके लिए कैटीन में अलग से भोजन कक्ष की व्यवस्था की गई है तथा इसकी इकाइयों में आराम कक्ष, शिशु सदन की व्यवस्था की गई है।
- ख. कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा/प्रतिपूर्ति लाभ प्रदान करने हेतु कई बृहत् स्वास्थ्य योजनाएं हैं। कंपनी द्वारा चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए विशेषकर महिला एवं बाल कल्याण के लिए बंगलौर, नैनी, मनकापुर और रायबरेली संयंत्रों में अस्पताल स्थापित किए गए हैं।
- ग. कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधिकांश यूनिटों में गैर-अधिकारियों और अधिकारियों पर लागू स्थायी आदेशों में यौन उत्पीड़न संबंधी खंड को शामिल करके इन्हें वर्ष 2004-05 के दौरान संशोधित किया गया है और इसी प्रकार से अधिकारियों पर लागू सीडीए नियमों को भी संशोधित किया गया है।



- घ. कंपनी में किसी भी महिला कर्मचारी द्वारा की गई यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत की जांच हेतु प्रत्येक इकाई में शिकायत समिति का गठन किया गया।
- ङ. यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाता है कि महिला कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाए।

टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लि०(टीसीआईएल)

टीसीआईएल में महिलाओं के कल्याण हेतु विभिन्न निम्नलिखित स्कीमें चलाई जाती हैं:-

- क. महिला कर्मचारियों को उनके नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु दिए जाने वाले प्रसूति अवकाश को 3 महीने से बढ़ाकर 5 महीने कर दिया गया है।
- ख. महिलाओं एवं पुरुषों के बीच कोई भेद भाव नहीं किया जाता और महिला कर्मचारियों को अन्य पुरुष कर्मचारियों के समान ही गिना जाता है।
- ग. यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों को निपटाने/समाधान करने और ऐसे मामलों के घटित होने से बचने के लिए महिला सदस्यों वाली एक यौन उत्पीड़न संबंधी समिति गठित की गई है।
- घ. जिन महिला कर्मचारियों के बच्चे छोटे हैं उनके लिए कार्यालय परिसर के निकट शिशु सदन उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।
- ङ. दिवंगत कर्मचारियों की पत्नियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अनुकम्पा आधार पर अनेक नियुक्तियां की गई हैं।
- च. कोटा राजस्थान में कन्या विद्यालयों में 10 शौचालयों का निर्माण किया गया है।



III. 8 निःशक्त व्यक्ति

दूरसंचार विभाग, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करता है।

टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र – (सी-डॉट)

दूरसंचार विभाग निःशक्त व्यक्तियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करता है। सी-डॉट में इन श्रेणियों के व्यक्तियों के कल्याण हेतु और उनके सामने आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत का समाधान करने की कार्य पद्धति भी है। दिल्ली स्थित सी-डॉट कैम्पस का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि जिससे निःशक्त व्यक्तियों के लिए बाधा रहित स्वतंत्र वातावरण सुनिश्चित हो सके। इसके मुख्य प्रवेश/निकास द्वार तक सीढ़ियों/और रैम्प के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यहां तक कि, विभिन्न कार्य-क्षेत्रों को जोड़ते हुए रास्तों में स्वचालित सीढ़ियां भी लगाई गई हैं ताकि निःशक्त व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक स्कंध से दूसरे स्कंध में घूम-फिर सकें

भारत संचार निगम लि0 (बीएसएनएल)

भारत संचार विभाग लि0 वर्ष 2012-13 के दौरान बी0एस0एन0एल के कल्याणकारी उपायों के एक भाग के रूप में निःशक्त व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बीएसएनएल निःशक्त व्यक्तियों को पीसीओ आबंटित करने को प्राथमिकता देता है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट सामाजिक दायित्व स्कीम के अंतर्गत दूरसंचार सर्किल शारीरिक रूप से विकलांग/ मंद बुद्धि बच्चों के स्कूलों और अनाथ आश्रमों में प्रिंटर सहित पीसी और ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं।

शारीरिक रूप से विकलांग पात्र कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ते की दरों को दुगुना करने की अनुमति दी गई है। जहां तक संभव होता है इन व्यक्तियों की तैनाती क्षेत्र के भीतर उनके निकट के स्थानों पर की जाती है।

महानगर टेलीफोन निगम लि0 (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नवीन कार्य योजनाएं बनाकर तथा कार्य योजनाओं का निष्पादन करके शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति के उन्नयन के प्रति हमेशा प्रयासरत रहा है। महानगर टेलीफोन निगम लि0 में 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार 199 निःशक्त कर्मचारी हैं।

विभिन्न श्रेणियों में अधिकारियों की भर्ती के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीसीओ के आबंटन में विलम्ब से बचने के लिए, उन्हें सीडीएमए/जीएसएम प्रौद्योगिकी पर आधारित मोबाइल बूथ प्रदान किए जा रहे हैं।

महानगर टेलीफोन निगम लि0 द्वारा अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं और समाज में इन्हें आदर्शपूर्ण स्थिति प्रदान किए जाने के लिए कुछ अन्य नवीन स्कीमें तैयार की जा रही हैं।



आईटीआई लिमिटेड

सरकारी निर्देशों के अनुसार आईटीआई लि0 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए भर्ती में 3% आरक्षण प्रदान करता आ रहा है और पदोन्नति में आरक्षण, जहां कहीं भी लागू होता है, प्रदान किया जाता है। नगर क्षेत्र में निर्मित आवासों में निवास कर रहे शारीरिक रूप से निःशक्त कर्मचारियों को मूल वेतन के 5% की दर से विशेष भत्ता दिया जाता है परंतु अधिकतम राशि प्रतिमाह ₹75 होनी चाहिए। जो कर्मचारी कंपनी के नगर क्षेत्र में नहीं रहते किंतु अपने निवास स्थान से कारखाने तक आने जाने के लिए कम्पनी की परिवहन सुविधा का उपयोग कर रहे हैं उन्हें प्रति माह मूल वेतन के 5% की दर से विशेष भत्ता दिया जा रहा है। परंतु अधिकतम राशि प्रतिमाह ₹100 होनी चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को पारी की शुरुआत और बंद होने समय में आने की उपस्थिति और जाने की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए क्रमशः 10 मिनट की छूट दी जाती है। शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को बिना बारी के क्वार्टर आबंटित किए जाते हैं। शारीरिक रूप से विकलांगों के मामले में कंपनी समूह ग और घ के पदों की भर्ती के मामले में 10 वर्ष की और समूह क और ख के पदों के मामले में 5 वर्ष की छूट प्रदान कर रही है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के हों तो समूह क और ख के पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है। शारीरिक दृष्टि से निःशक्त कर्मचारियों को कंपनी में किसी भी पद पर आवेदन करने के लिए किसी प्रकार के आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती।

टेलीकम्यूनिकेशनस कन्सलटेंटस इंडिया लि0 (टीसीआईएल)

टीसीआईएल में शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता और उन्हें अन्य कर्मचारियों के समान ही समझा जाता है। इनकी सहायता करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :-

- क. यदि विकलांग व्यक्तियों के मामले/अभ्यावेदन कोई हो तो उन्हें अग्रेषित करना और उन पर प्रशासनिक बापयताओं के अध्यक्षीन अनूकूलतः विचार करना।
- ख. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता और उन्हें अन्य कर्मचारियों के समान ही समझा जाता है।
- ग. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कठिन परिस्थितियों वाले दूरदराज के स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता। जहां तक संभव होता है उन्हें गैर-तकनीकी पद /कार्य सौंपे जाते हैं।
- घ. शहर से बाहर रहने वाले शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के आवेदनों को अग्रेषित करते समय उदार रवैया अपनाया जाता है।
- ङ. जब कभी भी किसी वर्ष में कैम्पस भर्ती की जाती है तो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का चयन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। टीसीआईएल में सामान्य श्रेणी के और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। प्रत्येक कर्मचारी को समान अवसर दिया जाता है।



III. 9 नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण यंत्र

नागरिक/क्लाइंट चार्टर सरकारी विभाग द्वारा लिखित में दी हुई एक घोषणा है जो उनके द्वारा दी जाने वाली सेवा के मानकों, उपभोक्ताओं हेतु विकल्प की उपलब्धता, शिकायत निवारण व अन्य संबंधित सूचना के स्थान आदि की जानकारी देता है। दूसरे शब्दों में, यह विभाग द्वारा तैयार की गई प्रतिबद्धता है जो उसके द्वारा वितरित की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता से संबंधित है।

हालांकि यह कानूनी अदालत में प्रवर्तनीय हैं, किन्तु नागरिक/क्लाइंट चार्टर का उद्देश्य नागरिकों को यह अधिकार देना है कि वे सेवा के प्रतिबद्ध मानकों की मांग कर सकें तथा सेवा प्रदाता संगठनों द्वारा अनुपालन न करने पर उपाय का लाभ उठा सकें। नागरिक/क्लाइंट चार्टर का मूल उद्देश्य सेवाओं को आपूर्ति प्रवर्तक के स्थान पर मांग प्रवर्तक बनाकर नागरिक केन्द्रित लोक सेवाएं प्रदान करना है।

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे नागरिक चार्टर के स्थान पर क्लाइंट चार्टर का निर्माण करें, यदि वे जनता से सीधे संपर्क नहीं करते हैं।

दूरसंचार विभाग ने, अपना नागरिक/क्लाइंट चार्टर बनाया है जिसमें, रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट (आरएफडी) प्रारूप में दूरसंचार विभाग द्वारा वितरित की जा रही 39 मुख्य सेवाएं शामिल हैं। ये सभी सेवाएं संबंधित प्रक्रिया विवरण के साथ प्रलेखित की गई हैं, जिनमें आवश्यक दस्तावेजों का विवरण प्रत्येक सेवा लेने हेतु लागू शुल्क, यदि कोई हो तो और उसके भुगतान का तरीका शामिल है। चार्टर, सेवा वितरण का मानक, इन सेवाओं के वितरण के लिए उत्तरदायी केन्द्रों का संपर्क विवरण, वितरित सेवाओं के संबंध में निष्पादन मूल्यांकन मापदंड आदि विनिर्दिष्ट करता है। चार्टर में क्लाइंट्स के विवरण, सेवा प्राप्त करने हेतु उनकी अपेक्षाएं तथा विषयवस्तु पर डीएआरपीजी के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में शिकायत निवारण यंत्र के विवरण भी निहित हैं।

दूरसंचार विभाग का नागरिक/क्लाइंट चार्टर दूरसंचार विभाग की वेबसाइट www.dot.gov.in पर पब्लिक डोमेन में "सिटिजन चार्टर-आरएफडी फार्मेट" लिंक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। इसमें निहित कुछ सेवाएं इस प्रकार हैं:-

1. इंटरनेट लाइसेंस जारी करना, इंटरनेट लाइसेंस के अतिरिक्त आईपी टी.वी. अनुमति जारी करना, इंटरनेट लाइसेंस के अंतर्गत विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षा क्लियरेंस, इंटरनेट लाइसेंस धारक लाइसेंसधारी कंपनी के विलयन/अविलयन तथा सम्मेलन, इंटरनेट लाइसेंस धारक कंपनी हेतु नाम परिवर्तन के लिए अनुरोध, इंटरनेट लाइसेंस धारक कंपनी हेतु पंजीकृत कार्यालय पता हेतु नाम परिवर्तन के लिए अनुरोध, वेबसाइट/यूआरएल/आईपी एड्रेस के ब्लॉक हेतु इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अनुदेश जारी करना।
2. सीयूजी वीएसएटी लाइसेंस जारी करना, मोबाइल सैटेलाइट सेवा रिपोर्टिंग (एमएसएसआर) जारी करना, ओएफसी अथवा वायरलैस पर निजी कैंटिव सीयूजी नेटवर्क हेतु अनुमति जारी करना, नई उपग्रह सेवाओं/नेटवर्क में वृद्धि हेतु लाइसेंसधारियों को सैद्धांतिक रूप से क्लियरेंस जारी करना।



3. राष्ट्रीय दीर्घ दूरी (एनएलडी) लाइसेंस जारी करना, अन्तर्राष्ट्रीय दीर्घ दूरी (आईएलडी) लाइसेंस के अंतर्गत विदेशी नागरिकों को सुरक्षा क्लियरेंस जारी करना, नाम परिवर्तन हेतु आवेदन, एनएसडी/आईएलडी/लाइसेंस धारक कंपनी के लिए पंजीकृत कार्यालय पता परिवर्तन, पीएमआरटीएस/सीएमपीसीएस लाइसेंस जारी करना, जीएमपीसीएस लाइसेंस जारी करना, जीएमपीसी लाइसेंस जारी करना, अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-1 को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना, वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विस (यूएमएस) लाइसेंस जारी करना, अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग कार्डों तथा ग्लोबल कॉलिंग कार्ड्स की बिक्री/किराये हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।
4. वायरलैस लाइसेंस (806 मेगाहर्टज से अधिक) देना, वायरलैस ऑपरेटिंग लाइसेंस देना (806 एमएचजेड के नीचे) वायरलैस ऑपरेटिंग लाइसेंस (जीएसएम) सीडीएमए/3 जी/पीएमआरटीएस) प्रदान करना, अव्यवसायी स्टेशन ऑपरेटर प्रमाणपत्र लाइसेंस (एसओसी) जारी करना। दक्षता लाइसेंस (सीओपी) का प्रमाणपत्र, फ्रीक्वेंसी आबंटन क्लियरेंस प्रमाणपत्र (एसएसीएफए) पर स्थायी सलाकार समिति जारी करना।

शिकायत निवारण तंत्र

शिकायत के निपटान की जिम्मेदारी संबंधित सेवा प्रदाताओं/संगठनों/अधीनस्थ इकाइयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मंत्रालय के प्रशासनिक अनुभागों की है। तथापि, दूरसंचार विभाग का लोक शिकायत प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता के उक्त संगठन के विरुद्ध समुचित न्यायालय में जाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उससे प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है। शिकायतकर्ता दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के जन शिकायत प्रकोष्ठ को संबंधित संगठन/सेवा प्रदाता स्तर पर अपनी शिकायतों के समाधान न होने के साक्ष्य-कागजात के साथ निम्नलिखित माध्यम से संपर्क कर सकते हैं:

- क. डाक द्वारा : जन शिकायत प्रकोष्ठ, दूरसंचार विभाग, कमरा नं० 518, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
- ख. वैयक्तिक रूप से: सूचना एवं सुविधा केन्द्र, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
- ग. वेब पोर्टल : www.pgportal.gov.in द्वारा :

केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली

1. शिकायत के तीव्र निपटान, तीव्र पहुंच और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने, वेब प्रौद्योगिकी (सीपीजीआरएएमएस) पर आधारित, एक एकीकृत आवेदन प्रणाली का क्रियान्वयन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार विभाग और नागरिकों के मध्य तुरंत एवं सरल संचार के लिए कहीं से भी और किसी भी समय (24x7) शिकायतें प्रस्तुत करने की व्यवस्था करना है।



- II. इंटरनेट की मार्फत (दूरसंचार विभाग को) पीड़ित नागरिकों से शिकायतों की ऑनलाइन प्रस्तुति करने पर इस प्रणाली से एक अलग पंजीकरण नम्बर उपलब्ध कराया जाता है।
- III. शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बारे में निदान प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी करने के लिए इस प्रणाली में नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

विभागाध्यक्ष

सचिव (दूरसंचार)
दूरसंचार विभाग
210, संचार भवन, नई दिल्ली-110001
टेलीफोन नं. 011-23719898, फ़ैक्स सं. 23711514
ई मेल Id secy-dot@nic.in

संपर्क सूत्र

उप महानिदेशक (जन शिकायत),
दूरसंचार विभाग,
1210, संचार भवन, नई दिल्ली-110001,
टेलीफोन नं. 011-23372131 फ़ैक्स नं. 23372605
ई मेल Id ddgpg-dot@nic.in

हमारी वेबसाइट - www.dot.gov.in



IV. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) का सर्वदा यह प्रयास रहा है कि नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्यों को पूरा करने के संबंध में बेहतर गुणवत्ता और वहनीय मूल्यों के साथ दूरसंचार के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्सहित किया जाए। दिनांक 9 जनवरी, 2004 की सरकारी अधिसूचना के तहत प्रसारण और केबल सेवाओं को ट्राई संशोधन अधिनियम, 2000, द्वारा यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 2(v) के अनुसार 'दूरसंचार सेवा' की परिभाषा के दायरे में लाया गया है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखा जाए और साथ ही साथ दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास की अवस्थाओं के लिए ऐसे तरीके और क्रम को अपनाया जाए जिससे भारत उभरते हुए वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभा सके।

अप्रैल-दिसंबर, 2012 के दौरान वास्तविक उपलब्धियां

सिफारिशें

चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर, 2012) के दौरान प्राधिकरण ने दूरसंचार के विभिन्न मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

- I. एकीकृत लाइसेंस/श्रेणी लाइसेंस और मौजूदा लाइसेंसों के "माइग्रेशन" के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2012 दिशा-निर्देशों के बारे में सिफारिशें।
- II. विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों के लिए एक्जिट नीति के संबंध में दिनांक 18 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें।
- III. "स्पेक्ट्रम की नीलामी" के संबंध में दिनांक 23 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें।
- IV. एकीकृत लाइसेंस/श्रेणी लाइसेंस और मौजूदा लाइसेंसों के माइग्रेशन के बारे में दिनांक 16 अप्रैल, 2012 के दिशा-निर्देशों पर ट्राई की सिफारिशों के संबंध में दूरसंचार विभाग के पत्र के उत्तर में दिनांक 12 मई, 2012 की सिफारिशें।
- V. दिनांक 01.04.2012 से पूर्व स्थापित किए गए ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के लिए सहायता के संबंध में दिनांक 14 मई, 2012 की सिफारिशें।
- VI. "एप्लीकेशन सर्विस" (एमवीएस) के संबंध में दिनांक 14 मई, 2012 की सिफारिशें।
- VII. स्पेक्ट्रम की नीलामी-लागत, प्रशुल्क और वित्तीय लाभ पर प्रभाव का विश्लेषण के बारे में दिनांक 21 जून, 2012 की सिफारिशें।
- VIII. आवासीय और उद्यम अंतर-दूरसंचार आवेदनाओं/कोर्डलैस दूरसंचार पद्धति (सीटीएस) के स्पेक्ट्रम संसाधनों के आबंटन के संबंध में दिनांक 21 जून, 2012 की सिफारिशें।
- IX. ब्रॉडबैंड बेतार अभिगम के प्रयोग के लिए दिनांक 25.02.2012 के आवेदन आमंत्रण नोटिस(एनआईआई) में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों को शामिल करने के लिए आईएसपी लाइसेंस करार में संशोधन के संबंध में दिनांक 22 नवम्बर, 2012 की सिफारिशें।



विनियम

ट्राई द्वारा अप्रैल-दिसंबर, 2012 के दौरान निम्नलिखित विनियम जारी किए गए :-

- I. दि रिपोर्टिंग सिस्टम ऑन अकाउंटिंग सेपरेशन रेगुलेशनस 2012(2012 का 7) के बारे में दिनांक 11 अप्रैल, 2012 के विनियम।
- II. दिनांक 17 अप्रैल, 2012 के मोबाइल बैंकिंग (क्यूओएस) विनियम।
- III. दिनांक 14 मई, 2012 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता तरजीह विनियम, 2010 में नवां संशोधन।
- IV. दिनांक 8 जून, 2012 की दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी(तीसरा संशोधन) विनियम, 2012।
- V. दिनांक 18 सितम्बर, 2012 की इंटेलिजेंट नेटवर्क सर्विसेस इन मल्टी ऑपरेटर एंड मल्टी नेटवर्क सिनैरियों (संशोधन) विनियम, 2012।
- VI. दिनांक 18 सितम्बर, 2012 की दि टेलीकम्यूनिकेशनस इंटरकनेक्शनस (पोत प्रभार) दूसरा संशोधन विनियम, 2012।
- VII. दिनांक 19 सितम्बर, 2012 की दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2012।
- VIII. दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 की दि रिपोर्टिंग सिस्टम ऑन अकाउंटिंग सेपरेशन (संशोधन) विनियम, 2012।
- IX. दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 की इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन एक्सेस टू एसशियल फेसिलिटीएट केबल लैंडिंग स्टेशन (अमेंडमेंट) विनियम, 2012।
- X. दिनांक 05 नवम्बर, 2012 की दि टेलीकॉम कमर्शियल कम्यूनिकेशन उपभोक्ता तरजीह विनियम, 2010 में दसवां संशोधन।
- XI. दिनांक 8 नवम्बर, 2012 की स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ बेसिक टेलीफोन सर्विस (वायरलैस) एंड सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012।
- XII. दिनांक 27 नवम्बर, 2012 दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (पांचवा संशोधन) विनियम, 2012
- XIII. दिनांक 4 दिसंबर, 2012 की दि स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर वायरलैस डाटा सर्विसेज विनियम, 2012।
- XIV. दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 की दि इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशनस केबल लैंडिंग स्टेशन एक्सेस फेसिलिटीशन चार्जेस एंड को-लोकेशन चार्जेस विनियम, 2012।
- XV. दिनांक 24 दिसंबर, 2012 की ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा गुणवत्ता (संशोधन) विनियम, 2012।

दूरसंचार प्रशुल्क आदेश

अप्रैल-दिसंबर, 2012 के दौरान ट्राई ने प्रशुल्क आदेशों में भी संशोधन जारी किए हैं। ये निम्नानुसार हैं :-

- I. दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 में दिनांक 19.04.2012 को 50वां संशोधन जारी किया गया जिसमें कतिपय टॉप-अप श्रेणियों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क की सीमा को ₹2 से बढ़ाकर ₹3 कर दिया गया।
- II. दूरसंचार प्रशुल्क आदेश 1999 में 51वां संशोधन दिनांक 20.04.2012 को 51वां संशोधन किया गया जिसमें



प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा प्रति सैकण्ड पल्स रेट, प्रतियोगिताओं और खेलों में भाग लेने के लिए की जाने वाली कॉलों और एसएमएस के लिए प्रशुल्क की सीमा तय करके और आजीवन उपभोक्ताओं के लिए आईएलडी प्रशुल्क को कार्यान्वित करने के लिए संवा प्रदाताओं को छूट देने संबंधी प्रावधानों को अनिवार्य किया गया।

- III. दिनांक 19.08.2012 को दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 में 52वां संशोधन किया गया जिसमें सेवा प्रदाताओं द्वारा रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के उल्लंघन और अत्याधिक प्रभार लगाने के मामलों में उन पर वित्तीय डिस्ट्रिब्यूटमेंट को निर्धारित किया गया।
- IV. दिनांक 05.11.2012 को प्रतिदिन 100 से अधिक एसएमएस हो जाने पर प्रति एसएमएस 50 पैसा पलोर टैरिफ लगाने के लिए दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 में 54वां संशोधन किया गया।
- V. टॉक टाइम टॉप-अप पर प्रोसेसिंग शुल्क तथा प्रीमियम रेट सेवाओं पर प्रशुल्क के लिए दिनांक 01.10.2012 को दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 में 53वां संशोधन किया गया।

अन्य गतिविधियां

ट्राई द्वारा की गई अन्य गतिविधियां निम्नानुसार हैं :-

- I. "चुनिंदा देशों की राजनीति-सांख्यिकी में दूरसंचार" पर एक अध्ययन रिपोर्ट – चुनिंदा देशों की राजनीति-सांख्यिकी में दूरसंचार संबंधी रिपोर्ट संकलित की गई है। संकलन में दूरसंचार विकास की प्रवृत्तियों, विश्व भर में नीतियां और प्रक्रियाएं विशेषतौर पर दूरसंचार प्रगति और प्रसार के क्षेत्र में, सेवा निष्पादन की गुणवत्ता, चुनिंदा देशों में प्रमुख दूरसंचार कम्पनियों के स्पेक्ट्रम प्रबंधन और वित्तीय कार्यनिष्पादन का तीव्र गति से सिंहावलोकन किया जा सकता है।
- II. भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन इंडिकेटर रिपोर्ट :-
इस अवधि के दौरान मार्च 2012 और जून 2012 को समाप्त तिमाहियों की भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में देश में दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं की प्रगति पर और तिमाही के संबंध में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के सेवा निष्पादन की गुणवत्ता पर एक अद्यतन रिपोर्ट की व्यवस्था है। ये रिपोर्ट भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रदर्शकों (इंडिकेटर) को तिमाही रूप से अद्यतन करती हैं और दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं के संबंध में एक व्यापक संदर्श प्रस्तुत करती है ताकि विभिन्न पणधारियों के लिए एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य कर सकें।
- III. "भारत में दूरसंचार क्षेत्र एक दशक प्रोफाल" नामक एनसीईईआर अध्ययन रिपोर्ट ट्राई के अनुरोध पर एसीईईआर ने "भारत में दूरसंचार क्षेत्र एक दशक प्रोफाइल" नामक एक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें भारत में वर्ष 2001 से 2011 तक के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में हुई उत्तरोत्तर प्रगति को शामिल किया गया है।
रिपोर्ट में भारत में विगत दशक में दूरसंचार क्षेत्र में हुई उत्तरोत्तर प्रगति को प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन यह दर्शाता है कि विश्व भर में अन्य देशों की तुलना में भारत में मोबाइल प्रशुल्क न्यूनतम हैं। सरकार की नीतियों के माध्यम से सहायक विनियामक वातावरण और ट्राई द्वारा अपनाए गए विनियामक उपायों के कारण सेवा प्रदाताओं के लिए एक प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार होने में और उपभोक्ताओं तक वहनीय प्रशुल्क पर दूरसंचार सेवाओं की पहुंच में योगदान मिला है।



- IV. दि रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर एकाउंटिंग सेपरेशन विनियमावली 2012 संबंधी दिशा-निर्देश
दि रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर एकाउंटिंग सेपरेशन विनियमावली 2012 संबंधी दिशा-निर्देश दिनांक 22 अगस्त 2012 को ट्राई की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। ये दिशा-निर्देश इसलिए जारी किए गए थे कि इनसे सेवा प्रदाताओं को विनियामवली के तहत अपेक्षित एकाउंटिंग सेपरेशन मैनुअल (नियम-पुस्तिका) और एकाउंटिंग सेपरेशन रिपोर्ट तैयार करने में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जा सकें।
- V. मासिक प्रौद्योगिकी डाइजेस्ट
ट्राई ने निम्नलिखित विषयों पर मासिक प्रौद्योगिकी डाइजेस्ट जारी किए हैं :-
(क) वायरलैस सेन्सर नेटवर्क, अप्रैल, 2012
(ख) 100 गीगाबिट ईथरनेट एंड बियॉड मई, 2012
(ग) डिस्ट्रीब्यूटड एंटीना सिस्टम, जून, 2012
(घ) मोबाइल ऑफलोडिंग, जुलाई, 2012
- VI. एमआईएस रिपोर्ट
ट्राई, सेवा प्रदाताओं से ऑन लाइन डाटा एकत्र करने हेतु और रिपोर्ट तैयार करने के लिए एमआईएस आवेदन साफ्टवेयर विकसित कर रहा है। यह पद्धति वर्ष (2012-13) के दौरान शुरू की जाएगी।
- VII. अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिए रूपरेखा (नेक्सट जेनरेशन नेटवर्क):
ट्राई ने अगली पीढ़ी नेटवर्क (नेक्सट जेनरेशन नेटवर्क) तैयार करने हेतु उपयुक्त नीति निर्धारित करने और उसकी रूपरेखा (फ्रेमवर्क) तैयार करने में सहायता करने के उद्देश्य से एक परामर्शदात्री फर्म की सेवाएं उधार ली हैं। इस अवधि के दौरान एनजीएन पर एक सर्वांगीण रिपोर्ट और परामर्श पत्र पर कार्य शुरू किया गया और दोनों दस्तावेजों के लिए मसौदे तैयार किए गए।

अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडलों का दौरा

- क. श्री अब्दुल वकील शेरगुल, अध्यक्ष, अफगानिस्तान दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (एटीआरए) की अगुवाई में तीन सदस्यीय पहले दल ने दिनांक 9 अप्रैल से 13 अप्रैल, 2012 को ट्राई का दौरा किया और क्री इंग, खैर मोहम्मद फैजी, उपाध्यक्ष एवं बोर्ड सदस्य, अफगानिस्तान दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (एटीआरए) की अगुवाई में पांच सदस्यीय दूसरे शिष्टमंडल ने दिनांक 1 से 8 जून, 2012 को विभिन्न विनियामक मुद्दों पर चर्चा के लिए ट्राई का दौरा किया।
- ख. स्वीडिश नेशनल क्रेडिटस एंड गारंटी बोर्ड (ईकेएन) और स्वीडिश एक्सपोर्ट क्रेडिट कॉरपोरेशन (एसईके) ने ट्राई के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2012 को ट्राई का दौरा किया।
- ग. श्री किमेमकी मेटसुजुकी, उप मंत्री, आंतरिक कार्य और संचार, जापान की अगुवाई में छह सदस्यीय शिष्टमंडल ने दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को ट्राई के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए ट्राई का दौरा किया।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं

- क. ट्राई ने दिनांक 2 अप्रैल, से 4 अप्रैल 2012 तक हैदराबाद, भारत में आईटीयू-ट्राई अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) आयोजित किया।



ख. ट्राई ने दिनांक 18–20 दिसंबर, 2012 को नई दिल्ली में स्पेक्ट्रम के संबंध में दक्षिण एशिया दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी) कार्यशाला आयोजित की।

जनवरी–मार्च 2013 माह में प्रत्याशित उपलब्धियां

- क. दूरसंचार विभाग के दिनांक 21.12.2012 के पत्र के संबंध में एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवाएं) की निबंधन एवं शर्तें संबंधी सिफारिशें
- ख. दूरसंचार नेटवर्क आयातकाल आपदाओं के दौरान दूरसंचार नेटवर्क की असफलता रिसपोन्स एंड रिकवरी में नियुक्त व्यक्तियों की कॉलों की प्राथमिकता रूटिंग के संबंध में सिफारिशें।
- ग. आईएमटी–एडवांसड मोबाइल वायरलैस ब्रॉडबैंड सर्विसेज संबंधी सिफारिशें।
- घ. इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने और न्यूनतम परिकल्पित एजीआर के लिए लाइसेंस करारों में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा के संबंध में सिफारिशें।
- ङ. समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा के संबंध में ट्राई की सिफारिशें मांगने हेतु दूरसंचार विभाग से पत्र प्राप्त होने पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने और न्यूनतम परिकल्पित एजीआर के लिए लाइसेंस करारों में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा के संबंध में एक परामर्श पत्र दिनांक 28.12.2012 को जारी किया गया। स्टेकहोल्डरों के लिए टिप्पणियां तथा तथा प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियां क्रमशः 18.01.2012 तथा 25.01.2012 हैं। स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियां तथा प्रति टिप्पणियों का विश्लेषण करने के शीघ्र बाद ट्राई द्वारा इस मुद्दे पर अपनी सिफारिशें देने की उम्मीद है।
- च. अगली पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन) पर परामर्श
- छ. सभी संगत मुद्दों पर एक सम्पूर्ण परामर्श प्रक्रिया में स्टेकहोल्डरों की नियुक्ति करने हेतु एनजीएन पर अंतिम परामर्श पत्र जनवरी– मार्च, 2013 में जारी किया जाएगा।
- ज. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु दूरसंचार पर परामर्श:
- ट्राई, विकलांग व्यक्तियों द्वारा दूरसंचार सुविधाओं का लाभ उठा सकने संबंधी मूल्यांकन हेतु पद्धति तैयार करने में स्टेकहोल्डरों को नियुक्त करने के उद्देश्य से एक परामर्श पत्र तैयार करने और इस संबंध में एक उपयुक्त नीति की आवश्यकता पर विचार करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। सेवा प्रदाताओं और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करने से पूर्व इस विषय में सचिव, दूरसंचार विभाग, और सचिव, निःशक्तता कार्य विभाग, से उनका मत जानने के लिए उन्हें दो अर्द्ध शासकीय पत्र लिखे गए हैं।
- झ. आपदा संचार पद्धति (ईसीएस) संबंधी परामर्श
- ञ. इस तिमाही के दौरान एमआईएस परियोजना आरंभ की जाएगी।



V. दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम 1997 (यथा संशोधित) में दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने, विवादों पर अधिनिर्णय देने, अपीलों का निपटान करने और दूरसंचार क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसके क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने और इनसे जुड़े अथवा आनुषंगिक मामलों पर विचार करने के लिए ट्राई और टीडीएसएटी की स्थापना की व्यवस्था की गई है।

दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) का सृजन लाइसेंस प्रदाता और लाइसेंसधारक, सेवा प्रदाताओं के बीच और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के समूह के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटान और उस पर अधिनिर्णय देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ट्राई अधिनियम 1997 के तहत वर्ष 2000 में किया गया। जनवरी 2004 में टीडीएसएटी के कार्य क्षेत्र में विस्तार करते हुए इसमें दूरसंचार क्षेत्र के अतिरिक्त प्रसारण और केबल सेवाएं भी शामिल की गईं। टीडीएसएटी, ट्राई के विनियमों, निर्णयों, आदेशों और निर्देशों पर अपीलीय अधिकारों का प्रयोग करता है। टीडीएसएटी का अधिकार क्षेत्र विशिष्ट है और इसके आदेशों को केवल कानूनी बिंदुओं पर ही भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। टीडीएसएटी के अंतरिम आदेशों के विरुद्ध सांविधिक अपील नहीं की जा सकती है। टीडीएसएटी एक विशेषज्ञ निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जबकि दो सदस्य प्रशासन/दूरसंचार क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं।

टीडीएसएटी पर सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू नहीं होते हैं। इसने अपनी स्वयं की प्रक्रिया (टीडीएसएटी प्रक्रिया 2005) निर्धारित की है जो कि सरल तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। टीडीएसएटी में याचिका, अपील तथा विविध आवेदन करने के लिए कोर्ट शुल्क क्रमशः ₹5000/—, ₹10,000/— तथा ₹1000/— है।

पूरे विश्व में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित विवादों को विनियामक या सामान्य न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। तथापि, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित विवादों के तत्काल समाधान और अधिनिर्णय हेतु भारत में टीडीएसएटी के रूप में एक विशेष संस्था मौजूद है। अतः भारत में विवाद निपटान दूरसंचार विनियामक के कार्य-क्षेत्र से बाहर है।

मई, 2000 में अधिकरण की संस्थापना से प्रति वर्ष अधिकरण में मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। टीडीएसएटी के समक्ष वर्ष 2001 में दर्ज मामलों की कुल संख्या 105 थी जो 2010 में बढ़कर 851 हो गई। दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 तक टीडीएसएटी में कुल 910 मामले दर्ज कराए गए हैं। चालू वर्ष में अर्थात् 01.01.2012 से 31.12.2012 तक कुल 1786 मामले दर्ज किए गए हैं। दर्ज किए गए मामले साथ-साथ निपटा दिए गए हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं कि विवादों का निपटान शीघ्रतापूर्वक हो। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि दिनांक 31.12.2012 तक 5153 मामलों का निपटान कर दिया गया जबकि उस अवधि के दौरान 6623 मामले दर्ज कराए गए थे।



टीडीएसएटी ने अपने प्रारंभ से, दूरसंचार के साथ-साथ प्रसारण और केबल क्षेत्र से संबंधित मामलों में भी विशिष्ट निर्णय दिए हैं।

विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण दूरसंचार, प्रसारण और केबल क्षेत्रों में विवाद समाधान तंत्र के संबंध में उपभोक्ताओं सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों में जागकता लाने और इन क्षेत्रों में शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के तरीकों का पता लगाने के लिए दूरसंचार देश के विभिन्न भागों में संगोष्ठियां आयोजित कर रहा है। अधिकरण ने वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान शिमला, रायपुर, पांडिचेरी, बंगलूरु, मुम्बई (ठाणे), कोच्ची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, गोवा, श्रीनगर और पटना में सेमिनार आयोजित किए हैं। टीडीएसएटी द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों के दौरान उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों सहित विशिष्ट वक्ताओं द्वारा टीडीएसएटी की डिलीवरी सिस्टम की प्रशंसा की गई।

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के सेक्टर सदस्य के रूप में, टीडीएसएटी ने आईटीयू तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है।

टीडीएसएटी की अपनी वेबसाइट है और अधिकरण के सभी महत्वपूर्ण निर्णय तथा अन्य कार्यकलाप वेबसाइट www.tdsat.nic.in पर उपलब्ध है। टीडीएसएटी ई-मेल tdsat1@yahoo.co.in के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर सलाह देते हुए स्टेक होल्डरों, वकीलों, उपभोक्ताओं आदि के साथ विचारों का आदान-प्रदान भी करता है। टीडीएसएटी अधिकरण के समक्ष सूचीबद्ध दैनिक मामलों से संबंधित सूचना मुकदमों के पक्षकारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस अधिकरण ने एसएमएस चेतावनी प्रणाली भी तैयार की है।



VI. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा संबंधी टिप्पणियां

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा का मूल्यांकन केंद्र सरकार के वर्ष 2010-11 के लेखों पर वर्ष 2011-12 से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट संख्या के सीएंडएजी लेखा परीक्षा पैरे की स्थिति:-

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. पैरा 2.2.1 (2011-12 की रिपोर्ट 1)

पैरा सं. 2.2.1 :- सार्वजनिक सेवा दायित्व निधि

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) 1999 में यथा परिकल्पित सार्वभौमिक सेवा उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 2002-03 से लेकर 2010-11 की अवधि के दौरान ₹37,223.92 करोड़ की सार्वभौमिक अभिगम उगाही की गई थी। यद्यपि, सार्वजनिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ निधि) से अन्तरण और उससे किया गया संवितरण केवल ₹13471.44 करोड़ का था। यूएसओ निधि में ₹23,752.48 करोड़ का अन्तः शेष आंकलन और उगाही का अल्पांतरण हुआ था। अतः एवं, एकत्रित की गई उगाही का उपयोग अभीष्ट प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष यूएसओ निधि में एकत्रित उगाही का अल्पांतरण निम्न स्तरीय राजस्व व्यय के रूप में परिलक्षित रहा है, जिसके फलस्वरूप निम्न स्तरीय राजस्व घाटा भी हुआ है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान इस खाते में राजस्व घाटे का आंकलन ₹3015 करोड़ अनुमानित किया गया था। वर्ष 2002-03 से लेकर 2010-11 की अवधि के दौरान राजस्व घाटा, निधि में संबंधित धनराशि के अल्पांतरण के आधार पर आंका गया था।

वर्तमान स्थिति: दिनांक 20.09.2012 से आशोधित किया जा रहा है।

दूरसंचार विभाग

2. पैरा 2.8 (2012-13 वर्ष की रिपोर्ट 13)

संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में शामिल करने के लिए मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्टों में की गई महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा समुक्तियों का सारांश।

लेखा परीक्षा की पहल पर प्रदत्त अतिरिक्त सहायिकी की वसूली

ग्रामीण समुदाय फोनों (आरसीपी) के लिए सेवा प्रदाताओं को ₹2.17 करोड़ की सहायिकी का भुगतान पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किलों द्वारा गलत तौर पर किया गया था। अतएव लेखा परीक्षा के कहने पर ₹1.62 करोड़ वसूल किए गए।

वर्तमान स्थिति: 11/01/2013 से समाप्त



3. 2012-13 केंद्र सरकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 8 (वाणिज्यिक) (अनुपालन लेखा परीक्षा समुक्तियाँ)

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

पैरा संख्या 5.1

स्थानीय लूप प्रणाली उपकरण में मोबाइल स्विचिंग केंद्र आधारित बेतार का अधिक प्रापण स्थानीय लूप प्रणाली मोबाइल स्विचिंग केंद्र आधारित बेतार विस्तारित करने के प्रयोजनार्थ भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा गैर-तार्किक योजना बनाने और उसके नतीजों में उपकरणों का अधिक प्रापण करने के कारण ₹65.51 करोड़ का अपरिहार्य व्यय करना पड़ा।
कृत कार्रवाई टिप्पण: नहीं किया गया।

पैरा संख्या 5.2

मूल्यवान माइक्रोवेव उपकरणों के प्रापण में अकुशल प्रबंधन पूर्वोत्तर व जम्मू-कश्मीर क्षेत्रों के लिए माइक्रोवेव उपकरणों के प्रापण में विहित प्रक्रिया से हटकर चलने के कारण असामान्य विलंब होने के साथ-साथ विक्रेताओं द्वारा गैर-संतोषजनक कार्य निष्पादन हुआ।
कृत कार्रवाई टिप्पण: नहीं किया गया।

पैरा संख्या 5.3

पीआरआई ट्रक्स उपलब्ध कराते समय करार पर अमल न करने के कारण होने वाला नुकसान।
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को विशेष पैकेज देते हुए अपेक्षित कार्य निष्पादन में बीएसएनएल जाम नगर की असफलता के कारण राजस्व में ₹7.66 करोड़ की हानि हुई।
कृत कार्रवाई टिप्पण: लेखा परीक्षक को प्रेषित

पैरा संख्या 5.4

बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के लिए विलंबित भुगतान पर बच सकने वाले ब्याज का भुगतान:
आबंटित ब्रॉडबैंड बेतार अभिगम स्पेक्ट्रम के लिए बीएसएनएल द्वारा दूरसंचार विभाग को ₹8313.80 करोड़ के भुगतान में विलंब किए जाने के कारण ₹6.26 करोड़ के बचे जाने वाले ब्याज का भुगतान किया गया।
कृत कार्रवाई टिप्पण: नहीं किया गया।



महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)

पैरा संख्या 5.5

एमटीएनएल से संबंधित अन्तरसंयोजित उप प्रभार

अन्तरसंयोजित करारों पर अमल न करना, बिलिंग में विद्यमान त्रुटियां और एमटीएनएल में भुगतान और प्राप्त करने योग्य अन्तरसंयोजित उपयोग प्रभारों (आईयूसी) की भारी-भरकम बकाया राशि में प्राप्त राजस्व का योगदान।

31 दिसंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार लंबित सी एंड एजी लेखा परीक्षा पैरा की स्थिति

क्रम सं०	वर्ष	रिपोर्ट सं०	रिपोर्टों के पैराओं/ पीएसी की सं० जिनके एटीएन लेखा परीक्षा की विधीक्षा के बाद पीएसी को प्रस्तुत किए गए हैं (अप्रैल-31 दिसम्बर, 2012 तक)	दिनांक 31/12/2012 की स्थिति के अनुसार पैराओं/ पीएसी रिपोर्टों का ब्यौरा जिन पर एटीएन लंबित है।		
				उन एटीएन की सं० जिन्हें मंत्रालय द्वारा पहली बार नहीं भेजा गया था	भेजे गए एटीएन की सं० जो टिप्पणियों सहित वापस आए और लेखा परीक्षा, मंत्रालय द्वारा उनकी पुनः प्रस्तुति की प्रतीक्षा कर रही है	उन एटीएन की सं० जिनको अंतिम लेखा परीक्षा के बाद मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	1996-97	वर्ष 1998 की 6	शून्य	शून्य	1	1
2	1998-99	वर्ष 2000 की 6	01	शून्य	1	3
3	1999-00	वर्ष 2001 की 6	शून्य	शून्य	शून्य	1
4	2000-01	वर्ष 2002 की 6	शून्य	शून्य	शून्य	2
5	2002-03	वर्ष 2004 की 2	शून्य	शून्य	3	शून्य
6	2003-04	वर्ष 2005 की 2	शून्य	शून्य	1	शून्य
7	2004-05	वर्ष 2006 की 9 (एनटीआर)	01	शून्य	1	शून्य
8	2006-07	वर्ष 2008 की सीए 1	शून्य	शून्य	1	शून्य
9	2009-10	वर्ष 2010-11 की 19	शून्य	शून्य	3	शून्य
कुल			2	शून्य	11	7

- दिनांक 31/12/2012 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार विभाग (सी-डॉट को छोड़कर) के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा के कुल लंबित पैरा की सं० = 11
- "सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ) के प्रशासन" पर पीएसी की 49वीं रिपोर्ट हेतु 31.12.2012 तक पीएसी रिपोर्ट के कुल लंबित पैरा = 3
एटीएन की अग्रिम प्रति दे दी गई हैं।



VII. टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)

26 वर्ष पूर्व स्थापित, दूरसंचार विभाग का अनुसंधान एवं विकास केन्द्र सी-डॉट लागत प्रभावी व्यापक श्रेणी, देशी रूप से विकसित और अत्याधुनिक समग्र दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

डायलटोन प्रदान करने के एकल लक्ष्य से शुरुआत कर, सी-डॉट गत 26 वर्षों के दौरान बढ़कर अनेक क्षेत्रों- कृत्रिम उपग्रह संचार, आईएन, एटीएम डीडब्ल्यूडीएम, एनएमएस, वायरलैस ब्रॉडबैंड, जीपीओएन, एनजीएन और मोबाइल सेल्युलर प्रणालियों-में संचार प्रौद्योगिकी में शोध एवं विकास के राष्ट्रीय केन्द्र के स्तर तक पहुंच गया है। भारतीय नौसेना पोतों में पोत पर संचार के उपयोग के लिए एटीएम प्रौद्योगिकी का अधिदेश किया गया है। आशा है कि जीपीओएन ग्रामीण भारत तक ब्रॉडबैंड पाइपों का विस्तार करने में अग्रणी भूमिका अदा करेगा। सक्रिय जीएसएम अवसंरचना के साझा उपयोग पर आधारित एसजी-आरएन उत्पाद से ग्रामीण बाजार को वहनीय मोबाइल टेलीफोनी उपलब्ध होगी। एमएएक्स-एनजी सी-डॉट के एमएएक्स/आरएएक्स ग्राहकों को वीओआईपी और ब्रॉडबैंड अभिगम के साथ पीओटीएस (प्लेन ओल्ड टेलीफोनी सर्विस) के लिए सेवा संबंधी नई सुविधाएं लाकर देश की फिक्सड लाइन अवसंरचना में नई जान डालेगा। सी-डॉट दूरसंचार सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करने के क्षेत्र में भी सक्रिय रहा है। सी-डॉट के समग्र एनएमएस (नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली) समाधान से बहुविध विक्रेताओं के घटकों वाले नेटवर्कों का प्रबंधन करना संभव हुआ है। सी-डॉट का डाटा क्लियरिंग हाउस (सीएलएच) समाधान बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच रोमिंग रिकार्डों का मिलान करने के लिए वाणिज्यिक रूप से संस्थापित किया गया है और यह बाजार के प्रतिस्पर्धात्मक दबावों के विरुद्ध अपने को कायम रख रहा है।

सी-डॉट को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं जैसे कि दूरसंचार सुरक्षा के लिए केन्द्रीय अनुवीक्षण प्रणाली और सामरिक अनुप्रयोगों के लिए सुरक्षित नेटवर्क का कार्य भी सौंपा गया है।

2012-13 के दौरान उपलब्धियां

वर्ष 2012-13 के प्रथम नौ महीनों के दौरान मुख्य रूप से प्रगति करने वाले मुख्य तकनीकी कार्यक्रम हैं- केन्द्रीय अनुवीक्षण प्रणाली (सीएमएस) विकास वृद्धियां तथा फील्ड में रोल आउट गतिविधि प्रारंभीकरण, बीएसएनएल नेटवर्क में एसजी-आरएन (शेयर्ड जीएसएम रेडियो एक्सेस नेटवर्क) सिस्टम की पायलेट नियुक्ति, एलटीई (दीर्घकालिक विकास) जैसी विभिन्न कड़ी तकनीकों के लिए डिजायन क्रियान्वयन प्रारंभीकरण-प्रतिरक्षा, सुरक्षा, राष्ट्रीय ज्ञान की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उच्च क्षमता नेटवर्क पारिषण प्रणाली हेतु- नैक्स्ट जनरेशन मोबाइल तकनीक, व्यवसायिक ग्रेड टैराविट रूटिंग प्रणाली, 10 जीपीओपीएन (गीगाबिट पैसिव, ऑप्टिकल नेटवर्क) -विभिन्न नेटवर्कों यथा वायरलैस, ऑप्टिकल आदि का प्रबंध करने के लिए नैक्स्ट जनरेशन जीपीओएन, कनवर्ज्ड/ यूनिवर्सल नेटवर्क सिस्टम। इन तकनीकी कार्यक्रमों में हुई प्रगति पर एक संक्षिप्त अवलोकन नीचे प्रस्तुत है:-

● संचार तथा सुरक्षा अनुसंधान तथा अनुवीक्षण

परियोजना के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में वृद्धियां/सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन तथा फील्ड में प्रगतिशील रोल-आउट सम्मिलित है। सीएमएस सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन पर केन्द्रित वित्त वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों में की गई विकासात्मक गतिविधियों जिनमें एलईएमएफ (लॉ इन्फोर्समेंट मॉनिटरिंग फंक्शन) सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, एलईएमएस



(लॉ इन्फोर्समेंट एजेन्सियों) के लिए एलईएमएफ के लिए सहायता, आरएमसी सॉफ्टवेयर (रिमोट मॉनीटरिंग सेंटर) में एमएनपीओ (मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ऑपरेटर) तथा सीएमसी (सैन्ट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सेंटर) इसके अतिरिक्त, आईएसएफ सॉफ्टवेयर भी बढ़ाया गया जो नए हार्डवेयर (एसजीटीके-टीएसपी के लिए देसी विकसित इंटरफेस हार्डवेयर) के अनुकरण में था। एसजीटीके ईएमएस (एलिमेंट मैनेजमेंट सिस्टम) हेतु एसएनएमपी एजेंट का विकास अग्रिम चरणों में है। सीएमएस-एनएमएस भी लागू कर दिया गया है इसके अतिरिक्त, आईएसएफ सॉफ्टवेयर में एलआईएस (लॉफुल इंटरप्रेशन सिस्टम) हेतु 3 जी के विविध कोडेक तथा कस्टमाइजेशन के लिए सहायता प्रदान करने हेतु , विकासात्मक गतिविधि भी शुरू की गई है। आईएसएफ (इंटरसैप्शन स्टोर-एंड-फॉरवर्ड) तथा आरएमसी भार-परीक्षण शुरू किया गया है। आरएमसी-डीआर (आरएमसी-डिजास्टर रिकवरी) नमूना तय कर लिया गया है।

फील्ड नियुक्ति हेतु सीएमएस रोल-आउट में प्रगति में सीएमएस सॉफ्टवेयर के साथ एमएनपीओ एकीकरण तथा सीएमएस डाटा सेंटर में उपकरण का संस्थापन, वर्तमान में संस्थापन तथा जांच के अंतर्गत आने वाले उपकरण के साथ विद्यमान पायलट सीएमसी डाटा सेंटर का उन्नयन सम्मिलित है। डाटा सेंटर सौंपे गए कार्य तथा शुरू की गई गतिविधियां निष्पादित करता है। संबंधित एलएसए के टीएसपी परिसर में दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, कर्नाटक, मुंबई, राजस्थान, तमिलनाडु नामक 7 एलएसए में आईएसएफ के संस्थापन के साथ (इंटरसेप्ट स्टोर- तथा फारवर्ड सर्वर) (लाइसेन्ज्ड सर्विस एरिया) रोल-आउट गतिविधि शुरू हो गई तथा इन आईएसएफ को संबंधित पायलट आरएमसी (रिमोट मॉनीटरिंग सेंटर) के साथ एकीकृत करके एलएसए के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया।

वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2013) के दौरान, 3 जी के लिए विविध कोडेक सपोर्ट के विकास को पूरा करने, 6 परिमंडलों हेतु एल आई एस कस्टमाइजेशन तथा एलएसए में सीएमएस रोल-आउट के रूप में 7 एल एस ए में संस्थापन गतिविधियां पूरा करने की योजना है।

● ग्रामीण प्रौद्योगिकियां

ग्रामीण प्रौद्योगिकियों पर केन्द्र के अन्तर्गत एसजी-आरएएन (शेयर्ड जीएसएम रेडियो एक्सेस नेटवर्क) सिस्टम की पायलट नियुक्ति तथा ई-जीपीआरएस एवं जीपीआरएस कार्यशीलता के साथ एसजी-आरएएन प्रणाली की क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्द्धित क्रियाशील अवसंरचना शेयरिंग (ईएआईएस) नामक विकास कार्यक्रम शामिल है। इसके अतिरिक्त ईएआईएस (वर्द्धित क्रियाशील अवसंरचना शेयरिंग) विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एसजी-आरएएन पर जीपीआरएस कार्यशीलता भी लागू की गई है और इस समय जांच का कार्य प्रगति पर है। जनवरी-मार्च 2013 की अवधि में, फील्ड में संस्थापित एसजी-आरएएन प्रणाली फील्ड परीक्षण के लिए जीपीआरएस के साथ अपग्रेड की जाएगी।

● ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकियां

ब्रॉडबैंड तकनीक का उद्देश्य ब्रॉडबैंड सीपीई (उपभोक्ता परिसर उपकरण) का विकास है जिसके साथ एनकेएन (नेशनल नॉलेज नेटवर्क) हेतु रूटिंग प्लेटफार्म तथा 3 जी वायरलैस फॉलबैक एवं व्यवसायिक ग्रेड विविध-टैरा बिट रूटिंग सिस्टम है जो कि प्रतिरक्षा के नेटवर्क, सुरक्षा तथा राष्ट्रीय ज्ञान आदि की अनुप्रयोग आवश्यकता को संबोधित करने वाली उच्च क्षमता निर्मित करने के लिए आवश्यक है।



एनकेएन हेतु रखा गया 80 जीबीपीएस (पूर्णतः डुपलैक्स) का रूटिंग प्लेटफार्म तैयार है तथा इसकी उपभोक्ता-अंतरापृष्ठ विकास गतिविधियां इस समय चालू हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न परीक्षणों के लिए इन रूटिंग प्लेटफार्मों के विविध आदिप्रारूप भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक ग्रेड विविध –टेराबिट रूटिंग सिस्टम ने भी प्रगति की है जैसा कि उसके शिल्प तथा इंजीनियरिंग नमूने के पूर्ण होने तथा इसकी डिजाइन क्रियान्वयन गतिविधियों के शुरू होने, जो कि अभी चालू है, पर नियोजित किया गया था। इसके अलावा, यूएसबी कनेक्टर के अतिरिक्त ब्रॉडबैंड एडीएसएल (असिमिट्रिक डिजीटल सब्सक्राइबर लाइन) मॉडम से 3-जी-एचएसडीपीए (हाई स्पीड डाटा पैकेट एक्सेस) माडम इंटरफेस किया गया है तथा इंटरनेट एक्सेस इस 3 जी-एचएसडीपीए मॉडम के जरिए स्थापित की गई है एवं 3 जी को एडीएसएल फॉलबैक देने का काम अभी परीक्षाधीन है। वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही में रखा गया 80 जीबीपीएस का रूटिंग प्लेटफार्म तथा 3 जी-एचएसडीपीए परीक्षण हेतु फील्ड में संस्थापित किया जायेगा। वित्त वर्ष के अंत तक, फील्ड में रूटिंग प्लेटफार्म को 300 जीबीपीएस(पूर्णतः डुपलैक्स) के साथ अपग्रेड करने की भी योजना है।

● नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल प्रौद्योगिकियां

मोबाइल तकनीक में विकास एक उत्साही गति से प्रगति कर रहा है। आने वाले वर्षों में, आज के मल्टी मैगाबिट फिक्स्ड कनेक्शनों पर उपलब्ध सेवाओं के अतिरिक्त भी मोबाइल नेटवर्क सेवाओं को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं।

वर्ष के दौरान आर.एंड डी.का अधिक दबाव एलटीई (लॉन्ड टर्म इवोल्यूशन) तकनीक की अभिकल्पना एवं विकास पर है जिसका केन्द्र फ़ैम्टो ई-नोड बी एक्सेस नोड तथा कोर नेटवर्क-ईपीसी (इवॉल्वड पैकेट कोर) के सभी तत्वों पर हैं। अपने आदि प्रारूप हार्डवेयर के लैब-कार्यान्वयन के साथ महत्वपूर्ण रूप से फ़ैम्टो ई-नोड बी हार्डवेयर विकास गतिविधि ने प्रगति की है। इसके अतिरिक्त ईपीसी वास्तुशिल्प भी पूर्ण हो गया है तथा ईपीसी नोड्स यथा गतिशीलता प्रबंधन तत्व (एमएमई) सर्विंग प्रवेश द्वारा (एसजीडब्ल्यू) पैकेट डाटा नेटवर्क प्रवेश द्वार (पीजीडब्ल्यू), होम सब्सक्राइबर सर्वर (एचएसएस) पॉलिसी तथा वसूली नियम कार्य (पीसीआरएफ) क्रियान्वयन अधीन है। इसके अतिरिक्त, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल तथा वीडियो स्ट्रीमिंग भी कुछ विकसित ईपीसी कार्यशीलता का प्रयोग करके फ़ैम्टो ईनोड बी आदि प्रारूप पर प्रदर्शित किया गया है। वर्ष की चौथी तिमाही में एलटीई फ़ैम्टो सॉल्यूशन के पायलट ट्रायल की भी योजना बनाई गई है।

● कैरियर नेटवर्क परिवहन प्रौद्योगिकियां

कैरियर नेटवर्क परिवहन प्रौद्योगिकी की योजना उभरते हुए उन प्रयोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है जो डाटा-केन्द्रित हैं, जिनके लिए उच्च बैंडविड्थ तथा सूचना के प्रेषण हेतु बड़ी डाटा दर की मांग है, आने वाले प्रौद्योगिकी चलन के साथ प्रस्तुत करने के लिए परिवहन/बैकहॉल,मैटो/समूहन, एक्सेस नेटवर्क की आवश्यकता है।

इस समय, विकास गतिविधियां पूरी हो गई हैं तथा आईईईई 1588 अनुपालन सीपीई (ग्राहक परिसर उपकरण) जो कि ओएनटी 9 (ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेशन, टाइप-9) है नेटवर्क बैकहॉल के लिए, लागत प्रभावी ओएलटी (ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन) जो कि भवन दामिनी है, ऑप्टिकल अंतरापृष्ठों के साथ, उनके लिए मान्यकरण चल



रहा है। इसके अतिरिक्त, 10-जी –जीपीओएन के अतिरिक्त सेवाओं के प्रदर्शन हेतु सांपत्तिक चैसिस तथा आवश्यक तैयारियों के लिए आवश्यक सी-डॉट लाइन कार्ड (सीओएलटी) के लिए भी अच्छी-खासी प्रगति हुई है। वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान, 10 जी-जीपीओएन पर सेवाओं के प्रदर्शन समेत फील्ड/पायलट ट्रायल के लिए, आईईईई 1588 कमप्लायन्ट ओएनटी 9 सीपीई, लागत-प्रभावी ओएलटी आदि को तैयार रखने की योजना बनाई गई है।

● दूरसंचार सेवाएं तथा अनुप्रयोग

विशिष्टीकरण करने वाली मूल्य संवर्धित सेवाएं तथा विषय-वस्तुओं, नेटवर्कों, अनुप्रयोगों के अभिसरण की ओर से होने वाले बदलती हुई प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों को पूरा करने वाली सॉफ्टवेयर सघन सेवाओं तथा अनुप्रयोगों पर विकास कार्यक्रम केन्द्रित करता है। इस अवधि के दौरान प्रगति करने वाले सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में अभिसरित नेटवर्क प्रबंधन सिस्टम प्लेटफार्म वास्तुशिल्प तथा प्लेटफार्म का विकास यथा सीएसएमपी (कस्टमाइज्ड सर्विस मैनेजमेंट प्लेटफार्म) जिसके साथ एक्सएमएल (एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज) एनजीएन के लिए, एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस) को अंतिम रूप देना भी शामिल हैं, दूरसंचार परिसम्पति प्रबंधन प्रणाली का विकास तथा उसे सीएमएस-एनएमएस के लिए पायलट करना, यूनिफायड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम (यूएनएमएस) आधार रिलीज़, प्रोविजनिंग तथा नंबर प्रबंधन सिस्टम के साथ, विविध नेटवर्कों यथा एनओएफएन (नेशनल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क) के लिए पीओसी/प्रदर्शनी/एनएमएस एप्लिकेशनों के आदि प्रारूप डिज़ाइन, सी-डॉट नोड्स पर आधारित ब्रॉडबैंड वायरलैस नेटवर्क का प्रबंधन/टर्मिनल्स (बीबीडब्ल्यूटी-ब्रॉडबैंड वायरलैस टर्मिनल) बीएसएनएल हेतु आईपी-आधारित प्रबंधित लीज लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन) सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, एप्लिकेशन आधारित सेवाओं यथा आधार प्रमाणीकरण, ई-एग्रीकल्चर, ई डॉक्टर कन्सल्टेशन आदि के लिए नियर-फील्ड कम्युनिकेशन, हाव-भाव, आवाज की पहचान आदि जैसी विशेषताओं तथा कार्यों को सपोर्ट करने वाली कस्टमाइज्ड प्लेटफार्म फार रूरल सर्विसेज़ (सीपीआरएस) हेतु सिस्टम वास्तुशिल्प भी तय कर लिया गया है। अवधि के दौरान, आवाज पहचानने तथा आधार प्रमाणीकरण वाली विशेषताएं लागू कर दी गई हैं, जांच चल रही है तथा चौथी तिमाही के अंत तक, क्लाउन्ट सिस्टम को इन विकसित विशेषताओं के साथ प्रदर्शित करने की योजना है।

● ऊर्जा सक्षम तथा हरित दूरसंचार प्रौद्योगिकियां-

विशेष रूप से सुदूर/ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान तथा भावी बीटीएस (जैसे कि एलटीई आदि) में उपयोग होने वाले रिक्त पावर एम्पलीफायर की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए एक उच्च क्षमता आरएफ एम्प्लीफायर प्रौद्योगिकी पर विकास हेतु विचार किया गया है। विशिष्टीकरण फॉर्मूलेशन तथा वास्तुशिल्प सुनिश्चित कर लिया गया है। रुपरेखा कार्यान्वयन का कार्य अभी प्रयोगशाला में हार्डवेयर कार्यान्वयन हेतु चालू है। वर्ष की चौथी तिमाही के अंत तक प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट (पीओसी) की योजना है।

● पूर्वोत्तर कार्यक्रम सहित विकसित प्रौद्योगिकियों के लिए अभिवृद्धियां, नई विशेषताएं, उन्नयन, अनुकूलन, तकनीकी सहायता।

मूल्य संवर्द्धन, प्रौद्योगिकियों उन्नयन, बग-फिक्सेस, संघटकों के अनुचलित होने के लिए वैकल्पिक समाधान आदि के माध्यम से नेटवर्क में विद्यमान विकसित/प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न नेटवर्कों के लिए प्रौद्योगिकी एप्लिकेशनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध स्थानों पर फील्ड/पायलट



ट्रायल भी किए जा रहे हैं। कुछ प्रौद्योगिकियां जिन्हें उन्नयन/फील्ड सहायता हेतु नियमित सपोर्ट की आवश्यकता है, उनमें जीपीओएन,एमएएक्स, एटीएम, एसजी –आरएएन, एमएएक्स–एनजी/आईएमएस–अनुवर्ती एमएएक्स–एनजी, बीबीडब्ल्यूटी, एसडी–सीएन, एनएमएस आदि सम्मिलित है।

● व्यवसाय प्रोन्नयन

उक्त अवधि के दौरान, सी–डॉट प्रौद्योगिकियों की प्रोन्नति हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, जिनमें आईटीई एटीसी 2012 सेमिनार तथा एक्सपो, निर्माताओं/विक्रेताओं की बैठक, क्षमता तथा सुरक्षा वृद्धि हेतु आधुनिक ट्रेन नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रतिरक्षा तथा एरोस्पेस एसईएस 2012 (स्ट्रैटजिक इलैक्ट्रॉनिक्स सम्मेलन) डीईएफ एक्सपो–2012 इंडिया टेलीकॉम जैसे विभिन्न सम्मेलनों/प्रदर्शनियों में प्रदर्शित/प्रदर्शन प्रौद्योगिकियां, पीओसी (प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट) आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सी–डॉट ने 7 अगस्त 2012 को कित्तूर, कर्नाटक में प्रथम सी–डॉट आरएएक्स के 25 वर्ष का स्मरणोत्सव तथा एनजीएन सेवाओं के लिए एमएएक्स–एनजी के साथ इसका उन्नयन मनाया। यह उत्सव सी–डॉट के केन्द्रों दिल्ली, बैंगलूर तथा कित्तूर में एक साथ आयोजित किए तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा भली–भांति जोड़े गए। माननीय संचार मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने मोबाइल टेलीकॉम के जरिए सभा को संबोधित किया।



रक्षा प्रदर्शनी – 2012

इन प्रयासों से अवधि के दौरान निम्नलिखित मुख्य उपलब्धियों प्राप्त की गईः–

- क. मैसर्स भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (वीबीएनएल) ने 3–साइटें आबंटित की यथा परवड़ा (विशाखापट्टनम), पानीसागर (उत्तरी त्रिपुरा) तथा अरेन (अजमेर) जो राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) में जीपीओएन प्रौद्योगिकी के ट्रायल हेतु लगभग 59 ग्राम पंचायतों को कवर करता है। मैसर्स बीएसएनएल, रेलटैल, पीजीसीआईएल ने ट्रायल के लिए सी–डॉट जीपीओएन प्रौद्योगिकी को अनुमोदित किया तथा फील्ड साइटों पर सिस्टम संस्थापित कर दिया गया है।
- ख. भारतीय रक्षा क्षेत्र अर्थात् सीएनडीएस (कम्युनिकेशन सिक्थोर नेटवर्क पॉर डिफेंस सेक्टर) नेटवर्क के लिए भारतीय सेना में क्रियाशील विचार के अंतर्गत जीपीओएन फील्ड ट्रायल साथ ही साथ सेना भवन, वायु भवन में एएफएनईटी (वायुसेना नेटवर्क) में भारतीय वायुसेना में जीपीओएन फील्ड ट्रायल।
- ग. राजस्थान के अजमेर जिले में 20 विद्यालयों में ई–पंचायत नेटवर्क के साथ ई–पंचायत परियोजना को सी–डॉट बीबीडब्ल्यूटी प्रौद्योगिकी (ब्राडबैंड वायरलैस टर्मिनल) का प्रयोग करके क्रियान्वित किया जा रहा है। कम्प्यूटरों, प्रिंटरों, के साथ आवश्यक वायरलैस उपकरण बीबी डब्ल्यूटी तथा संबद्ध हार्डवेयर नामित ई–पंचायत नेटवर्क में संस्थापित किए गए। ट्रायल चल रहा है



- घ. सी-डॉट बीबीडब्ल्यूटी प्रौद्योगिकी भी, एनएमई-आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन) परियोजना (देश-वार अनुकुलन हेतु) के लिए शैक्षिक तत्व के वितरण हेतु एक वास्तविक विषय परिदृश्य का अनुकरण करने के लिए आईजीएनओयू तथा सीडॉट परिसर में एक विस्तृत प्रौद्योगिकी फील्ड ट्रायल के बाद प्रस्तुत की गई। (प्रौद्योगिकी के संस्थापन के लिए एनएमई-आई सी टी में सक्रिय विचार-विमर्श किया जा रहा है)।
- ङ. सी-डॉट ने नौसेना के प्रयोग हेतु वायरलैस वाई-फाई कनेक्टिविटी के लिए आईएचक्यू एमओडी, भारत सरकार, दिल्ली के अनुसंधान एवं विकास संगठन, डब्ल्यूईएसईई (शस्त्र एवं सिस्टम इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान) से बीबीडब्ल्यूटी सिस्टमों के लिए क्रय आदेश प्राप्त किए गए हैं।
- च. केएससीएसटी (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कर्नाटक राज्य परिषद्) को फील्ड परीक्षण तथा क्षमता प्रदर्शन के लिए कर्नाटक में शिमोगा जिला परिषद तथा रामनगर जिला परिषद में सीडॉट डीआरएएक्स एप्लिकेशन संस्थापित किए। डीआरएएक्स एप्लिकेशन ने एप्लिकेशन उपयोगिता हेतु एसटीक्यूसी (मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता सत्यापन) प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

● **हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन/एनडीए/टीओटी करार :-**

अवधि के दौरान तकनीकी जानकारी/ज्ञान का आदान-प्रदान, प्रौद्योगिकी परीक्षण, प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण हेतु हस्ताक्षरित किए गए समझौते निम्न प्रकार हैं-

- क. सी-डॉट फिक्सड लाइन प्रौद्योगिकी (एमएएक्स स्विचों) को एमएएक्स नेक्सट जनरेशन नेटवर्क पर स्थानांतरित करने के लिए मैसर्स बीएसएनएल के साथ किया गया समझौता ज्ञापन।
- ख. नेटवर्क की सुरक्षा, बीबीडब्ल्यूटी के परीक्षण तथा तैनाती, प्रौद्योगिकी योजना उपकरण तथा सेवाओं, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के प्रबंधन हेतु एनओसी (नेटवर्क आपरेशन सेंटर) के डिजाइन विकास, तैनाती तथा स्थापित करने का कार्य जैसी विभिन्न गतिविधियां हेतु मैसर्स भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।
- ग. कवर न किए गए ग्रामों में मोबाइल संचार सेवाओं के प्रावधान के विषय में तकनीकी परामर्श हेतु यूएसओएफए के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।
- घ. भवन/आवासीय सैक्टर हेतु सी-डॉट भवन दामिनी उत्पाद के लिए प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण हेतु वर्तमान टीओटी सांझेदार-मैसर्स बीईएल, एचएफसीएल, आईटीआई, यूटीएल तथा वीएमसी के साथ जीपी-ओएन टीओटी समझौतों के अनुशेष हस्ताक्षरित किए गए।
- ङ. सी-डॉट एमएलएलएन उत्पाद के लिए विचार-विमर्श में आईपी -एमएलएलएन (मैनेज्ड लीज़ लाइन नेटवर्क) प्रौद्योगिकी हेतु मैसर्स आईटीआई के साथ टीओटी करार।
- च. मैसर्स एमटीएनएल नेटवर्क में संभावित प्रवेश तथा सी-डॉट प्रौद्योगिकियों के निष्पादन/फील्ड परीक्षण हेतु मैसर्स एमटीएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर /प्रौद्योगिकियों में कुछ परीक्षण जैसे नांगलोई,दिल्ली में बीबीडब्ल्यूटी तथा एमटीएनएल हेतु आईएमएस अनुवर्ती एनजीएन-आधारित समाधान आदि लगभग पूर्ण होने वाले हैं।



- छ. फील्ड में सी-डॉट एमएएक्स प्रौद्योगिकी (फिक्सड लाइन स्विचों) के प्रौद्योगिकी सपोर्ट हेतु मैसर्स बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- ज. संचार, अनुसंधान एवं विकास, निर्माण आदि में संयुक्त सहयोग के लिए मैसर्स बीईएल के साथ एक अंब्रेला समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- झ. विभिन्न प्रौद्योगिकियों के संबंध में संविदागत संबंधों के लिए निर्णायक भागीदारों के साथ कुल 27 एनडीए (अप्रकटन करार) पर हस्ताक्षर किए गए।

- **आईपीआरएस, प्रस्तुत पेपर/प्रकाशन आदि**

वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित पेटेंट फाइल किए गए:-

- क. चालू फाइबर में कट्स की जांच के लिए प्रणाली तथा प्रक्रिया तथा अन्य फाइबर पर जाना।
- ख. एफपीजीए पर एक दक्ष समानांतर क्रियान्वयन जीएसएम-ईडीजीई माड्यूलैटर 2.5 जी सिस्टम के लिए।

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों में निम्नलिखित पेपर प्रस्तुत किए गए हैं :-

- क. सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन्स तथा कम्प्यूटर नेटवर्क पर सॉफ्टकॉम 2012, 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-संवाहक संचित ओएफडीएम (ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिविज़न मल्टीप्लैक्सिंग) सिस्टम हेतु शीर्ष घटक कटौती।
- ख. रेडियो 2012, दी रेडियो एंड एंटीना डेज़ ऑफ दी इंडियन ओशियन, मॉरिशस में, संयुक्त आंशिक पारेषण क्रम तथा नॉयस शेपिंग एल्गोरिदम के साथ पीएपीआर (पीक-टू-एवरेज पावर अनुपात) में निष्पादन सुधार।
- ग. मिश्रित शहरी वातावरण, पश्चिम भारत-सिंगर, दूरसंचार एनल्स 2012, डीओआई-10.1007/एस 12243-012-0298-7, में वाईमैक्स बैंड तथा प्रचार मॉडल्स की तुलना में कुछ प्रयोगात्मक जांचें।
- घ. आवास इलैक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ उत्तरी भारत पर परिणाम, प्रयोगात्मक जांच जीएसएम 900 मेगाहर्टज़ एमएचजे इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रिसर्च खंड 125, 559-581, 2012, डीओआई 10.2528/पीआईआईआर 11123003.
- ङ. रेडियो तरंग प्रसार पूर्वानुमान हेतु सीओएसटी-231 हाटा मॉडल की ट्यूनिंग-दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-कम्प्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा एप्लिकेशनों, सीसीएसईए-2012, 26-27 मई, 2012 नई दिल्ली।

वर्ष की चौथी तिमाही में एक अन्य पेटेंट फाइल करने की योजना है।



सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

	पृष्ठ
VIII. 1 भारत संचार निगम लिमिटेड	93-99
VIII. 2 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	101-111
VIII. 3 आईटीआई लिमिटेड	113-119
VIII. 4 टेलीकम्युनिकेशंस कन्सलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड	121-124



VIII. 1 भारत संचार निगम लिमिटेड

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का तत्कालीन दूरसंचार प्रचालन विभाग और दूरसंचार सेवाएं विभाग का निगमीकरण करके 1 अक्टूबर, 2000 को गठन किया गया। इस कंपनी ने दिल्ली एवं मुंबई को छोड़कर, देशभर में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु दूरसंचार विभाग के तत्कालीन कार्यों का अधिग्रहण किया है। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल के दक्ष कर्मचारियों की संख्या लगभग 2.56 लाख है। भारत संचार निगम लिमिटेड भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है।

भारत संचार निगम लिमिटेड नई प्रौद्योगिकी उन्मुख कंपनी है और यह सभी प्रकार की टेलीफोन सेवाएं यथा लैंडलाइन टेलीफोन सेवा, डब्ल्यूएलएल और जीएसएम मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, पट्टाशुदा सर्किट एवं लंबी दूरी की दूरसंचार सेवा प्रदान करती है।

यह कंपनी 100% डिजिटल नई प्रौद्योगिकी स्विचिंग नेटवर्क के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अग्रणी रही है। बीएसएनएल का राष्ट्रव्यापी दूरसंचार नेटवर्क सभी जिला मुख्यालयों, सब डिविजन मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों और लगभग सभी खंड मुख्यालयों को कवर करता है।

लक्ष्य एवं उपलब्धियां

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (31.12.2012 तक) लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	मद	इकाई	समझौता ज्ञापन के अनुसार लक्ष्य (2012-13)	31.03.2012 को स्थिति	31.12.12 को स्थिति	उपलब्धि
1	कुल टेलीफोन कनेक्शन	लाख	100	1209.81	1209.63	-0.17
1(क)	वायर-लाइन	लाख	0	224.68	210.41	-14.27
1(ख)	डब्ल्यूएलएल	लाख	0	40.04	28.3	-11.74
1(ग)	मोबाइल	लाख	100	945.09	970.93	25.84
2	ब्रॉडबैंड(डीएसएल)	सी	30	89.11	98.96	9.85
3	ग्रामीण टेलीफोन	लाख	-	420.2	414.37	-5.83
4	*वीपीटी	सं०	-	5,77,131	5,77,516	385

* 31.03.2012 तक के वीपीटी आंकड़े संशोधित किए गए हैं।



वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 (30.09.2012 तक) के लाभ/हानि के आंकड़ों का विवरण निम्न अनुसार है :-

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2011-12	2012-13 (30.09.2012 तक)*
कुल आय	27,933	13,465
कुल व्यय	36,586	17,104
निवल लाभ (कर पश्चात)	(-) 8,851	(-) 3,655

नोट :* अनन्तिम एवं गैर अंकेक्षित

कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी

क) कॉल डाटा रिकार्ड (सीडीआर) परियोजना

दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, कुल 334 एसएसए में से 333 सैकेन्डरी स्विचिंग एरिया(एसएसए) सीडीआर प्रणाली में अंतरित किए जा चुके हैं। तथापि, अप्रैल, 2012 के अंत तक सभी 334 एसएसए सीडीआर प्रणाली में अंतरित हो गए थे।

ख) आईडीसी (इंटरनेट डाटा केन्द्र) की स्थापना

वर्ष 2011-12 के दौरान फरीदाबाद, लुधियाना, बैंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और गाजियाबाद में अवास्थित 7 इंटरनेट डाटा केन्द्रों को स्थापित एवं कार्यात्मक किया गया। 31-12-2012 तक अहमदाबाद एवं जयपुर में दो और इंटरनेट डाटा केन्द्र स्थापित एवं कार्यान्वित किए गए। चेन्नई में भी एक और आईडीसी की योजना है जिसके लिए प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है।

ग) ईआरपी प्रणाली लागू करना

ईआरपी कंपनी द्वारा उठाए गए अति महत्वपूर्ण समीक्षात्मक सूचना प्रौद्योगिकी कदमों में से एक है। ईआरपी को 4 प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट सर्कलों अर्थात् टीएफ मुंबई, एएलटीटीसी गाजियाबाद, डब्ल्यूटीपी मुंबई और एसटीआर में लागू किया गया है। ईआरपी कार्यान्वयन अगले पीओसी सर्कल अर्थात् कर्नाटक में प्रक्रियाधीन है। इसके बाद, शेष दो पीओसी सर्कलों अर्थात् निगम कार्यालय एवं महाराष्ट्र में ईआरपी का कार्यान्वयन आरंभ किया जाएगा, इसकी सितंबर 2013 में पूरा होने की आशा है, जिसके पश्चात कार्य का चरण-1 पूरा हो जाएगा।

ग्रामीण टेलीफोनी

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनी (वीपीटी)

क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 31.12.2012 तक के 5,93,601 आवासित गांवों में से 5,77,516 गांवों (पीबीएसओ द्वारा कवर किए गए 4086 सहित) को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान कर दी गई है।



- ख) बीएसएनएल ने वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 100 से अधिक की जनसंख्या वाले 62302 (संशोधित) विवादाहित, शांत, अभिगम्य और आबाद गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग की यूएसओएफ शाखा के साथ एक करार किया है। 2012-13 (दिसंबर 2012 तक) के दौरान 47 वीपीटी प्रदान किए गए हैं।
- ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा से वंचित अभिनव अभिज्ञात 62443 आबाद गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग के यूएसओएफ के साथ एक करार किया है। दिसंबर, 2012 तक वर्तमान वर्ष में 1306 वीपीटी प्रदान किए गए हैं।

मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) वीपीटी को बदला जाना

बीएसएनएल ने 185,121 वीपीटी (जिन्हें पहले आवंटित 1,86,872 से संशोधित किया गया था, जो पहले मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे थे, को बदलने के लिए दूरसंचार विभाग के यूएसओएफ के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। दिसंबर, 2012 तक कुल 15 एमएआरआर वीपीटी को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। शेष एमएआरआर के मार्च, 2013 तक प्रतिस्थापित किए जाने की संभावना है।

दूरसंचार उद्योग

कोलकाता, गोपालपुर, खडगपुर, जबलपुर, भिलाई, रिच्छई और मुम्बई स्थित बीएसएनएल दूरसंचार उद्योग कंपनी की घरेलू विनिर्माण इकाईयां हैं।

टावरों एवं अन्य पारंपरिक उत्पादों की गिरती मांग, कम होती श्रम शक्ति और अंतरप्रचालक प्रतिस्पर्धा वातावरण द्वारा उत्पन्न सभी कठिनाईयों के मध्य, इन कंपनियों ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले नौ माह के दौरान 1.34 करोड़ सिम कार्ड सहित ₹100 करोड़ कीमत की दूरसंचार मर्दों की आपूर्ति की है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 26 बीएसएनएल अधिकारियों और 2012-13 के दौरान 30 अधिकारियों को विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण, प्रदर्शनियों, बैठकों एवं कॉन्फ्रेंसों में भेजा गया।

प्रशिक्षण

बीएसएनएल के देश में 35 प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिसमें तीन शीर्ष स्तर प्रशिक्षण केन्द्र नामतः प्रौन्नत स्तर प्रशिक्षण केन्द्र (एलटीटीसी), गाजियाबाद, दूरसंचार प्रशिक्षण के भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर संस्थान (बीआरबीआरएआईटीटी), जबलपुर एवं दूरसंचार वित्त एवं प्रबंधन की राष्ट्रीय अकादमी (एनएटीएफएम), हैदराबाद भी शामिल हैं। प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है :-

- क) पिछले वर्ष के दौरान (2011-12) लगभग 88,555 कार्मिकों को कुल 5,78,228 मानव दिवसों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त, बाह्य प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें एक बड़ा समूह इंजीनियरिंग विद्यार्थियों का था।



ख) मौजूदा वर्ष 2012-13 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान लगभग 53966 कार्मिकों को कुल 2,24,757 मानव दिवसों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 4,55,566 मानव दिवसों का प्रशिक्षण बाह्य प्रशिक्षुओं को दिया गया है।

चयनित क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं का विकास

विशेष घटक योजनाएं : बीएसएनएल की वार्षिक योजना (1) पूर्वोत्तर क्षेत्र और (2) जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय उप योजना में विशेष घटक योजनाओं के तहत दूरसंचार सुविधाओं की तीव्र वृद्धि पर विशेष बल देती है।

पूर्वोत्तर राज्यों की नेटवर्क स्थिति : पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार, दूरसंचार सुविधाओं की स्थिति को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :-

क्र० सं०	राज्य का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज (वायरलाइन)	कुल क्षमता (लाइनों में) (वायरलाइन)	कुल सीधी एक्सचेंज लाइनें (संख्या)	ब्रॉडबैंड कनेक्शन	वीपटी (2001 की जनगणना के अनुसार)
1	असम	585	21,34,461	14,22,194	92,392	24,679
2	पूर्वोत्तर-1					
(2ए)	मेघालय	118	3,51,431	3,19,225	12,386	5,106
(2बी)	मिजोरम	105	2,25,982	2,46,556	11,439	704
(2सी)	त्रिपुरा	135	3,95,567	4,81,498	13,414	858
	जोड़	358	9,72,980	10,47,279	37,239	6,668
3	पूर्वोत्तर-2					
(3ए)	अणाचल प्रदेश	104	3,29,926	3,58,704	7,781	2,774
(3बी)	मणिपुर	50	2,60,488	2,25,837	7,077	2,171
(3सी)	नागालैंड	64	3,21,217	3,22,038	5,131	1,263
	जोड़	218	9,11,631	9,06,579	19,989	6,208
4	सिक्किम	47	1,65,800	1,37,597	4,316	429
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,208	41,84,872	35,13,649	1,53,936	37,984



विकास स्थिति : वर्ष 2012-13 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

मद	2012-13	
	लक्ष्य (समझौता ज्ञापन के अनुसार)	उपलब्धियां (31 दिसंबर, 2012 तक)
निवल स्विचन क्षमता (लाइनें) (तारशुदा. डब्ल्यूएलएल. सीएमटीएस)	-	-
सीधी एक्सचेंज लाइनें (संख्या)	4,84,400	21,544
(i) फिक्सड	0	(-) 85,293
(ii) मोबाइल	4,84,400	1,06,837
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (सं०) (2001 की जनगणना के अनुसार)	0	399
ब्रॉडबैंड क्षमता (पोर्ट)	-	-
ब्रॉडबैंड कनेक्शन (संख्या)	74,400	13,576

* वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए दूरसंचार विभाग के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के स्विचन क्षमता वीपीटी एवं ब्रॉडबैंड क्षमता के लिए कोई लक्ष्य नहीं है।

जनजातीय उपयोजना

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक योजना का एक हिस्सा है। जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के संतुलित और त्वरित विकास के लिए इन्हें विशेष महत्व का क्षेत्र माना गया है। जनजातीय उपयोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार है (i) जनजातीय क्षेत्रों में मांग पर दूरभाष सुविधा उपलब्ध करना (ii) जनजातीय क्षेत्रों के सभी एक्सचेंजों में एनएसडी सुविधा उपलब्ध करना (iii) सभी जनजातीय ग्रामों में सार्वजनिक दूरभाष की सुविधा उपलब्ध करना।

जनजातीय क्षेत्र अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर-। पूर्वोत्तर-।। उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और पश्चिम बंगाल राज्यों में पड़ते हैं।

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के तहत वर्ष 2012-13 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

क्र० सं०	मदें	2012-13	
		लक्ष्य	वर्ष 2012-13 के दौरान उपलब्धि (31 सितंबर, 2012 तक)
1.	टेलीफोन एक्सचेंज (सं०)	-	(-)15
2.	स्विचन क्षमता (वायरलाईन् वायरलैस)	-	1,61,864
3.	सीधी एक्सचेंज लाइनें (वायरलाईन् वायरलैस)	-	23,342
4.	ओएफसी (रूट कि०मी०)	3,497	1,842



बीएसएनएल द्वारा किए गए कल्याणकारी उपाय/प्रदान की गई सुविधाएं

वर्ष 2012-13 के दौरान बीएसएनएल के कल्याणकारी उपायों के तहत बीएसएनएल अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चला रहा है। कुछ प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को नीचे पुनः दिया जा रहा है।

- बीएसएनएल कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति/बुक अवार्ड/प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।
- गंभीर बीमारी अथवा बड़े सर्जिकल आपरेशन के मामले में ₹25,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- उन बीएसएनएल कर्मचारियों जिनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है के परिवार को मूल वेतन की सीमा पर विचार किए बिना ₹15000/- की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- प्राकृतिक आपदा/सांप्रदायिक दंगे/उग्रवादी हमलों के पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता प्रति कर्मचारी ₹5,000/- है।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्राइंग प्रतियोगिता और नारे लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करना।
- पर्यटन यात्राएं करने के लिए 75% पर्यटन राज-सहायता प्रदान करना।
- प्रत्येक सर्कल/एसएसए में मनोरंजन क्लबों को सहायता अनुदान
- आरडब्ल्यूए को सहायता अनुदान
- टीडब्ल्यूसीओ/टीडब्ल्यूडब्ल्यूओ को सहायता अनुदान: इस संगठन की प्रमुख भूमिका/लक्ष्य कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण में वृद्धि करना है और इसकी मुख्य गतिविधियों हैं:-
 - क) पी एवं टी आवासीय कालोनी और कार्यालयों में बच्चों की देखभाल हेतु "क्रच" की स्थापना करना।
 - ख) टीडब्ल्यूसीओ/टीडब्ल्यूडब्ल्यूओ को बीएसएनएल कर्मियों के पति/पत्नी और बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए टेलीकॉम प्रशिक्षण केन्द्रों की कम्प्यूटर सुविधाओं के प्रयोग की अनुमति दी गई है।

अवकाश गृह : अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग करने के लिए देशभर में इसके 38 अवकाश गृह हैं।

विशेष निपटान : उन छात्रों को छात्रवृत्ति और बुक अवार्ड देने में 10% अंकों की छूट दी जाती है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के बच्चे हैं। छात्राओं के संबंध में छात्रवृत्ति बुक अवार्ड देने के लिए 15% छूट दी जा रही है।

कर्मचारियों की संख्या :

31.12.2012 की स्थिति के अनुसार

समूह	कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	भूतपूर्व सैनिक	महिला कर्मचारी
कार्यपालक	50,598	8,093	2,433	116	7,840
गैर कार्यपालक	2,05,490	38,501	10,823	556	29,153
कुल	2,56,088	46,594	13,256	672	36,993

31 दिसंबर 2012 तक शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या 563 थी।



तालिका

31.12.2012 एवं 31.03.2012 तक 2001 की जनगणना के अनुसार बीएसएनएल द्वारा प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की स्थिति

क्र० सं०	सर्किल का नाम	जनगणना 2001 के अनुसार कुल गांव	31 मार्च, 2012 तक		31 दिसंबर, 2012 तक	
			वीपीटी द्वारा शामिल किए गए गांव	शामिल किए गए गांवों का प्रतिशत	वीपीटी द्वारा शामिल किए गए गांव	शामिल किए गए गांवों का प्रतिशत
1	अंडमान और निकोबार	501	350	69.86	352	70.26
2	आंध्र प्रदेश	26,613	24,040	90.33	25,102	94.32
3	असम	25,124	24,411	97.16	24,679	98.23
4	बिहार	39,032	38,932	99.74	38,932	99.74
5	छत्तीसगढ़	19,744	18,178	92.07	18,192	92.14
6	गुजरात	18,159	16,932	93.24	16,260	89.54
7	हरियाणा	6,764	6,678	98.73	6,678	98.73
8	हिमाचल प्रदेश	17,495	17,406	99.49	17,408	99.50
9	जम्मू और कश्मीर	6,417	6,363	99.16	6,383	99.47
10	झारखंड	29,354	28,807	98.14	28,807	98.14
11	कर्नाटक	27,481	27,449	99.88	27,449	99.88
12	केरल	1,372	1,372	100.00	1,372	100.00
13	मध्य प्रदेश	52,117	51,986	99.75	51,986	99.75
14	महाराष्ट्र	41,442	39,746	95.91	39,766	95.96
15	पूर्वोत्तर- I	7,347	6,592	89.72	6,668	90.76
16	पूर्वोत्तर- II	7,456	6,153	82.52	6,208	83.26
17	ओडिशा	47,529	44,858	94.38	44,935	94.54
18	पंजाब	12,301	12,065	98.08	12,065	98.08
19	राजस्थान	39,753	38,838	97.70	38,699	98.10
20	तमिलनाडु	13,837	13,837	100.00	13,837	100.00
21	उत्तरांचल	15,761	15,365	97.49	15,366	97.49
22	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	76,993	74,121	96.27	74,145	96.30
23	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	23,781	23,629	99.36	23,597	99.23
24	पश्चिम बंगाल	37,512	36,801	98.10	36,910	98.40
25	कोलकाता	893	567	63.49	613	68.65
26	चेन्नई	1,655	1,655	100.00	1,655	100.00
बीएसएनएल कुल		593,601	577,131	97.23	577,516	97.29



VIII. 2 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 28 फरवरी, 1986 को पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया। एमटीएनएल ने 1 अप्रैल, 1986 को दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाओं के नियंत्रण, प्रबंधन, प्रचालन का उत्तरदायित्व लिया। एमटीएनएल स्थिर लाइन दूरसंचार सेवा दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में और जीएसएम मोबाइल सेवा (दिल्ली सहित इसके आस-पास के चार नगरों नोएडा, गुडगांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में) का प्रमुख प्रदाता है तथा मुंबई सहित मुंबई नगर निगम, नवी मुंबई निगम और थाणे नगर निगम के अधीन आने वाले क्षेत्र भी इस कंपनी के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

कंपनी की प्राधिकृत पूंजी ₹800 करोड़ है। इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹630 करोड़ है और इस शेयर पूंजी में ₹63 करोड़ शेयर है और प्रत्येक शेयर ₹10/- का है। इस समय 56.25% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास है तथा शेष 43.75% शेयर विदेशी संस्थागत निवेशकों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, म्यूचुअल फंडों तथा व्यक्तिगत निवेशकों सहित अन्यो के पास है।

एमटीएनएल को 1997 में नवरत्न का दर्जा दिया गया था और इसे 2001 में न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया।

इसके अतिरिक्त, एमटीएनएल पृथक गैर अनन्य लाइसेंस करार के तहत दिल्ली और मुंबई में डायल अप इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है। एमटीएनएल ने वर्ष 2005 में अत्याधुनिक एडीएसएल 2+ प्रौद्योगिकी पर आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत की है। एमटीएनएल इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर तिहरी प्ले सेवाएं अर्थात् ध्वनि (वीओआईपी सहित), उच्च गति इंटरनेट तथा आईपीटीवी सेवाएं प्रदान कर रहा है। अगस्त 2008 में आबंटित स्पेक्ट्रम के विरुद्ध 11.12.2008 की 3जी सेवाएं एमटीएनएल द्वारा प्रारंभ की।

वास्तविक कार्य निष्पादन

टेली सेवाएं

एमटीएनएल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल एक्सचेंजों से जुड़े उपभोक्ताओं को कंप्यूटरीकृत प्रातः अलार्म, वॉयस मेल, स्वचालित परिवर्तित नम्बर घोषणा, कंप्यूटरीकृत दोष बुकिंग/भुगतान प्रणाली आदि जैसी विभिन्न प्रकार की फोन प्लस सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

एमटीएनएल अपने उपभोक्ताओं को कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, वेक अप कॉल्स, ऐबसेन्ट सब्सक्राइबर सेवा, कॉलर आइडेंटिफिकेशन, फ्रेंड एंड फैमिली, नाइट टॉक, कॉल कान्फ्रेंस और वायस मेल आदि जैसी अनेक मूल्यवर्धित सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।


एमटीएनएल ने उपभोक्ताओं के साथ अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। एमटीएनएल ने उन्नत बिल संग्रहण और भुगतान प्रक्रिया (इंटरनेट पर और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिल भुगतान सहित) की शुरुआत की है, टेली मार्ट खोले हैं जिनमें अधिकांश उपभोक्ता सेवाएं उपलब्ध है, इंटरनेट और सीडी-रोम पर टेलीफोन निदेशिका की शुरुआत की है तथा उपभोक्ता सेवा प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित किया है। एमटीएनएल की उपभोक्ता सेवा प्रबंधन प्रणाली उपभोक्ताओं को "ऑन लाइन" सेवाओं की श्रृंखला उपलब्ध कराने में हमारे कर्मचारियों को सक्षम बनाती है जिनमें नई टेलीफोन लाइनों हेतु पंजीकरण, पते में परिवर्तन और बिल जारी करना शामिल है तथा इससे हमें एकल सम्पर्क स्थल से शिकायतों के मॉनीटरिंग में सहायता मिली है। एमटीएनएल ने सेवाओं का



अत्यधिक उपयोग करने वाले “वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्तियों” की पहचान की है और इन उपभोक्ताओं के साथ हमारे संबंधों को मजबूत बनाने के यथासंभव प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के साथ दो-तरफा प्रभावी संचार बनाने के लिए टेलीफोन अदालतें और खुले अधिवेशन सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान एमटीएनएल द्वारा 504814 नए कनेक्शन (स्थिर लाइन, डब्ल्यू एलएल एवं जीएसएम सहित) जोड़े गए, तथापि, जीएसएम ग्राहकों की बहुत बड़ी संख्या (6-7 लाख के लगभग) के कम हो जाने के कारण, जो एक वर्ष से अधिक निष्क्रिय थे, शुद्ध वृद्धि ऋणात्मक अर्थात् 5.32 लाख कनेक्शन (स्थिर लाइन, डब्ल्यूएलएल एवं जीएसएम सहित) हो गई है। जीएसएम ग्राहकों के कनेक्शनों के वियोजन से वे एक लंबे समय से निष्क्रिय है अर्थात् जिन ग्राहकों ने सेवाओं को एक वर्ष से अधिक से प्रयोग नहीं किया है, सामर्थ्य के प्रयोग को तर्कसंगत बनाना आवश्यक हो गया है एवं वर्तमान संसाधनों के प्रयोग से अधिक ग्राहकों को अर्जित करने में समर्थ बनना है। यद्यपि, एमटीएनएल ने ब्रॉडबैंड ग्राहकों की सकारात्मक वृद्धि को बनाए रखा है जहां इसने कुल 59280 ब्रॉडबैंड ग्राहकों को इस अवधि के दौरान शामिल किया है।

शेयर धारण पद्धति



विभिन्न सेवाएं एवं परियोजनाएं

1. जीएसएम सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं

3जी प्रौद्योगिकी जो कि 2जी सेवाओं का स्वाभाविक विकास है न केवल स्पेक्ट्रम के बेहतर एवं दक्ष उपयोग को सुकर बनाता है अपितु उच्च गति या डाटा प्रवाह क्षमता प्रदान करता है। 3जी प्रौद्योगिकी तीव्र इन्टरनेट सर्फिंग प्रदान करता है एवं एमटीएनएल को वीडियो संबंधित अनेक सेवाएं भी प्रदान करता है एवं अपने उपभोक्ताओं की मूल्य संवर्धित सेवाओं जैसे वीडियो टेलीफोनी, उच्च गति मोबाइल ब्रॉडबैंड, मोबाइल टीवी, वीडियो स्ट्रीमिंग, मांग पर वीडियो, आन लाई-गेमिंग एम-कामर्स आदि प्रदान करता है।

3जी सेवाएं “जादू” ब्रांड नाम से एमटीएनएल दिल्ली तथा मुम्बई के समस्त क्षेत्र में उपलब्ध है। चूंकि 3जी भारत में एक नई प्रौद्योगिकी है, इसने उपभोक्ताओं को 3जी कनेक्शनों को अपनाने के लिए पूर्णतः शिक्षित एवं विश्वस्त करने में कुछ समय लिया था। एमटीएनएल ने 3जी सेवाओं को अपने उपभोक्ताओं के मध्य लोकप्रिय बनाने के लिए अपने सभी जीएसएम मोबाइल उपभोक्ताओं को 3जी सेवाओं तक अभिगम के लिए अनुमति दी। इस कदम के उपरांत, जीएसएम ग्राहकों द्वारा डाटा प्रयोग स्वैच्छिक तौर पर बढ़ा है।



एसएमएस/आईवीआरएस/जीपीआरएस आधारित वीएस की अनेक सेवाएं एमटीएनएल जीएसएम/3जी ग्राहकों को उपलब्ध है इनमें से कुछ निम्नांकित सूचीबद्ध है :

- क. कालर रिंग बैक टोन (सीआरबीटी)
- ख. मिस्ड काल एलर्ट
- ग. वॉयस एसएमएस
- घ. सेव योअर कन्टेन्ट्स (डालफिन वाल्ट)
- ङ. एम-कामर्स (मोबाइल के माध्यम से बिल भुगतान)
- च. मोबाइल टीवी
- छ. क्लोज्ड यूर्जर ग्रुप (सीयूजी)
- ज. रेलवे आरक्षण, पासपोर्ट आदि की स्थिति
- झ. समाचार, क्रिकेट, वैवाहिक इत्यादि
- ञ. मैप एवं निदेश
- ट. इन्टरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सर्विस (आईवीआरएस)

अपने ग्राहकों की हमेशा बढ़ती हुई मांगों/महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, एमटीएनएल सामर्थ्य के विस्तारण के साथ-साथ जीएसएम/3जी नेटवर्क के सामर्थ्य पर प्रमुख रूप से पहल कर रहा है।

गुणवत्ता सेवाएं, ग्राहक देखभाल एवं संतोष, नई सेवाओं/योजनाओं के परिचय एवं नवनिर्मित विपणन नीतियों के परिचय पर नई मांगें सृजन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 3जी सेवा के ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए एमटीएनएल जिन कदमों को उठा रहा है वे निम्नांकित है :

- 3जी सेवाओं की मांग को बढ़ाने के लिए एमटीएनएल विभिन्न विक्रेताओं के माध्यम से अपनी सेवाओं को डाटा कार्ड एवं हैंडसेट के साथ सुसज्जित कर रहा है। इस मामले में, एमटीएनएल आपूर्तिकर्ताओं की 3जी डाटा कार्डों को एमटीएनएल 3जी सेवाओं के साथ बंडल करके बेचने की अनुमति देता है। डाटा कार्डों को एमटीएनएल 3जी सेवाओं सहित अनुमति देने से पहले, एमटीएनएल 3जी नेटवर्क में अपने निष्पादन के लिए ध्यानपूर्वक डाटा कार्ड का परीक्षण करता है।
- इसके अतिरिक्त, एमटीएनएल अपने 3जी डाटा कनेक्शनों के लिए विभिन्न पैकेजों के अंतर्गत ग्राहकों को डाटा कार्ड भी प्रदान कर रहा है। इसके लिए एमटीएनएल ने मैसर्स टेराकाम से 3जी डाटा कार्डों की खरीद की है।

2. ब्रॉडबैंड नेटवर्क

एमटीएनएल द्वारा एडीएसएल2+ आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जा रही है। इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर ट्रिपल प्ले सेवाएं अर्थात् वायस (वीओआईपी) सहित उच्च गति इन्टरनेट और आईपीटीवी की पेशकश की जा रही है। उपभोक्ताओं के बीच यह सेवा काफी लोकप्रिय है एवं इसके एडीएसएल2+ आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रारंभ होने से, एमटीएनएल ने ब्रॉडबैंड ग्राहक आधार में स्वास्थ्य सकारात्मक वृद्धि को अनुरक्षित किया है। एमटीएनएल के पास (31.12.2012 तक) की स्थिति के अनुसार इस समय लगभग 16.32 लाख पोर्टों की संस्थापित ब्रॉडबैंड क्षमता है और इसका उपभोक्ता आधार पर 10.99 लाख है।

3. फाइबर टू दि होम (एफटीटीएच)

एमटीएनएल अपने अभिगम नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर जोड़ रहे हैं और जी पॉन आधारित एफटीटीएच नेटवर्क प्रारंभ कर रहे हैं ताकि बैंडविड्थ की लगातार बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं की संतुष्टि हो



एवं ग्राहकों को व्यापक स्तर पर सेवाएं प्रदान की जा सके। यह एफ केंद्रीयकृत प्रबंधन नेटवर्क डिजाइन है जो एमटीएनएल में ही सभी सम्भावित गन्तव्यों को विश्वसनीय मार्ग प्रदान करेगा। यह डाटा एवं विडियो एप्लीकेशनों दोनों के लिए बैंडविडूथ की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा। कंपनी ग्राहक को 1 किमी. की परिधि में फाइबर पर पीओपी (डाटा, वायस, उद्यम एवं अन्य सेवाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाएगी) के सृजन के लिए अभिप्रेत है।

जीपीओएन आधारित एफटीटीएच नेटवर्क के सक्रिय नेटवर्क की तैनाती का कार्य मैसर्स आईटीआई एवं एफटीटीएच पैसिव नेटवर्क मैसर्स स्टेरलाइट टेक्नोलॉजिस लिमिटेड को प्रदत्त किया गया है। परियोजना अपने पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। एफटीटीएच 100 एमवीपीएस तक ब्रॉडबैंड, उच्च-गति इंटरनेट, वायस, आईपीटीवी वीडियो आन डिमांड एवं अन्य विषय-वस्तु आधारित सेवाएं जैसे, ई-शिक्षा, गेमिंग एवं वीडियो सर्विलान्स, प्रकाशन आदि प्रदान करता है।

दिसम्बर, 2012 के अंत तक एमटीएनएल दिल्ली के पास 1127 एफटीटीएच कनेक्शन थे जबकि एमटीएनएल मुंबई के पास 369 कनेक्शन थे।

4. एमटीएनएल में फेम्टोसेल की स्थापना

3जी स्पेक्ट्रम का दक्ष उपयोग करने के लिए एमटीएनएल की फेम्टोसेल स्थापित करने की योजना है जो एक लघु सेल्युलर बेस स्टेशन होता है, जो विशेष रूप से आवासीय और लघु व्यावसायिक माहौल में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। फेम्टोसेल नेटवर्क की तैनाती के बाद, जब एक 3जी ग्राहक फेम्टोसेल सीमा के भीतर होता है, इसके ट्रैफिक को नियत लाइन के माध्यम से मार्गान्वित किया जाएगा। फेम्टोसेल समाधान के ट्रायल को सफलतापूर्वक मैसर्स एल्काटेल लूसेंट द्वारा मुंबई नेटवर्क में व्यवहार में लाया गया।

मै0 अल्काटेल ल्यूसेंट द्वारा मुंबई नेटवर्क में वाई-फाई हाटस्पॉट के लिए विक्रेताओं का पैनल तैयार करने के लिए ईओआई को तैयार करने हेतु किया जाने वाला कार्य प्रगति पर है।

5. सूचना प्रौद्योगिकी पहल

प्रचालन/अनुवीक्षण प्रबंधन को सरल बनाने के प्रयोजन के लिए आन्तरिक विकास को सुकर करने हेतु निम्नलिखित पहल की गई है।

- i. एमटीएनएल निगमित कार्यालय की नई वेबसाइट प्रारंभ करना।
- ii. एमटीएनएल दिल्ली की ग्राहक मैत्रीपूर्ण वेबसाइट प्रारंभ करना।
- iii. एमटीएनएल की आम इंटर नेट साइट प्रारंभ करना।
- iv. एमटीएनएल वेबसाइट पर नई लैण्डलाइन/ब्रॉडबैंड के लिए लीड्स की कैंपेरेिंग के लिए सुविधा प्रदान करना।
- v. एसएमएस कोड 52121 पर नए कनेक्शनों के लिए लीड कैपचर।
- vi. एमटीएनएल मोबाइल ग्राहकों के लिए "त्वरित भुगतान" सुविधा।
- vii. आंतरिक ब्रॉडबैंड बिलिंग प्रणाली का कार्यान्वयन।
- viii. मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआईएस) का प्रारंभ।
- ix. ब्रॉडबैंड/लैण्डलाइन के लिए इंटर नेट डैश बोर्ड दोष रिपोर्ट प्रबंधन प्रणाली।
- x. एमटीएनएल सेवाओं से संबंधित इसे स्वयं करें (डीआईवाई) वीडियो का विकास।



6. आईपीवी4 के स्थान पर आईपीवी6 को अपनाना

दूरसंचार विभाग ने सभी सेवा प्रदाताओं को अधिक से अधिक 2012 तक अपना केंद्र नेटवर्क अवसंरचना बनाने का निदेश दिया है, जिससे सभी उपखंडों में आईपीवी6 सेवाओं को प्रस्तावित करने में समर्थ हो सके। आईपीवी6 को अपनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि एमटीएनएल के पास विभिन्न प्रकार की व्यवसाय श्रेणी अर्थात् ब्रॉडबैंड, वायरलेस, लीज्ड सर्किट आदि के लिए पहले से स्थापित अनेक नेटवर्क और उपस्कर हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए, एमटीएनएल इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गंभीर प्रयास कर रहा है। एमटीएनएल ने इस दिशा में अधिक सक्रिय उपाय किए हैं और दोहरे स्टैक एमपीएलएस नेटवर्क से अपने कोर नेटवर्क (केवल आईपीवी4) को बदलने की प्रक्रिया चल रही है तथा साथ ही अन्य उपस्करों के साथ अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क की जांच भी की है। एमटीएनएल का ब्रॉडबैंड नेटवर्क ड्यूल स्टैक पर बिना नेटिंग के आईपीवी6 तैयार है।

7. एमटीएनएल की परिसंपत्तियों का उपयोग

एमटीएनएल अपनी परिसंपत्तियों के अर्जनपूर्ण उपयोग के द्वारा राजस्व में अधिकतम वृद्धि करने के लिए सुविचारित प्रयास कर रहा है। एमटीएनएल ने अपनी परिसंपत्तियों जैसे कि स्टाफ क्वार्टर, कार्यालय स्थान का अन्य सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्त संगठनों/निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साझा उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में एमटीएनएल लगभग 4.24 लाख वर्गफुट का स्थान पहले ही किराए पर दे दिया है जिसके परिणामस्वरूप ₹4.15 करोड़ के मासिक किराए के राजस्व का अर्जन हुआ है। इसके अलावा एमटीएनएल 40 स्टाफ क्वार्टर पहले ही किराए पर दे चुका है।

8. नई प्रौद्योगिकी स्टेट ऑफ आर्ट एक्सचेंजों तथा नेक्सट जनरेशन नेटवर्कों (एनजीएन)/आईएमएस की तैनाती

एमटीएनएल में इस समय दिल्ली व मुंबई के नेटवर्कों पर फिक्सड लाइन की 5 मिलियन से अधिक की संस्थापित क्षमता तथा लगभग 3.5 मिलियन उपभोक्ता हैं। वर्तमान फिक्सड लाइन प्रौद्योगिकी लगभग 20 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी तथा इस समय इसके दैनिक अनुरक्षण में कठिनाइयां आ रही हैं। चूंकि प्रौद्योगिकी के अप्रचलित हो जाने का कारण बताकर विक्रेताओं के द्वारा अनुरक्षण ठेके वापस ले लेने के कारण, एमटीएनएल ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चरणबद्ध तरीके से टीडीएम फिक्सड लाइन स्विचों को एनजीएन/आईएमएस से बदलने की योजना बनाई है। एनजीएन/आईएमएस आधारित सेवाओं के आने से एमटीएनएल को न केवल ओपेक्स, स्थान बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि हमें वे सभी डाटा/वीडियो केंद्रित सेवाएं अपने फिक्सड लाइन ग्राहकों को देने में मदद मिलेगी, जो अभी केवल मोबाइल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जा रही है जिससे अंततः फिक्सड तथा मोबाइल सेवाओं का कन्वर्जेंस होगा।

9. ब्रॉडबैंड सेवाओं पर वॉयस तथा वीडियो लॉन्च

एमटीएनएल ने दिल्ली तथा मुंबई में अपने व्यापक वायर लाइन नेटवर्क पर हाल ही में वीडियो टेलीफोनी प्रदान की है। यह सेवा 17 जनवरी, 2013 को माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल तथा माननीय राज्य मंत्री (सं.व सू. प्रौ.) श्री मिलिन्द देवरा द्वारा लॉन्च की गई। वीडियो टेलीफोनी एक एड ऑन सेवा है जो विद्यमान लैंडलाइन कनेक्शनों पर शुरू की जा सकती है। यह सेवा प्रभावशाली संचार, पारस्परिक शिकायत सुधार, तथा सेवाओं के वितरण की बेहतर मॉनिटरिंग में मदद करेगी। इससे समय व पैसे की भी बचत होगी।



संयुक्त उद्यम

1. एमटीएनएल-एसटीपीआई आईटी सेवाएं (एमएसआईटीएस) : एमटीएनएल – एसटीपीआईआईटी सर्विसेज लिमिटेड सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है। 2006 में बनाए गए संयुक्त उद्यम में एसटीपीआई का इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में गहरा अनुभव और एमटीएनएल का भारतीय समुदाय को प्रमुख वेबपोर्टल सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से भारत की अग्रणी दूरसंचार प्रचालन कंपनी के रूप में ट्रैक रिकार्ड का संयोजन विद्यमान है। इस संयुक्त उद्यम का उद्देश्य आर्थिक कार्यकलापों के अभिज्ञात क्षेत्रों को अनन्य डाटा केन्द्र सेवाएं, संदेश सेवाएं, व्यवसाय अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करना तथा इस प्रकार पूरे विश्व के नेटवर्क युक्त समुदाय में इनडोमेन को भी लोकप्रिय बनाना है।

डाटा केंद्रों की निर्बाध प्रचालन और विस्तार आवश्यकताओं के दृष्टिगत एमएसआईटीएस ने एलटी विस्तार पैनल, यूपीएस पैनल, पीएसी पैनल सर्वर डीबी जैसी उपयुक्त अवसंरचना, अवयवों को सृजित किया है जिन्हें लाइव डाटा केंद्र में संस्थापित और समेकित किए गए थे। इसके अतिरिक्त एमएसआईटीएस ने अन्य संस्थिति अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डाटा केंद्र में केजिंग की प्रक्रिया भी शुरू की है। डाटा केंद्र 24x7x365 के अनुरक्षण में तकनीकी विशेषज्ञों का सेवा काल 99.98% है।

कंपनी ने दिल्ली और हैदराबाद में अनुमानतः 20,000 वर्ग फुट एरिया में टियर-III स्तर के हरित डाटा केन्द्र की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए ईओआई प्रवर्तन में लाई जा रही है।

2. यूनाईटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल) : यूटीएल नेपाल वेन्चर्स (पी) लिमिटेड (एनवीपीएल) की साझेदारी में एमटीएनएल, टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड तथा टीसीआईएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह कंपनी नेपाल में बेसिक, मोबाइल, एनएलडी, आईएलडी तथा डाटा सेवाएं प्रदान करती है। यह कंपनी नेपाल में शुरू में डब्ल्यूएलएल आधारित बेसिक सेवाएं प्रदान करते हुए 10 अक्टूबर, 2001 से प्रचालन में है। भारत के लिए कॉल प्रशुल्क लगभग ₹75 नेपाली प्रति मिनट था। यूटीएल ने इसे कम करके ₹2.59 नेपाली प्रति मिनट के स्तर पर लाया है। कंपनी ने नेपाल में अपने ग्राहकों की डाटा तथा वीएएस की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए सीडीएमए 1 x ईवीडीओ अवसंरचना की शुरुआत की है। कंपनी ने दोष दरों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के निमित्त अपने सीडीएमए ग्राहकों के लिए आरयूआईएम कार्डों की भी शुरुआत की है। यूटीएल- नेटवर्क 46 जिलों में विद्यमान है।

आज की स्थिति के अनुसार, कंपनी में एमटीएनएल, टीसीआईएल और टीसीएल की क्रमशः 26.68%, 26.66% और 26.66% हिस्सेदारी है जबकि एनवीपीएल इक्विटी पूंजी 20% है। यूटीएल ने देश के दूरसंचार क्षेत्र एवं जीडीपी के विस्तारण में सहयोग दिया है।

3. मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड: मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल) जो एमटीएनएल की एक पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है और जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, फरवरी 2000 में निगमित हुआ। एमटीएल के बोर्ड ने नए प्रकार के व्यवसाय में प्रवेश करने का और नए व्यवसायों अर्थात् अवसंरचना हिस्सेदारी, वेबहोस्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि सहित डाटा केंद्र आउटसोर्सिंग अनुप्रयोग तथा सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/निजी कंपनी आदि में विभिन्न निविदाओं के प्रत्युत्तर में या जीएफआर आधार पर सीधे टर्न की समाधान उपलब्ध कराने के संबंध में संभावना तलाश करने की दिशा में कार्यवाही आरंभ करने का निर्णय लिया है। व्यावसायिक मामलों जैसे कि वाई-फाई पर्यावरण में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना, अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर क्षमता को लीज पर देना, अतिरिक्त सीडीएमए क्षमता का अन्य प्रचालकों के साथ हिस्सेदारी आदि प्रक्रियाधीन है।



एमटीएल रुचि की अभिव्यक्ति और समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के जरिए संयुक्त उद्यम कंपनी/सहयोगात्मक उद्यम कंपनी गठित करने तथा दूरसंचार पार्टनर बनाने की संभावना की भी तलाश कर रहा है।

सहायक कंपनिया

1. महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल) : एमटीएमएल, एमटीएनएल की एक 100% सहायक कंपनी है जिसे मॉरीशस में नवम्बर, 2003 में एक निजी घरेलू कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसे आरंभ में 600 मिलियन एमयूआर की प्राधिकृत पूंजी तथा 300 मिलियन की प्रदत्त पूंजी के साथ पंजीकृत किया गया था। प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 2009 में 1500 मिलियन एमयूआर कर दिया गया। कंपनी को स्थिर बेतार सेवाएं, मोबाइल सेवाएं, अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवाएं तथा इंटरनेट सेवाएं प्रचालित करने के लिए आईसीटीए (मॉरीशस स्थिति दूरसंचार विनायामक) से लाइसेंस प्राप्त हुए थे।

एमटीएनएल ने टेलीकाम सेवाओं अर्थात् फिक्स वायरलेस फोन, मोबाइल (पोस्ट पेड एवं प्रीपेड), इंटरनेट सेवाएं फिक्स वायरलेस फोनों के माध्यम से, उच्च स्पीड डाटा कार्ड एवं अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी काल सेवाएं सीएसी, वीसीसी/एसीसी कार्डों के माध्यम से प्रदान करना जारी रखा है। एमटीएनएल का उपभोक्ता आधार 2011-12 में 33.87 मिलियन से बढ़कर 2011-12 में 41.51 हो गया है। एमटीएनएल ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय रुपये में 459 मिलियन का कारोबार किया है। पोर्ट लुईस तथा द्वीप में सीडीएमए प्रौद्योगिकी (सीडीएमए 1 x एक्स तथा (वीडीओ) के 110के क्षमता वाले स्विच + 200के क्षमता वाले जीएसएम स्विच संस्थापित किए गए हैं जिन्हें रेडियो नेटवर्क के भाग के रूप में संस्थापित 53 टावरों द्वारा कवर किया गया है। पूरे द्वीप में 10 ग्राहक सेवा केन्द्र तथा एक कॉल सेन्टर कार्यरत है ताकि ग्राहकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सीडीएमए नेटवर्क को मई, 2011 में उन्नयित किया गया। कंपनी मॉरीशस के लोगों को सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर स्थिर, मोबाइल, अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी तथा इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा रही है। एमटीएनएल द्वारा एमटीएमएल में लगभग 20 मिलियन डालर का निवेश किया गया है। उच्च गति डाटा नेटवर्क को सीमित क्षेत्रों से सभी द्वीपों में विस्तारित किया गया। एमटीएनएल मारीशस जीएसएम नेटवर्क के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

वित्तीय निष्पादन

पिछले तीन वर्ष एवं वर्तमान वर्ष (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान वित्तीय सार निम्नानुसार है:

मदें	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक)
सेवाओं से आय	3656	3674	3373	2510
अन्य आय	1402	318	251	172
कुल आय	5058	3992	3624	2682
व्यय	8476	6766	7669	4048
पीबीटी	-3418	-2775	-4044	-3321
निवल लाभ	-2610	-2802	-4109	-3335

अन्य प्रचालकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद एमटीएनएल ने पिछले वर्ष के ₹3673.95 करोड़ के कारोबार की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान ₹3373.52 करोड़, का वित्तीय कारोबार किया। उक्त अवधि के दौरान एमटीएनएल को



मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से ₹4109.78 करोड़ की हानि हुई :

- एमटीएनएल ने 3जी एवं बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम एवं इसकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के प्रयोजन के लिए गए दीर्घावधि अस्थायी ऋण पर ₹949.16 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।
- सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति बीमांकक मूल्यांकन के प्रति ₹1460.09 करोड़ बुक किए गए थे यद्यपि यह राशि वास्तव में नकदी प्रवाह में नहीं आ पाई थी।
- ₹481.44 करोड़ की आमेलित सेवानिवृत्तों की सेवानिवृत्ति लाभों पर एमटीएनएल द्वारा भुगतान किया जाना है।
- प्रति सेकेण्ड प्रशुल्क योजना सहित प्रशुल्क में सामान्य कटौती।
- एमटीएनएल केवल दिल्ली और मुंबई में सेवाएं प्रदान कर रहा है और अपने प्रतिस्पर्धियों जिनकी उपस्थिति अन्य सर्किलों में है, की तरह अखिल भारतीय प्रशुल्क योजनाओं की पेशकश करने में असमर्थ है।
- निजी प्रचालकों के साथ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि।
- उपभोक्ताओं द्वारा लैण्डलाइन सेवा छोड़ा जाना/मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

कंपनी द्वारा अपने प्रचालन में सुधार करने तथा राजस्व में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

- ब्रॉडबैंड तथा उद्यम व्यवसाय पर जोर।
- अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ संसाधनों की साझेदारी से राजस्व के नए स्रोत बनाना।
- नए लैण्ड लाइन ग्राहकों को आकर्षित करने तथा मौजूदा लैण्डलाइन आधार को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्कीमों की शुरुआत।
- जीएसएम तथा ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पर अधिक जोर देना।
- लचीली प्रशुल्क नीतियों की शुरुआत।
- प्रशासनिक तथा प्रचालनात्मक लागत को घटाने के लिए व्यय को युक्तिसंगत बनाना।
- दोषों की देखरेख बारीकी से की जा रही है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार पर बल दिया गया है।
- उपभोक्ता देखभाल केन्द्र में पदों की संख्या में वृद्धि करके तथा संचार हाटों में एकल खिड़की उपलब्ध कराते हुए उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान पर जोर दिया गया है।

तथापि, वर्तमान वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही के वार्षिक परिणामों के अनुसार ₹3335.19 करोड़ की (-) हानि हुई है।

राजस्व आश्वासन

एमटीएनएल में यह सुनिश्चित करने के लिए एक राजस्व आश्वासन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया है कि नेटवर्क पर प्रदर्शित होने वाले बिलों में सही विवरण हो और तदनुसार बिलों की वसूली की जाए।

एक कर्न्वजेन्ट बिलिंग प्रणाली कायम की जा रही है, जिसमें राजस्व आश्वासन का एक महत्वपूर्ण घटक निहित है। एमटीएनएल के आगामी राजस्व आश्वासन प्रयासों में सुधार होने की आशा है। ट्राई ने विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ट्राई के स्वयं के आडीटर पैनल के द्वारा मीटरिंग एवं बिलिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा करवाने को अनिवार्य बनाया है, जो एमटीएनएल द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राजस्व आश्वासन कार्यक्रम को अनुपूरक बनाता है।



नवम्बर, 2012 तक विद्यमान वित्तीय वर्ष के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, एमटीएनएल ने दिल्ली के ब्रॉडबैंड राजस्व में 12.68% की वृद्धि हासिल की है एवं मुम्बई में पिछले वर्ष से तुलनात्मक रूप में निजी प्लेयर्स से कठिन स्पर्धा के बावजूद 5.12% की वृद्धि हासिल की है।

लीज्ड सर्किट एवं उद्यम व्यवसाय का राजस्व दिल्ली में 19.79% एवं मुम्बई में 14.24% तक बढ़ा है। एमटीएनएल ने अपनी ग्राहक सूची में उच्च कोरपोरेट को शामिल किया है। प्रबंधन विकास एवं अनुसंधान (वी स्कूल) के एमटीएनएल एवं वेलीन्गकर संस्थान ने एक संयुक्त प्रेस क्रान्फ्रेन्स में दूरभाष क्षेत्र के लिए दो नए प्रबंधन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अपनी कार्यनीति सहयोग के बारे में सूचित किया। घोषणा पर वी स्कूल एवं एमटीएनएल सीईटीटीएम (दूरसंचार प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन में श्रेष्ठता के लिए केंद्र) भारत सरकार के एक उद्यम के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ मोहर लगा दी गई।

त्वरित राजस्व वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए एमटीएनएल द्वारा कठिन प्रयासों के माध्यम से बकाया राशि को लगातार घटाया है। हाल ही में विभिन्न प्रबंधन बैठकों का आयोजन किया गया एवं आगामी कुछ महीनों में क्रियान्वयन के लिए कुछ कदम प्रक्रिया में हैं, जिसमें राजस्व वास्तविकता कम राईट-आफ पालिसी का कार्यान्वयन, विस्तृत भुगतान क्रियातंत्र, संग्रह प्रक्रिया का सुप्रवाहीकरण एवं समाधान तथा बकाया राशि को आगे भी घटाने के लिए लीज्ड सर्किट डाटा की पर्याप्त बिलिंग शामिल है।

कर्मचारियों की संख्या

31.12.2012 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल में विभिन्न श्रेणियों के कुल 39,183 कर्मचारी थे। कुल कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 7164 है जो कुल कर्मचारियों का 17.99% है। अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या 1368 है जो कुल कर्मचारियों का 3.43% है।

एमटीएनएल कर्मचारियों की संख्या (31.12.2012 तक)

समूह	कुल कार्यरत कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	1002	137	56
ख	4591	583	89
ग	23637	3971	412
घ	10583	2473	811
जोड़	39813	7164	1368

एमटीएनएल शेयरों का कारोबार

एमटीएनएल के शेयर देश में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नै स्टॉक एक्सचेंजों के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। इन शेयरों का भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई तथा बीएसई) में नियमित रूप से कारोबार किया जा रहा है। कंपनी द्वारा जारी किए गए एडीआर न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) में सूचीबद्ध हैं और वहां नियमित रूप से कारोबार किया जाता है।



विकास लक्ष्य / उपलब्धियां – दिल्ली

क्रम सं०	मदें	उपलब्धियां 2011-12	उपलब्धियां 2012-13 (दिसंबर, 2012 तक)
क	स्विचन (हजार लाइनों में)		
i	निवल क्षमता लैंडलाइन	0	0
ii	निवल क्षमता जीएसएम	0	0
iii	निवल क्षमता डब्ल्यूएलएल	0	0
ख	सीधी एक्सचेंज लाइनें (हजार लाइनों में)		
i	कुल	450699	315743
ii	निवल	259451	-272474
ग	टैक्स / टैंडम (हजार लाइनों में)	0	0
घ	पारेषण		
क	एसडीएच प्रणाली		
(i)	एसटीएम-16	5	0
(ii)	एसटीएम-4	5	0
(iii)	एडीएम-1 / एसटीएम-1	14	18
(iv)	टीएमएस-1	40	0
ङ	आप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी. में)	216.37	89.68
च	आप्टिकल फाइबर केबल (फाइबर कि.मी. में)	8911.68	3998.24
छ	आईएसडीएन	-150	-47
ज	प्रतीक्षा सूची	0	0
झ	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	49355	33157
ञ	इंटरनेट कनेक्शन	-600662	-19976
ट	आईपीटीवी उपभोक्ता	3136	109
ठ	वीओआईपी	-273	-193



विकास लक्ष्य/उपलब्धियां-मुंबई

क्रम सं०	मर्दे	उपलब्धियां 2011-12	उपलब्धियां 2012-13 (दिसंबर, 2012 तक)
क	स्विचन (हजार लाइनों में)		
i	निवल क्षमता लैंडलाइन	-106138.00	-1079.00
ii	निवल क्षमता जीएसएम	-300000.00	-225000.00
iii	निवल क्षमता डब्ल्यूएलएल	0.00	0.00
ख	सीधी एक्सचेंज लाइने (हजार लाइनों में)		
i	कुल	302398.00	189071.00
ii	निवल	87701.00	-260232.00
ग	टीएक्स/टैंडम (हजार लाइनों में)	7440	-76660
घ	पारेषण		
क	एसडीएच प्रणाली		
(i)	एसटीएम-16	24	2
(ii)	एसटीएम-4	11	4
(iii)	एडीएम-1/एसटीएम-1	122	40
ड	आप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी. में)	393.76	68.78
च	आप्टिकल फाइबर केबल (फाइबर कि.मी. में)	29567.3	5097.83
छ	आईएसडीएन	-801	-562
ज	प्रतीक्षा सूची	0	0
झ	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	48519	26123
ञ	इंटरनेट कनेक्शन	1037	336
ट	आईपीटीवी उपभोक्ता	131	93
ठ	वीओआईपी	-814	-1779



VIII. 3 आईटीआई लिमिटेड

आईटीआई लिमिटेड वर्ष 1948 में स्थापित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला उपक्रम था जिसका कार्य तत्कालीन सेवा प्रदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग को दूरसंचार उपकरणों की आपूर्ति करना था। इसके साथ आईटीआई ने 1948 में बेंगलोर में प्रचालन करना प्रारंभ किया। जिसे बाद में अन्य क्षेत्रों श्रीनगर में जम्मू एवं कश्मीर (1968), नैनी (1971), रायबरेली (1973) एवं मानकापुर (1984), पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में एवं केरल में पालाक्कड़ (1976) में उत्पादन संयंत्र की स्थापना द्वारा विस्तारित किया गया। विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में उत्पादन संयंत्र की स्थापना का प्रयोजन न केवल उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना था आपूर्ति सामाजिक अवसरचना का विकास करना भी था।

उत्पादन संयंत्र के अतिरिक्त, देशभर में फैले हुए 8 क्षेत्रीय कार्यलयों एवं 27 क्षेत्र कार्यलयों के साथ विपणन प्रभाग एवं बीएसएनएल और एमटीएनएल के जीएसएम उपकरणों की बैनाती के लिए मुम्बई, पुणे एवं बेंगलोर स्थित तीन परियोजना प्रभागों, आईटीआई के सभी उत्पादों की अनुरक्षण सहायता एवं आदपोपांत कार्य परियोजना के क्रियान्वयन तथा संस्थान के लिए बेंगलोर में आईटीआई के पास एक समर्पित नेटवर्क प्रणाली इकाई है।

कंपनी ने वर्ष 2011-12 के लिए ₹922 करोड़ की कुल बिक्री की है। यद्यपि पिछले वर्ष 2010-11 की तुलना में कम है। पिछले वर्ष की तुलना में प्रचालनात्मक नुकसान को कम किया गया है।

उपर्युक्त राजस्व का मुख्य योगदान व्यवसाय के विविध क्षेत्रों से आया है जिसका आईटीआई द्वारा प्रभावी रूप से अनुसरण एवं संयंत्रों द्वारा क्रियान्वयन किया किया। पलक्कड़ इकाई गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर-57) परियोजना एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी) परियोजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए तीन सा0क्षे9अ0 के सहायता संघ के एक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है, अन्य सदस्य बीईएल तथा ईसीआईएल है। इन से परियोजनाओं की लागत ₹1,400 करोड़ है। इन परियोजनाओं के विस्तारण के तौर पर, आईटीआई अन्य आदेश की प्रतीक्षा में है जहां आईटीआई का अंश काडों को बनाने के लिए लगभग ₹1,300 करोड़ होना अनुमानित है, जिसे तीन वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाना है।

आईटीआई ने व्यवसाय में सुधार विशेषकर ब्राड बैंड हिस्से में, के लिए जीपीओ एन उपकरण के विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकी के अंतरण संबंधी करार किया है। 5 दिसंबर, 2011 को नई दिल्ली में, श्री कपिल सिब्बल, माननीय केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा मानव संसाधन मंत्री ने आईटीआई को जीपीओ एन उत्पाद के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण के करार को सौंप दिया।

आईटीआई दल आईटी खड के रूप में भी परिणाम प्राप्त कर रहा है। कई आई परियोजनाएं आठ क्षेत्रीय कार्यलयों (क्षे0 का0) के माध्यम से क्रियान्वित जिसमें तमिलनाडु इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के लिए एक्सेलेरेटेड पावर डेवलेप्मेंट एवं रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी), महाराष्ट्र एवं मिजोरम राज्य के स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क इएसडब्ल्यूएन) भी शामिल है।

आईटीआई नैनी संयंत्र ने 6 मेगावाट क्षमता की नई एसपीवी माड्यूल विनिर्माण लाईन को स्थापित किया है। मुख्य उपकरण जैसे सन सिम्येलूटर, लेमीनेटर, सोलर सेल टेसटर एवं आर एफआईडी सिस्टम को सोलर जिग्स, उपसाधनों एवं निरीक्षणों प्रणाली के अंतर-विभागीय विकास में संस्थापित कर दिया गया है।



मिशन/दृष्टि

दूरसंचार उत्पादों में अवधारण, डिजाइन, विनिर्माण एवं आपूर्ति में और स्टेट-ऑफ-दी-आर्ट टेक्नालोजी पर आधारित समाधान में नेतृत्व प्राप्त करना।

पूंजीगत ढांचा :

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹700 करोड़ थी। इस तारीख को प्रदत्त शेयर पूंजी ₹588 करोड़ थी (₹10/- प्रत्येक मूल्य के ₹288 करोड़ के इक्विटी शेयर एवं ₹100 प्रत्येक मूल्य के ₹300 करोड़ के अधिमानी शेयर)। 31 मई, 2011 की स्थिति के अनुसार इक्विटी में केन्द्र सरकार का शेयर प्रतिशत 92.87% है।

वित्तीय एवं कुल बिक्री

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बिक्री	लाभ (₹ करोड़ में) (घाटा)
2009-10	4660	(459.00)
2010-11	2139	(358.00)
2011-12	922	(370.00)
तिमाही-1 (2012-13)	134	(105.00)

महत्वपूर्ण क्रियाकलाप/घटनाएं

- क. आईटीआई लिमिटेड की 62-वीं वार्षिक आय बैठक दिनांक 28 सितंबर, 2012 को तमिल संगम, बैंगलोर में आयोजित की गई।
- ख. आईटीआई पालाक्कड के मध्यम साईज इंजीनियरिंग उद्योग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, केरल से उद्योग सुरक्षा में प्रथम पुरस्कार एवं केरल सरकार, फैक्ट्रीज एवं बायलर्स विभाग से भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
- ग. आईटीआई लिमिटेड ने 17, सितंबर, 2012 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक समारोह के समय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खर्गे से प्रतिष्ठित "राष्ट्रीय सुरक्षा" पुरस्कार प्राप्त किया।
- घ. जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों का, जिसमें आईटीआई लिमिटेड भी शामिल है, समझौता ज्ञापन निष्पादन का जायजा लेने के प्रयोजन से राज्य सभा सदस्य, श्री तिरुची शिवा की अध्यक्षता में विभाग की संसदीय स्थायी समिति ने 9 जून से 12 जून, 2012 तक श्रीनगर संयंत्र का दौरा किया।
- ङ आईटीआई में कार्मिकों द्वारा अत्यन्त उत्साह के साथ 66वें "स्वतंत्रता दिवस" मनाया गया।



- च. श्री एन. के. जोशी, उप महानिदेशक – एस यू, डीओटी ने 13 जून, 2012 को श्रीनगर संयंत्र का दौरा किया।
- छ. आईटीआई मानकपुर संयंत्र ने 2008 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, श्रम देवी पुरस्कार तथा 2009 के लिए श्रम देवी पुरस्कार प्राप्त किया।
- ज. श्री ओ. पी. रावत (अ0भा0से0)ए सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई)ए ने 27 अप्रैल, 2012 को आईटीआई के कारपोरेट कार्यालय एवं बैंगलोर संयंत्र का दौरा किया।
- झ. आईटीआई लिमिटेड ने 10 अप्रैल से 17 अप्रैल 2012 तक तीसरा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम मनाया। एक सप्ताह का समारोह मनाया गया जिसमें आईटीआई द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों की जानकारी दी गई।
- ञ. विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस, 2012 को संपूर्ण आईटीआई में 17.5.2012 को मनाया गया एवं अंतर्राष्ट्रीय दूरचार इकाई (आईटीयू) द्वारा आईसीटी में महिलाएं एवं लड़कियां विषय का चयन किया गया था।
- ट. आईटीआई लिमिटेड के सभी उत्पादन संयंत्र एन वीटीक्यू सी, बैंगलोर से आईएसओ 9001: 2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का पुनः प्रमाणन प्राप्त कर चुका है।
- ठ. श्री ए0के0 एंटनी जी, माननीय रक्षा मंत्री ने 29 मार्च, 2012 की 1 अप्रैल 20.12 तक नई दिल्ली में आयोजित डीईएफई एक्स पी ओ 2012 में आईटीआई स्टाल तथा रक्षा क्षेत्र से संबंधित शोकेस उत्पादों तथा सेवाओं का अवलोकन किया।
- ड. गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की पहचान के लिए डिजिटल डाटाबेस तैयार करने की वचनबद्धता के लिए 14 फरवरी, 2012 को सामाजिक आर्थिक एक जाति जनगणना (एसईसीसी) करार पर पलक्कड संयंत्र ने सार्वजनिक क्षेत्र इकाई के साथ एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर किए।
- ढ. आईटीआई ने 12 मार्च, 2012 तक को वर्ष 2012-13 को भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- ण. श्री कपिल सिब्बल जी, माननीय केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन मंत्री ने 6 फरवरी, 2012 को बैंगलोर संयंत्र का दौरा किया एवं बैंगलोर संयंत्र में नई उत्पादन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।
- त. श्री आर चंद्रशेखर, सचिव, दूरसंचार विभाग ने 6 फरवरी, 2012 को बैंगलोर आईटीआई संयंत्र का दौरा किया।

क्रियान्वयन के अंतर्गत परियोजनाएं/उत्पाद

- राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण (एनपीआर) एवं सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) परियोजनाएं : गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आईटीआई सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों के तीन सहायता संघों में से एक (मैसर्स बीईएल एवं मैसर्स ईसीआईएल सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों के अलावा) के रूप में आईटीआई का चयन किया गया है। इस कार्य में नागरिक आंकड़े संग्रहित करना जिसमें पहचान पत्रों के जारी होने के पश्चात



बायोमैट्रिक भी शामिल है, जो क्रियान्वयन के अंतर्गत है। उपर्युक्त सहायता संघ ग्रामीण विकास मंत्रालय की एसईसीसी परियोजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है। इस परियोजना में देश के सभी नागरिकों का अतिरिक्त जनसंख्या के आंकड़े संग्रह करना भी शामिल है।

- सौर परियोजना : पर्यावरणीय दिक्कतों से निजात पाने के लिए भारत सरकार ऊर्जा संसाधनों के नवीनीकरण को अपनाने पर विशेष तौर पर जोर दे रही है जिसमें सोलर भी शामिल है। आईटीआई के पास सोलर समाधानों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञ एवं अनुभव है। आईटीआई नैनी संयंत्र 40 मेगावाट क्षमता के लिए सोलर मोड्यूल को एकत्र करने एवं परीक्षण करने के लिए अपेक्षित उपकरणों को संस्थापित करने की योजना बना रहा है।
- बैंकिंग स्वायत्त उत्पाद : आईटीआई मानकपुर संयंत्र बैंकिंग स्वायत्त उत्पादों वाले विनिर्माण का संस्थापन कर चुका है एवं उत्पादन जैसे गणना करने वाली मशीन, नोट बन्डलिंग मशीन एवं जाली नोट खोजकर्ता उत्पादन के प्रक्रियाधीन है।
- जीएसएम : आईटीआई, मैसर्स एल्काटेल – लूसेन्ट (बीएसएनएल–परिचम क्षेत्र एवं एमटीएनएल) के साथ मैसर्स हवाई (बीएसएनएल–दक्षिण क्षेत्र) के प्रौद्योगिकी सहायोग से बीएसएनएल एल पश्चिम क्षेत्र एवं दक्षिण क्षेत्र एवं एमटीएनएल – मुम्बई में जीएसएम परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। बीएसएनएल/एमटीएनएल नेटवर्कों तथा अन्य निजी प्रचालकों के नेटवर्कों के विस्तारण के लिए जीएसएम– 3जी उपकरणों की विशाल मांग प्रत्याशित है। आईटीआई आंतरिक बीएसएस नेटवर्क के विनिर्माण की योजना बना रहा है।
- जी–पोन : जी पोन (गीगाबाइट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क) अपने कम लागत प्रचालन, कम बिजली आवश्यकता एवं नेटवर्क की आसानी से तैनाती के कारण एक उभरती हुई पारेषण प्रौद्योगिकी है। एनओएफएन, एनएफएस एवं अन्य परियोजनाओं से विशाल प्रत्याशित है। आईटीआई मैसर्स एलफीयन, अमेरिका की प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बीएसएनएल एवं एमटीएनएल का एक मुख्य आपूर्तिकर्ता रहा है। आईटीआई अब मैसर्स सी–डाट के साथ टीओटी करार कर चुका है एवं सीडाट प्रौद्योगिकी के प्रयोग से राय बरेली संयंत्र में जी–पोन उपकरणों के विनिर्माण में घटक स्तर की योजना में कुछ ही देती है। यह भारत में देशी विनिर्माण को बढ़ावा देगा।

भावी दृष्टिकोण

नई पहल का संक्षिप्त मूल्यांकन

- कैरियर ईथरनेट : कैरियर ईथरनेट इंटरनेट और व्यवसाय संचार के लिए उच्च बैंडविड्थ पैकेट अभिगम हेतु अगली पीढ़ी की परिवहन प्रौद्योगिकी है। आईटीआई ने बीएसएनएल में प्रत्याशित निविदा के लिए एक प्रौद्योगिकी भागीदार की पहचान कर ली है। एनएफएस (स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क) परियोजना की कैरियर ईथरनेट के लिए विशाल आवश्यकता होना संभावित है।
- अगली पीढ़ी के नेटवर्क : अगली पीढ़ी का नेटवर्क (एनजीएन) सेवाओं अर्थात् वॉइस, डेटा और वीडियो को पैकेटों में संपुटीकरण द्वारा प्रदान करने में सक्षम एक सॉफ्ट स्विच आधारित दूरसंचार नेटवर्क है। स्विच आर्किटेक्चर पर आधारित आईपीटीएक्स उपकरण श्रेणी– IV ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज और श्रेणी V स्थानीय एक्सचेंज के विनिर्माण की योजना है। बीएसएनएल और एमटीएनएल ग्राहकों को नई सेवाएं प्रदान करने



के क्रम में अपने टीडीएम स्विचिस को एनजीएन में स्थानान्तरित करने की योजना है जो बाजार को बढ़ावा देगा।

- डाटा केन्द्र : आईटीआई पहले ही बेंगलूर में पीपीपी मण्डल पर टियर 3+स्टेट ऑफ आर्ट डाटा केन्द्र संस्थापित कर चुके हैं। वर्तमान में यह डाटा केन्द्र को "लोकेशन सर्विसेज" के लिए आरक्षित है। सरकारी संस्थाओं एवं सा0क्षे0उ0 द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं जैसे पीआर, यूआईडी एआई एवं अन्य परियोजनाओं। योजनाओं में डाटा संचयन के लिए सरकारी क्षेत्र में विस्तृत संभावना को ध्यान में रखते हुए डाटा केन्द्र के बाजार में बड़ा कार्यक्षेत्र विद्यमान है।
- आईटी परियोजनाएं : आईटीआई पहले ही महाराष्ट्र, ओडिशा एवं मिजोरम की स्वान (राज्य वार क्षेत्र नेटवर्क) को क्रियान्वित कर चुका है। आईटीआई तमिलनाडु राज्य को विद्युत परियोजना एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को भी क्रियान्वित कर रहा है। ई-टेन्डरिंग आईटीआई द्वारा क्रियान्वित की जा रही अन्य बड़ी परियोजना है।
- रक्षा उत्पाद/परियोजनाएं : आईटीआई पहले ही रक्षा क्षेत्र को टेलीकॉम उपकरणों जैसे एनक्रिप्शन उपकरण, टेलीफोनों, रगेडईज्ड टेलीफोन एक्सचेंज आदि की आपूर्ति कर चुका है। आईटीआई ट्रनकी आधार पर भारतीय सेवा अर्थात (एएससीओएन) चरण-I, II, III को संचार नेटवर्क का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर चुका है एवं एएमसी के तहत परियोजना का अनुरक्षण भी कर रहा है। एएससीओएन चरण-IV के लिए आदेश भी प्रत्याशित है।

रक्षा उपखण्ड में उत्पादन प्रोटफोलियों को संवधित करने के लिए आईटीआई द्वारा निम्नलिखित उत्पादों/ प्रौद्योगिकि के संबंध में योजना तैयार की जा रही है :

- सैटेलाईट ट्रांस -रिसिवर एवं अभिगम उपकरण।
- राडार एवं सहायक उपकरण।
- नौपरिवहन प्रणाली एवं उपकरण।
- मिसाइल प्रणाली एवं उपकरण।
- इलैक्ट्रॉनिक फ्यूज्स।



वर्ष 2011-12 (अप्रैल 2011-मार्च, 2012) के दौरान वास्तविक उपलब्धियों का ब्योरा, वित्त वर्ष 2012-2013 के पहले नौ महीनों (अप्रैल से दिसंबर, 2012) के दौरान कार्यनिष्पादन तथा जनवरी-मार्च 2013 की प्रत्याशित उपलब्धि निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	उत्पाद / परियोजनाएं	2011-12 में उपलब्धि	वित्त वर्ष 2012-13 के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर, 2012) के दौरान उपलब्धि	जनवरी-मार्च, 2013 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धि
1	रेडियो	17.50		
2	सोलर पैनल	6.87	22.87	1.00
3	एसएसटीपी / आईपी टीएक्स	12.28	6.01	10.00
4	सी-डॉट उत्पाद तथा अतिरिक्त उत्पाद	4.57	1.63	1.0
5	विभिन्न उत्पाद / कन्ट वि०	4.15	3.07	2.0
6	पीसीएम एमयूएक्स	3.84	0.43	1.50
7	डीडब्ल्यूडीएम	9.21		
8	एमएलएलएन	-		40.00
9	जीएसएम_डब्ल्यूजैड (बीटीएस, आरटीटी सेक्टर सहित)	32.70	11.22	50.00
10	जीएसएम-एमटीएनएल	18.44		5.0
11	जीएसएम -एम जेड	13.64	13.20	3.0
12	डब्ल्यूएलएल - इन्फ्रा	- 14.88		
13	डाटा सेंटर	10.69	8.89	1.50
14	एडीएसएल-सीपीई	5.13	3.00	5.00
15	विविध उत्पाद	34.37	16.43	10.00
16	रक्षा / एस्कॉन	52.20	28.38	15.00
17	ओसीबीएमसी व्यवसाय	47.14	26.91	20.00
18	सिम कार्ड्स / यूसिम / स्मार्ट कार्ड	0.28	9.38	50.00
19	एनपीआर / सेक	438.08	291.26	200.00
20	एसएमपीएस	3.76	1.22	1.00
21	जी-पीओएन	24.24	16.29	25.00
22	आरओएस / सीसीओ / आईटी	197.89	79.64	125.00
	जोड़	922.10	539.83	566.00



मानव संसाधन विकास (एचआरडी) :

उद्यम ने 1.1.2013 तक लगभग 8717 कार्मिकों (अधिकारी – 4246 एवं कर्मचारी— 4491) को रोजगार दिया। 11.75% कार्मिकों के पास इंजीनियरों, वित्त, मानव संसाधन एवं चिकित्सा के क्षेत्र में व्यवसायिक योग्यताएं थी; 11.55% के लगभग स्नातक एवं स्नातकोत्तर थे, 16.94% डिप्लोमा प्राप्तकर्ता थे एवं 37.56% व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्तकर्ता थे। लगभग 48% कार्मिक 51 एवं उससे ऊपर के वर्षों के आयु कोष्ठक में आते हैं।

1 जनवरी, 2013 तक 8717 कार्मिक संख्या थी एवं विवरण निम्नानुसार है :-

समूह	कुल कार्यकारी संख्या	अ0जा0	अ0 ज0 जा0	महिलाएं	विकलांग व्यक्ति
अधिकारी	4226	668	47	398	33
गैर अधिकारी	4491	814	32	294	76
कुल	8717	1482	79	692	109



आईटीआई ने वर्ष 2012-13 के लिए सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। श्री आर चन्द्रशेखर, अध्यक्ष दूरसंचार विभाग, दूरसंचार आयोग एवं श्री के0एल0 धीन्गरा, सीएमडी आईटीआई लिमिटेड ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



VIII. 4 टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड

टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की स्थापना, नेतृत्व बनाए रखने और सतत आधार पर अद्यतन प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने हेतु समुचित विपणन कार्यनीतियाँ विकसित करके विदेशी एवं घरेलू बाजारों में अपने प्रचालनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ, दिनांक 10.03.1978 को की गई थी। इसका लक्ष्य ब्रॉडबैंड मल्टीमीडिया कंजेंट सर्विस नेटवर्कों पर ध्यान केन्द्रित करके लीगेसी नेटवर्कों का उन्नयन करना और साइबर पार्क/साइबर शहरों में विविधता लाना, टीसीआईएल की निपुण तकनीकी जन-शक्ति का उपयोग करते हुए दूरसंचार बिलिंग ग्राहक सुविधा मूल्यवर्धित सेवाओं; ई-गवर्नेंस नेटवर्कों और दूरसंचार क्षेत्रों में सिस्टम्स इंटीग्रेटर के रूप में आईटी के नए क्षेत्रों में प्रवेश करना, विदेशों में दूरसंचार एवं आईटी प्रशिक्षण अवसंरचना को विकसित करना और विभिन्न राज्यों में स्वान परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी करना है।

टीसीआईएल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में दूरसंचार, आईटी और तकनीकी परामर्शी सेवा क्षेत्र में, भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाला, एक अनुसूची का, एक मिनी रत्न, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसके पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय नई दिल्ली में हैं।

परिकल्पना/उद्देश्य

कंपनी की परिकल्पना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बेहतर अवसरों के माध्यम से विश्वभर में आईसीटी, विद्युत और अवसंरचना के क्षेत्रों में समाधान प्रदान करने में उत्कृष्टता प्राप्त करना है।

कंपनी का उद्देश्य विश्वभर में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र में टर्नकी आधार पर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी उत्कृष्टता प्राप्त करते हुए अग्रणी बने रहना और विशेषकर, उच्च तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करके विविधता लाना है।

औद्योगिक/कारोबार प्रचालन

टीसीआईएल भारत और विदेशों में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में टर्नकी परियोजनाएं चला रहा है। कंपनी की कोर क्षमता कोर एवं एक्सेस नेटवर्क परियोजनाओं, दूरसंचार सॉफ्टवेयर, स्विचिंग एवं पारेषण प्रणालियों, सेलुलर सेवाओं, ग्रामीण दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर आधारित बैकबोन पारेषण प्रणाली, आईटी एवं नेटवर्किंग समाधान, साइबर शहरों, दूरसंचार परिसरों आदि हेतु ई-गवर्नेंस, सिविल एवं वास्तुकला संबंधी परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में है। कंपनी ने वास्तुकला परामर्शी और सिविल विनिर्माण क्षेत्र में भी प्रवेश किया है।

कंपनी अपने 11 एककों/शाखाओं के माध्यम से प्रचालन करती है। इसके भारती हैक्सकॉम लि., यूनाइटेड टेलीकॉम लि., टीसीआईएल बैल साउथ लिमिटेड और टीसीआईएल साउदी कंपनी लि., नामक 4 संयुक्त उद्यम भी हैं। साथ ही, कंपनी की इंटेलेजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लि., टीसीआईएल ओमान एलएलसी एवं तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशन्स लि. नामक 3 सहायक कंपनियाँ भी हैं।



2009-10 से 2011-12 के दौरान कंपनी का वास्तविक निष्पादन निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

मुख्य सेवाएं/भाग	2011-12	2010-11	2009-10
दूरसंचार	497.92	477.18	462.13
सिविल	182.87	373.72	270.64
कुल	680.79	850.90	732.77

महत्वपूर्ण मुद्दे

कंपनी ने डब्ल्यूएलएल फाइबर से लेकर होम साइबर पार्क, साइबर सिटी ई-मेडिसिन, ई-शिक्षा तथा सिविल निर्माण कारोबार जैसे उच्च तकनीकी क्षेत्रों में विस्तार किया है।

निष्पादन विशेषताएं

वैश्विक मंदी के बावजूद, टीसीआईएल ने दृढ़ निश्चय के साथ नई चुनौतियों का सामना किया और अपने संपूर्ण निष्पादन को बनाए रखा तथा ₹680.79 करोड़ का कारोबार किया। पिछले वर्ष कर पूर्व एकल आधार पर लाभ ₹19.01 करोड़ था जो बढ़कर ₹19.16 करोड़ हो गया है।

मानव संसाधन प्रबंधन

31.03.2012 तक उद्यम के पास 915 नियमित कर्मचारी कार्यरत थे। कंपनी में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। पिछले 3 वर्षों के लिए श्रेणी वार नियुक्ति की स्थिति नीचे प्रस्तुत है:

विवरण	31.12.2012		2011-12	2010-11	2009-10
	स्वीकृत	कार्यरत			
कार्यपालक (संख्या)	418	418	412	373	370
गैर-कार्यपालक	490	490	503	472	480
कुल कर्मचारी	908	908	915	845	850

पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर, 2012) के दौरान उपलब्धियां, गतिविधियां तथा निष्पादन

वर्ष 2012-13 के दौरान, दिसंबर, 2012 तक, कंपनी ने ₹287.00 करोड़ से अधिक मूल्य के ऑर्डर प्राप्त किए। वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए मुख्य आर्डर निम्न प्रकार है :-

- ₹18.00 करोड़ के टर्नकी आधार पर सऊदी इलैक्ट्रिक कंपनी हेतु इलैक्ट्रिक केबल बिछाना
- ₹15 करोड़ की लागत से मीरा रोड, ठाणे, महाराष्ट्र में ईएसआईसी डिस्पेंसरी का निर्माण



- मॉरिशस में ₹5.59 करोड़ की लागत से सिविल इंजीनियरिंग तथा केबल कार्य हेतु विविध ऑर्डर ठेके।
- नेपाल में ₹7.78 करोड़ के एनसीईएलएल प्राइवेट लिमिटेड को ओएफसी तथा अन्य उपसाधनों की आपूर्ति।
- ₹38 करोड़ की लागत के डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल की आपूर्ति तथा संस्थापन हेतु बीएसएनएल से अग्रिम निष्पादन आदेश।
- ₹10.08 करोड़ की बीएसएनएल से एनआईबी-11 पी-3 वर्ष-2 परियोजना हेतु एएनसी का कार्य तथा ₹16.81 करोड़ की एड-ऑन परियोजना।
- ₹9.75 करोड़ की नथवाड़ा में बीटीफिकेशन परियोजना के अंतर्गत परिक्रमा में सीवर परियोजना तथा जन-सुविधाएं स्थानांतरित करने का कार्य।
- ₹16.95 करोड़ का अपराध तथा अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) का क्रियान्वयन।
- ₹1.90 करोड़ की लागत की अफगानिस्तान टेली मैडिसिन परियोजना का 2 वर्ष का वार्षिक अनुरक्षण ठेका।
- ₹4.17 करोड़ तथा ₹13.81 करोड़ का कार्य आंध्र प्रदेश ट्रांसको (आंध्र प्रदेश) में सौंपना।
- नेपाल में, टीसीआईएल को ₹4.59 करोड़ का एनसीईएलएल ओएफसी परियोजना हेतु कार्य सौंपा गया है।
- केएसए में, टीसीआईएल को ₹3.87 करोड़ का मोबाइली-एस्टिसलाट रियाध से फाइबर इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के लिए काम सौंपा गया है।
- टीसीआईएल को जीईटीसीओ परियोजना के लिए ₹2.15 करोड़ का ओपीजीडब्ल्यू केबल का सर्वेक्षण, योजना, डिजाइन/इंजीनियरिंग, आपूर्ति, इरेक्शन जांच तथा प्रारंभ करने का काम सौंपा गया।
- टीसीआईएल को जिला धमतरी में ₹18.767 करोड़ की लागत का पैकेज संख्या एमएमडीएमटी-01,02,03,04,05,06 हेतु सड़क निर्माण का काम सौंपा गया है।
- टीसीआईएल को ₹3.51 करोड़ का उत्तर प्रदेश पुलिस, लखनऊ के लिए सीसीटीवी सिस्टम की आपूर्ति का काम सौंपा गया है।
- टीसीआईएल को झारखंड पुलिस के लिए सीसीटीएनएस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ₹3.63 करोड़ का राज्य परियोजना मॉनिटरिंग का काम सौंपा गया है।
- सउदी अरब में मोबाइली एटिसलाट, रियाध द्वारा ₹4.13 करोड़ का कार्य दिया गया।


कम्पनी ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹680.79/- करोड़ का कारोबार किया और इसके प्रति ₹8.03 करोड़ का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2012-13 के प्रथम 6 महीनों के दौरान लाभ कारोबार की राशि क्रमशः ₹1.68 एवं ₹278.47 करोड़ था।

जनवरी-मार्च, 2013 के महीनों के लिए प्रत्याशित उपलब्धियां :

- टीसीआईएल को 1.2 मीटर सैटेलाइट एंटीना (केयू बैंड में) के साथ 4450 डीएसपीटी, सौर फोटोवोल्टेक पैनल तथा उपसाधनों की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया है। इस परियोजना में, सामग्री को ए, बी,सी नामक तीन विभिन्न पैकेजों में विभाजित किया गया है, जिन्हे भारत की विभिन्न दूरस्थ जगहों पर भेजा जाना है। निष्पादन प्रक्रिया प्रगति पर है तथा 31 मार्च, 2013 तक लागू कर दी जाएगी।



- इस तिमाही के दौरान ₹83.7 करोड़ की गांधीनगर तथा अहमदाबाद (एमईजीए) परियोजना हेतु मेट्रो लिंक एक्सप्रेस शुरू की जाने की संभावना है।
- तिमाही के दौरान ₹1119 करोड़ की परियोजना, सीअरा लिओन में तीव्र गति से शुरू होने की संभावना है।



भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार डा० सैम पित्रोदा द्वारा 31.7.2012 को "लोक सूचना अवसरचना एवं नव निर्माण" विषय पर विशेष व्याख्यान दिया।



IX. सांख्यिकी परिशिष्ट

	पृष्ठ
सारणी 1 दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख झलकियाँ	127
सारणी 2 प्रति सौ व्यक्ति टेलीफोन—शहरी/ग्रामीण (टेलीघनत्व) 31 मार्च एवं दिसम्बर'12 की स्थितिनुसार	128
सारणी 3 टेलीफोनों की संख्या (वायर लाइन और वायर लेस) 31 मार्च'12 एवं 31 दिसम्बर'12 की स्थितिनुसार	129
सारणी 4 31 मार्च 2012 की अवस्थितिनुसार कर्मचारियों की संख्या — अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्वक सैनिक (शारीरिक दृष्टि से शक्त और अशक्त) और महिलाएं	130
सारणी 5 31 मार्च 2012 की अवस्थितिनुसार के अशक्त कर्मचारियों की संख्या	130



सारणी - 1
दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख झलकियाँ

क्र. सं.	विवरण	अंत में स्थिति						के दौरान वृद्धि प्रतिशत			
		मार्च '12	नवम्बर '12	दिसम्बर '11	दिसम्बर '12	माह	वर्तमान वर्ष	वार्षिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	कुल	9513.46	9214.75	9265.48	8955.08	-2.82%	-5.87%	-3.35%			
	वॉयरलईन	321.71	308.69	326.85	307.87	-0.27%	-4.30%	-5.81%			
	वॉयरलैस	9191.75	8906.06	8938.63	8647.21	-2.91%	-5.92%	-3.26%			
1	फोन (लाख में)	1302.71	1298.04	1289.17	1297.21	-0.06%	-0.42%	0.62%			
	निजी	8210.75	7916.71	7976.31	7657.87	-3.27%	-6.73%	-3.99%			
	ग्रामीण	3308.29	3437.40	3153.90	3385.92	-1.50%	2.35%	7.36%			
	शहरी	6205.17	5777.35	6111.58	5569.16	-3.60%	-10.25%	-8.88%			
	कुल	78.66%	75.55%	76.86%	73.34%	-2.93%	-6.76%	-4.58%			
2	टेलीघनत्व	10.77%	10.64%	10.69%	10.62%	-0.19%	-1.39%	-0.65%			
	निजी	67.89%	64.91%	66.17%	62.72%	-3.37%	-7.62%	-5.21%			
	ग्रामीण	39.26%	40.54%	37.52%	39.90%	-1.58%	1.63%	6.34%			
	शहरी	169.17%	155.40%	167.46%	149.55%	-3.76%	-11.60%	-10.70%			
	सार्वजनिक	13.69%	14.09%	13.91%	14.49%	-	-	-			
	निजी	86.31%	85.91%	86.09%	85.51%	-	-	-			
	ग्रामीण	34.77%	37.30%	34.04%	37.81%	-	-	-			
	शहरी	65.23%	62.70%	65.96%	62.19%	-	-	-			
4	स्विचन क्षमता (लाख में)	1379.11	1368.78	1382.05	1368.90	0.01%	-0.74%	-0.95%			
5	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (बी.पी.टी.)	577131	581572	576463	581602	0.01%	0.77%	0.89%			
6	पीसीओ (लाख में)	12.41	10.82	13.54	10.62	-1.85%	-14.42%	-21.57%			
7	ओएफसी रुट कि.मी.	714367	720101	708052	721541	0.20%	1.00%	1.91%			
8	टेक्स लाइन (लाख में)	110.48	110.48	110.48	110.48	0.00%	0.00%	0.00%			

प्रति 100 व्यक्ति टेलीफोन-शहरी / ग्रामीण (टेलीघनत्व) 31 मार्च एवं दिसम्बर'12 की स्थितिनुसार

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	टेली घनत्व						टेलीफोन							
		समग्र		शहरी		ग्रामीण		समग्र		शहरी		ग्रामीण			
		मार्च'12	दिसम्बर'12	मार्च'12	दिसम्बर'12	मार्च'12	दिसम्बर'12	मार्च'12	दिसम्बर'12	मार्च'12	दिसम्बर'12	मार्च'12	दिसम्बर'12		
1	आंध्रप्रदेश	80.87	76.88	189.26	169.97	39.21	41.04	69188451	66197540	44953653	40678961	24234798	25518579	35.03%	38.55%
2	असम	46.61	46.50	148.54	136.38	28.35	30.18	14437929	14533025	6991653	6547733	7446276	7985292	51.57%	54.95%
3	बिहार	48.90	46.53	196.24	170.32	25.58	26.90	64091344	61580358	35145945	30854740	28945399	30725618	45.16%	49.90%
4	गुजरात	91.13	85.19	145.50	133.70	53.89	51.64	55152783	52067098	35798520	33408952	19354263	18658146	35.09%	35.83%
5	हरियाणा	89.42	76.72	153.96	116.44	55.92	55.76	23150186	20099216	13619554	10537036	9530632	9562180	41.17%	47.57%
6	हिमाचल प्रदेश	120.68	102.76	469.57	336.30	76.76	73.08	8279632	7098381	3601611	2619811	4678021	4478570	56.50%	63.09%
7	जम्मू और कश्मीर	54.82	58.41	119.52	118.45	30.84	35.98	6511147	7001425	3839010	3681530	2672137	3139895	41.04%	44.85%
8	कर्नाटक	97.22	91.26	185.62	170.94	44.08	42.92	58405069	55233315	41867248	39075369	16537621	16157946	28.32%	29.25%
9	केरल	106.61	100.76	237.08	212.43	61.94	62.59	37205908	35339777	21102076	18978331	16103632	16361446	43.28%	46.30%
10	मध्य प्रदेश	53.81	52.23	130.38	114.15	25.90	29.51	52761099	51788859	34149159	30384149	18611940	21404710	35.28%	41.33%
11	महाराष्ट्र	77.19	72.62	124.23	112.21	52.03	51.19	73115412	69379818	41011076	37652194	32104336	31727624	43.91%	45.73%
12	पूर्वोत्तर*	65.72	66.53	153.90	149.59	37.38	39.62	8770690	8956392	4995729	4927441	3774961	4028941	43.04%	44.98%
13	उड़ीसा	65.84	59.70	216.24	167.62	35.11	37.43	27081758	24712145	15091434	11870503	11990324	12841642	44.27%	51.96%
14	पंजाब	113.13	101.92	180.53	152.90	64.90	64.82	33396037	30369488	22228745	19190038	11167292	11179450	33.44%	36.81%
15	राजस्थान	72.96	66.31	165.30	149.04	43.86	42.81	50324361	47656665	27321713	24956027	23002648	22700638	45.71%	47.63%
16	तमिलनाडु*	116.61	109.64	164.40	147.35	56.20	60.46	80869853	76419045	63655455	58129258	17214398	18289787	21.29%	23.93%
17	उत्तरप्रदेश-(पूर्व)	60.93	56.20	161.32	140.36	31.98	31.79	76346581	73038477	42101240	40154507	34245341	32883970	44.86%	45.02%
18	उत्तरप्रदेश-(पश्चिम)*							54434197	49111744	35409134	28427154	19025063	20684590	34.95%	42.12%
19	पश्चिम बंगाल*	61.52	56.85	178.63	150.82	42.05	41.19	46953522	43670341	19441618	16555259	27511904	27115082	58.59%	62.09%
20	कोलकाता	172.22	155.10	#	#	#	#	26172986	23761910	25271422	22793606	901564	968304	3.44%	4.08%
21	दिल्ली	238.59	220.00	#	#	#	#	45402224	42762913	43626089	40583614	1776135	2179299	3.91%	5.10%
22	मुम्बई	183.52	159.57	#	#	#	#	36294637	34729704	39294637	34729704	0	0	0.00%	0.00%
	अखिल भारत	78.66	73.34	169.17	149.55	39.26	39.90	951346006	895507626	620516921	556915917	330829085	338591709	34.77%	37.81%

नोट: उत्तरप्रदेश (पूर्व) एवम् (पश्चिम) की जनसंख्या के अलग आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, इनकी टेलीघनत्व संयुक्त रूप परिकल्पित की गई हैं। 1. झारखण्ड सम्मिलित, 2. छत्तीसगढ़ सम्मिलित, 3. पूर्वोत्तर-1 व II सम्मिलित, 4. चेन्नई सम्मिलित 5. उत्तराखण्ड सम्मिलित, 6. अण्डमान व निकोबार सम्मिलित। # कोलकाता, दिल्ली और मुम्बई सर्विस क्षेत्रों के लिए जनसंख्या के ग्रामीण-शहरी अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत: भारत वे राज्यों की जनसंख्या अनुमान वर्ष 2001-26, भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय से। सरकारी क्षेत्र (बीएसएनएल व एमटीएनएल) और निजी क्षेत्र (ऑस्पी-वॉयलार्ईन, डबलयूएलएल व जीएसएम और सीओएसआई-निजी जीएसएम) उपभोक्ता आंकड़े हेतु

टेलीफोनों की संख्या 31 मार्च'12 एवं 31 दिसम्बर'12 की स्थितिनुसार

क. सं.	सेवा क्षेत्र	वॉयर लाईन (फिक्सड) फोन						वॉयरलेस (जीएसएम+सीडीएमए) फोन						कुल टेलीफोन	
		कुल		सार्वजनिक प्रचालक		निजी प्रचालक		कुल		सार्वजनिक प्रचालक		निजी प्रचालक			
		मार्च'12	दिसम्बर'12	मार्च'12	दिसम्बर'12	मार्च'12	दिसम्बर'12	मार्च'12	दिसम्बर'12	मार्च'12	दिसम्बर'12	मार्च'12	दिसम्बर'12	मार्च'12	दिसम्बर'12
1	आंध्रप्रदेश	2360893	2261524	1970060	1871305	390933	390219	66827458	63936016	9020241	9219802	57807217	54716214	69188451	66197540
2	असम	229854	196741	227229	193952	2625	2789	14208075	14336284	1265379	1228242	12942696	13108042	14437929	14533025
3	बिहार	610323	560061	595139	543899	15184	16162	63481021	61020297	6134678	6003257	57346343	55017040	64091344	61580358
4	गुजरात	1830897	1786975	1598630	1561561	232267	225414	53321886	50280123	4232626	4254238	49089260	46025885	55152783	52067098
5	हरियाणा	591881	571344	542975	515927	48906	55417	22558305	19527872	2998922	3043033	19559383	16484839	23150186	20099216
6	हिमाचल प्रदेश	308298	292670	301845	285983	6453	6687	7971334	6805711	1677576	1586782	6293758	5218929	8279632	7098381
7	जम्मू और कश्मीर	204312	199085	203969	198715	343	370	6306835	6802340	1046435	1153690	5260400	5648650	6511147	7001425
8	कर्नाटक	2691075	2451120	1963247	1705830	727828	745290	55713994	52782195	6914688	6998146	48799306	45784049	58405069	55233315
9	केरल	3189796	3094549	3065384	2972537	124412	122012	34016112	32245228	7112450	7621921	26903662	24623307	37205908	35339777
10	मध्य प्रदेश	1138732	1120266	851068	834788	287664	285478	51622367	50668593	4819853	5030107	46802514	45638486	52761099	51788859
11	महाराष्ट्र	2646027	2534516	2240187	2113234	405840	421282	70469385	66845302	6226065	6687309	64243320	60157993	73115412	69379818
12	पूर्वोत्तर*	252373	217803	252129	217565	244	238	8518317	8738579	1616348	1736293	6901969	7002286	8770690	8956382
13	उड़ीसा	462823	395106	451480	384670	11343	10436	26618935	24317039	4444614	4438237	22174321	19878802	27081758	24712145
14	पंजाब	1442460	1370149	1089917	1037448	352543	332701	31953577	28999339	4687337	4389946	27266240	24609393	33396037	30369488
15	राजस्थान	1164397	1084336	1046625	963456	117772	120880	49159964	46572329	5651850	5930085	43508114	40642244	50324361	47656665
16	तमिलनाडु*	3191523	3135074	2493352	2426680	698171	708394	77678330	73283971	9722314	9439883	67956016	63844088	80869853	76419045
17	उत्तरप्रदेश-(पूर्व)	1272212	1059067	1167606	954373	104606	104694	75074369	71979410	10116763	10295513	64957606	616883897	76346581	73038477
18	उत्तरप्रदेश-(पश्चिम)*	796836	773660	759356	735439	37480	38221	53637361	48338084	4800137	4928465	48837224	43409619	54434197	49111744
19	पश्चिम बंगाल*	680679	593443	672411	585158	8268	8285	46272843	43076898	3598434	3622095	42674409	39454803	46953522	43670341
20	कोलकाता	1182861	1151669	975123	938584	207738	213085	24990125	22610241	2426278	2315303	22563847	20294938	26172986	23761910
21	दिल्ली	2912937	2949893	1563034	1584555	1349903	1365338	42489287	39813020	2885959	2591964	39603328	37221056	45402224	42762913
22	मुम्बई	3010182	2987658	1894695	1870948	1115487	1116710	36284655	31742046	2946439	2709954	33338216	29032092	39294837	34729704
	अखिल भारत	32171471	30786709	25925461	24496607	6246010	6290102	919174535	864720917	104345386	105224265	814829149	759496652	951346006	895507626

नोट: 1. झारखण्ड सम्मिलित, 2. छत्तीसगढ़ सम्मिलित, 3. पूर्वोत्तर-1 व 11 सम्मिलित, 4. चेन्नई सम्मिलित 5. उत्तराखण्ड सम्मिलित, 6. अण्डमान व निकोबार सम्मिलित।

स्रोत: भारत वे रायों की जनसंख्या अनुमान वर्ष 2001-26, भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय से। सरकारी क्षेत्र (जीएसएमएल व एमटीएनएल) और निजी क्षेत्र (ऑस्पी-वॉयरलाइन, डबलयूएलएल व जीएसएम और सीओआई-निजी जीएसएम) उपभोक्ता आंकड़े हेतु



सारणी - 4

31 मार्च 2012 की अवस्थितिनुसार कर्मचारियों की संख्या-कुल, अनुसूचित जाति / जनजाति, भूतपूर्व सैनिक (शारीरिक दृष्टि से शक्त और अशक्त) और महिलाएँ

समूह	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (शक्त)	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (अशक्त)	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	महिला कर्मचारी	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत
क	574	83	14.46%	32	5.57%	0	0.00%	0	0.00%	54	9.41%
ख	617	70	11.35%	19	3.08%	0	0.00%	0	0.00%	152	24.64%
ग	1033	223	21.59%	60	5.81%	22	2.13%	0	0.00%	120	11.62%
घ	6	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
जोड़	2230	376	16.86%	111	4.98%	22	0.99%	0	0.00%	326	14.62%

सारणी - 5

31 मार्च 2012 की अवस्थितिनुसार के अशक्त कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी	संख्या		अंतर
	स्वीकृत का प्रतिशत	कार्यरत	
अल्प दृष्टि	4	3	1
श्रवण दोष	3	0	3
अपंग अथवा मानसिक पक्षाघात युक्त	9	11	-2
जोड़	16	14	2



X. परिवर्णी-शब्द

एसीसी	एकाउंट्स कूलींग कॉर्ड
एडीसी	अभिगम्य घाटा परिवर्तन (एक्सेस डेफिसिट चेंज)
एडीएसएल	विषम डिजिटल उपभोक्ता लाइन (एसिमीट्रीकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन)
एएलटीटीसी	प्रोन्नत स्तर दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र
एपीटी	एशिया प्रशांत दूरसंचार (एशिया पैसेफिक टेलिकम्युनिकेशंस)
एटीएम	अतुल्यकालिक अन्तरण मोड (एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड)
बीआरबीआरएआईटीटी	भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान
सीएसीटी	दूरसंचार संघटक अनुमोदन केंद्र
सीएडी	कंप्यूटर सहायता प्राप्त (एडिड) डिजाइन
सी-डॉट	टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र
सीआईडीए	कनाडाई अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण
सीएलआईपी	कालर्स लाइन आइडेन्टिफिकेशन प्रोटोकॉल
सीएमपी	सेल्यूलर मोबाइल फोन्स
सीओएमएसी	केन्द्रीयकृत प्रचालन और अनुरक्षण केन्द्र
सीएसएमएस	उपभोक्ता सेवा प्रबंधन प्रणाली
डीसीसी	विकास समन्वय समिति
डीसीएमई	डिजिटल सर्किट गुणन उपस्कर
डीईसीटी	डिजिटल वर्द्धित तार-रहित टेलीफोन (डिजिटल एनहान्सड कॉर्डलेस टेलीफोन)
डीआईएस	सीधी इन्टरनेट अभिगम्य प्रणाली
डीएलसी	डिजिटल लूप संवाहक (कैरियर)
डीडब्ल्यूडीएम	डेन्स वेवलैंग्थ डिविजन मैल्टिप्लेक्सिंग
ईएमटीएस	तुरंत मुद्रा अंतरण सेवा
एफएस	फाइबर अभिगम्य प्रणाली
एफडीएम	फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टिपल एक्सेस



एफआरएस	दोष सुधार सेवा
जीएमपीसीएस	उपग्रह द्वारा सार्वभौमिक मोबाइल निजी संचार
जीपीएसएस	गेटवे पैकेट स्विचिंग प्रणाली
जीआर	सामान्य (जिनेरिक) आवश्यकताएं
एचईसीएस	उच्च वर्द्धित क्षमता स्विच (हाई एलेग कैपिसिटी स्विच)
एचएसडीएल	हाई बिट रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
आईएफआरबी	अन्तर्राष्ट्रीय आवृत्ति विनियामक बोर्ड
आईएलडी	अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी
आईएमआरबी	भारतीय विपणन अनुसंधान ब्यूरो
आईएन	इन्टेलिजेंट नेटवर्क
इनसेट	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह
आईआर	अंतरापृष्ठ आवश्यकताएं (इंटरफेस रिक्वायरमेंट)
आईएसडीएन	एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क (इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क)
आईएसपी	इंटरनेट सेवा प्रदाता
आईटीयू	अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ
आईयूसी	अंतः संपर्क प्रयोग प्रभार (इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज)
आईवीआरएस	अंतर्क्रिया ध्वनि प्रतिक्रिया प्रणाली (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉंस सिस्टम)
एलएमडीएस	स्थानीय बहु-बिंदु वितरण प्रणाली
एलओआई	आशय-पत्र
एमसीआईबीएस	सूक्ष्म संसाधित्र नियंत्रित इंटेलिजेंट भवन प्रणाली (माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल्ड इंटेलिजेंट बिल्डिंग सिस्टम्स)
एमसीपीसी	बहु चैनल प्रतिक संवाहक (मल्टि चैनल पर कैरियर)
एमएलएलएन	मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क
एमएमएस	मल्टी मीडिया मेसेजिंग सर्विस
एमपीएलएस	मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
एमएसएस	चल उपग्रह प्रणाली



एमटीएल	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड
एमयूएक्स	मल्टीप्लेक्सर
एनआईबी	राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन
एनएलडीएस	राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा
एनटीपी	नई दूरसंचार नीति
एनवाईएसई	न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज
ओएफसी	ऑप्टिकल फाइबर केबल
ओएलटीई	ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेटिंग उपस्कर
क्यूटीएस	टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता
क्यूओएस	सेवा की गुणवत्ता
पीसीबी	मुद्रित सर्किट बोर्ड
पीसीओ	सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र
पीसीएस	वैयक्तिक संचार प्रणाली
पीएमआरटीएस	सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा
पीओआई	प्वाइंट ऑफ इन्टरकनेक्शन
पीओटी	साधारण पुराना टेलीफोन
पीआरएस	प्रीमियम दर सेवा
पीएसटीएन	सार्वजनिक स्विचन दूरसंचार नेटवर्क
आरएबीएमएन	दूरस्थ क्षेत्र व्यवसाय संदेश नेटवर्क
आरएएरन	रेडियो अभिगम नेटवर्क
आरटीटीसी	क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र
एसएसएस	लेखांकन पृथक्करण प्रणाली
एसबीएन	सिगनल बेस मॉड्यूल
एसडीसीए	अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र
एसडीएच	सिन्क्रोनस डिजिटल हायरकी
एसआईएम	उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल
एसएसए	गौण स्विच क्षेत्र




एसटीएम	सिन्क्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल
एसएसए	गौण स्विचन क्षेत्र
एसटीएम	सिन्क्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल
टीसीपी	ट्रान्समिशन कनेक्शन प्रोटोकॉल
टीडीएमए	टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस
टीडीएसएटी	दूरसंचार विवाद समाधसान एवं अपील अधिकरण
टीआरएआई	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
टीएसपी	जनजातीय उप योजना
टीटीएल	दूरसंचार प्रशिक्षण प्रयोगशाला
टीटीओ	दूरसंचार प्रशुल्क आदेश
यूएचएफ	अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी
यूएमएस	एकीकृत संदेश सेवा
यूएसएफ	वैश्विक सेवा दायित्व
यूटीएल	यूनाईटेड टेलीकॉम लिमिटेड
वीसीसी	वर्चुअल कॉलिंग कार्ड
वीएमएस	वायस मेल सर्विस
वीपीएन	वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
वीपीटी	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
वीआरएलए	वेल्यूएड रेगुलेटेड लीड एसिड
वीएसएटी	वेरी स्मान अपर्चर टर्मिनल
डब्ल्यूएलएल	वायरलैस इन लोकल लूप
डब्ल्यूपीसी	बेतार आयोजना एवं समन्वय
डब्ल्यूपीएचएस	वेब पेज होस्टिंग सर्विस
डब्ल्यूएसएचएस	वेब सर्वर होस्टिंग सर्विस

XI. (संगठनात्मक चार्ट) दूरसंचार विभाग

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

सचिव, दूरसंचार विभाग एवं अध्यक्ष दूरसंचार आयोग



संक्षिप्तियाँ :

टीपीएफ : टैरिफ पब्लिक इंट्रस्ट्स एंड जेनेरल फाइनेंस

एएस: पहुंच सेवाएं

डब्ल्यूपीएफ: बेटार आयोजना वित्त

ए: प्रशासन

वीआईजी: सतर्कता अधिकारी (मुख्य)

पीआरओडी: उत्पादन

एलए: विधिक सलाहकार

आईपी: निवेश प्रोत्साहन

टीईसी: दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र

सीएस: कारियर सेवाएं

डीएस: डाटा सेवाएं

यूएसएफ: सार्वजनिक सेवा निधि

ईसीयू: आर्थिक

एलएफ: लाइसेंसिंग वित्त

पीजी: जन शिकायत

आईआर: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

एसयू: सेवा इकाई

बीबी: ब्रॉडबैंड

जेएस: संयुक्त सचिव

एनटी: नवीन तकनीकी

एफईबी: वित्त, स्थापना और बजट

टी: दूरसंचार

सी एंड ए: समन्वय एवं प्रशासन

डीडीजी: उप महानिदेशक

बीडब्ल्यू: भवन कार्य



परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज-2011-12

उद्देश्य	₹	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	₹	लक्ष्य/मानदंड मूल्य					निष्पादन		
						सर्वोत्तम	बहुत अच्छा	अच्छा	मध्यम	अपर्याप्त	चूनांक	निष्पादन	
						100%	90%	80%	70%	60%		चूनांक	निष्पादन
1. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क से संबंधित नीति को तैयार करना और स्पेक्ट्रम प्रबंधन	25.00	लाइसेंस से संबंधित मुद्दों पर नीति को तैयार करना और अनुमोदन	समय पर अनुमोदन	दिनांक	4.00	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012	15/02/2012	74.83	2.99
		स्पेक्ट्रम देने तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित नीति को तैयार करना और अनुमोदन	समय पर अनुमोदन	दिनांक	4.00	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012		ना	ना
		स्पेक्ट्रम के समेकन पर नीति को तैयार करना और अनुमोदन	समय पर अनुमोदन	दिनांक	4.00	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012		ना	ना
		स्पेक्ट्रम प्रबंधन पर नीति को तैयार करना और अनुमोदन	समय पर अनुमोदन	दिनांक	4.00	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012		ना	ना
		राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को तैयार करना	समय पर अनुमोदन	दिनांक	9.00	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012	10/10/2011	100.0	9.0
2. ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष जोर देते हुए वॉइस, डाटा और ब्रॉडबैंड के लिए दूरसंचार अवसरचना का दूरस्थ क्षेत्रों में विस्तारण	18.00	ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड संयोजकता में सुधार 256 केबीडीएस और उससे ऊपर की गति से ब्रॉडबैंड संयोजकताओं को बीबी कनेक्शनों के रूप में माना जाएगा	ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शनों में वृद्धि	अंक	4.00	250000	225000	220000	215000	210000	93037	0.0	0.0
		ग्रामीण दूर घनत्व में सुधार वृद्धि	ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बेतार ब्रॉडबैंड संयोजकताओं में वृद्धि-स्कीम के कार्यान्वयन हेतु सफल बोलीदाताओं के साथ सेवा क्षेत्रों (कुल 19) के लिए कार्रवाई पर हस्ताक्षर	अंक	2.00	19	17	14	13	11	0	0.0	0.0
3. स्पेक्ट्रम आबंटन में पारदर्शिता	10.00	ग्रामीण दूर घनत्व में सुधार वृद्धि	ग्रामीण दूर घनत्व में 32% से 40% तक की वृद्धि	%	6.00	40	38	36	34	32	38.53	92.65	5.56
		राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को मंत्रिमंडल का अनुमोदन	मंत्रिमंडल का अनुमोदन	दिनांक	6.00	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012	25/10/2011	100.0	6.0
		राष्ट्रीय बास्कार्ता आबंटन योजना (एनएफएपी) में वृद्धि	एनएफएपी 2011 में वृद्धि	दिनांक	3.00	31/12/2011	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012	31/03/2012	30/09/2011	100.0	3.0

जारी..



उद्देश्य	ऱुँ	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	ऱुँ	लक्ष्य/मानदंड मूल्य						निष्पादन		
						सर्वोत्तम	बहुत अच्छा	अच्छा	मध्यम	अपर्याप्त	अंश	दिनांक	अंश	दिनांक
						100%	90%	80%	70%	60%				
		स्पेक्ट्रम की उपलब्धता/आबंटन के संबंध में सूचना प्रदान करने में पारदर्शिता में वृद्धि	सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना देना	दिनांक	3.00	29/09/2011	31/12/2011	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012	04/07/2011	100.0	3.0	
		स्पेक्ट्रम आबंटन के संबंध में पावती प्राप्त होने के 6 माह के भीतर सभी आवेदन पत्रों का प्रावधान	समय पर निपटान	%	4.00	100	90	80	70	60	100	100.0	4.0	
4. पर्याप्त दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा	6.00	मौजूदा विस्तृत नेटवर्क सुरक्षा नीति प्रस्तुत करना	परामर्श के लिए मौजूदा नीति को अंतिम रूप देना	दिनांक	2.00	31/12/2011	31/01/2012	28/02/2012	15/03/2012	31/03/2012	26/08/2011	100.0	2.0	
		सुरक्षा अनुदेशों का प्रवर्तन और कार्यव्ययन	0.10% उपमोक्ता सत्यापन	%	2.00	0.11	0.10	0.09	0.08	0.075	0.11	100.0	2.0	
		सीसीएस टिप्पण अनुमोदित होने पर दिल्ली में सीएसएस प्रणाली का प्रायोगिक कार्यव्ययन	मंत्रिमंडल का अनुमोदन मिलने के बाद सीएसएस की क्रियाशीलता	माह	2.00	3.5	4	4.5	5	5.5	3.5	100.0	2.0	
5. अवसंरचना से संबंधित नीति	6.00	अवसंरचना से संबंधित नीति का निर्माण और अनुमोदन	एकबारागी अनुमोदन	दिनांक	2.00	31/01/2012	31/03/2012					ना	ना	
		मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (एमवीएनओ) पर नीति का निर्माण और अनुमोदन	एकबारागी अनुमोदन	दिनांक	2.00	31/01/2012	31/03/2012					ना	ना	
		आईएक्सपी आदि पर नीति का अनुमोदन	एकबारागी अनुमोदन	दिनांक	2.00	31/01/2012	31/03/2012					ना	ना	
6. स्वदेशी अनुसंधान और विकास का संवर्धन एवं विनिर्माण	8.00	दूरसंचार उपकरणों के देशी विनिर्माण को सुकर बनाने के लिए नीति को अंतिम रूप देना और उसका अनुमोदन	समय पर अनुमोदन	दिनांक	2.00	29/02/2012	15/03/2012	29/03/2012	30/03/2012	31/03/2012	10/02/2012	100.0	2.0	
		भारतीय दूरसंचार, 2011 का आयोजन	भारतीय दूरसंचार, 2011 से संबंधित क्रियाकलापों को समय पर पूरा करना	दिनांक	2.00	31/12/2011					15/12/2011	100.0	2.0	
		दूरसंचार उपकरणों के निर्यात को सुकर बनाना	₹14000 करोड़	₹करोड़	2.00	14000	13000	11200	9800	8400	14000	100.0	2.0	

जारी...



उद्देश्य	क्र	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	क्र	लक्ष्य / मानदंड मूल्य						निष्पादन	
						सर्वोत्तम	बहुत अच्छा	अच्छा	मध्यम	अपराधित	न्यूनतम अंक	भारित न्यूनतम अंक	
						100%	90%	80%	70%	60%			
7. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों को सुदृढ़ करना	8.00	दूरसंचार उपकरणों के लिए भारतीय मानक का प्राप्ति	मानकों का अनुमोदन	नम्बर्स	2.00	10	8	6	4	2	10	100.0	2.0
		न्यायालयों के आदेशों के अध्याधीन बोर्ड स्तर के रिक्त स्थानों को, यदि लंबित है, को भरना	लंबित रिक्त स्थान	नम्बर्स	2.00	0	1	2	3	4	0	100.0	2.0
8. नम्बरिंग योजना संबंधी नीति	4.00	मिश्रा समिति की रिपोर्ट का निर्णय	समय पर कार्यान्वयन	दिनांक	2.00	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012	27/02/2012	70.69	1.41
		नैरआर्थिक क्रियाकलापों के लिए सहायता का निर्णय	सभी चिह्नित मदों को सरकारी सहायता देने के संबंध में निर्णय को अंतिम रूप देना	दिनांक	2.00	29/02/2012	15/03/2012	29/03/2012	30/03/2012	31/03/2012		ना	ना
		आमोलन मुद्दों पर सरकारी निर्णय प्राप्त करना	आमोलन मुद्दों को अंतिम रूप देना	दिनांक	2.00	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012	22/09/2011	100.0	2.0
		निर्धारित लाइन/मोबाइल नंबरिंग के आर्बटन के लिए सुनिश्चित नंबरिंग योजना नीति का निर्माण	समय पर अनुमोदन	दिनांक	2.00	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012		ना	ना
*आरएफडी प्रणाली का कुशल प्रचालन	3.00	सभी/एसपी कोडों, एसएमएस कोडों और स्तर की सुविधा के लोकेशन हेतु सुनिश्चित नंबरिंग योजना नीति का निर्माण	समय पर अनुमोदन	दिनांक	2.00	15/12/2011	15/01/2012	15/02/2012	29/02/2012	31/03/2012		ना	ना
		मसौदे को समय पर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	दिनांक	2.0	07/03/2011	08/03/2011	09/03/2011	10/03/2011	11/03/2011	20/05/2011	0.0	0.0
*मंत्रालय/विभाग के आंतरिक कौशल/वायित्व/सेवा वितरण में सुधार लाना	10.00	परिणाम को समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	दिनांक	1.0	01/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	05/05/2012	06/05/2012	14/05/2012	0.0	0.0
		परिणाम को समय पर प्रस्तुत करना	सुनिश्चित नागरिक मसौदे/क्लाइंट्स चार्टर को पुनः प्रस्तुत करना	दिनांक	2.0	16/01/2012	18/01/2012	20/01/2012	23/01/2012	25/01/2011	14/01/2012	100.0	2.0
		सर्वोत्तम का कार्यान्वयन	शिकायत समाधान कार्य तंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	2.0	100	95	90	85	80	100	100.0	2.0
		आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) का अनुपालन सुनिश्चित करना	उन मुद्दों की संख्या जिनपर 10 फरवरी, 2012 तक सूचना अपलोड की गई है	नहीं	2.0	16	15	14	13	12	13	70.0	1.4

जारी...



उद्देश्य	क्र.	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	लक्ष्य / मानदंड मूल्य	निष्पादन					
						न्यूनतम अंक	भारित न्यूनतम अंक				
					सर्वोत्तम	बहुत अच्छा	अच्छा	मध्यम	अपर्याप्त	कुल अंक	
		विभागीय क्रियाकलापों से संबंधित भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों को चिह्नित करना और उनके समाधान के लिए कार्य योजना बनाना	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों के निदानार्थ कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	26/03/2012	27/03/2012	28/03/2012	29/03/2012	30/03/2012	100.0	2.0
		आईएसओ 9001 प्रमाणन कार्यान्वयन करने के लिए कार्य योजना बनाना	आईएसओ 9001 प्रमाणन कार्यान्वित करने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	16/04/2012	17/04/2012	18/04/2012	19/04/2012	20/04/2012	100.0	2.0
*वित्तीय दायित्व से संबंधित कार्य तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करना	2.00	सीएंडएजी के लेखा परीक्षा से संबंधित पैरो पर एटीएन को समय पर प्रस्तुत करना	विचाराधीन वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (6माह) के भीतर प्रस्तुत एटीएन की प्रतिशतता	%	100	90	80	70	60	100.0	0.5
		पीएसी से संबंधित सचिवालय को समय पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीएन) प्रस्तुत करना	विचाराधीन वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (6 माह) के भीतर प्रस्तुत की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट की प्रतिशतता	%	100	90	80	70	60	100.0	0.5
		31.03.2011 से पहले संसद को प्रस्तुत सीएंडएजी रिपोर्टों के लेखा परीक्षा पैरो पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	विचाराधीन वर्ष के दौरान निपटायी गई शेष एटीएन की प्रतिशतता	%	100	90	80	70	60	69.44	0.35
		संसद को 31.03.2011 से पहले प्रस्तुत की गई पीएसी रिपोर्टों के संबंध में की जाने वाली लंबित कार्रवाई का शीघ्र निपटान	विचाराधीन वर्ष के दौरान की जाने वाली शेष कार्रवाई की रिपोर्टों के निपटान	%	100	90	80	70	60	100.0	0.5

*अधिदेशात्मक उद्देश्य

सरकारी कार्य निष्पादन पर एचपीसी द्वारा अनुमोदित 1.48

कुल योग 64.21

एचपीसी 63.69 द्वारा अनुमोदित कुल अंक



सत्यमेव जयते

दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली